खण्ड-302, अंक-9
शुक्रवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1895
(23 मार्च, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 23 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--369

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री

कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
कशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
ममताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दूबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम करन सिंह, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलार, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पांडेय श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री

विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री

श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—राज्य सूचना मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 23 मार्च, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ओबरा थर्मल पावर हाउस में विस्फोट

**** 1—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ओबरा थरमल पावर हाउस के कोयला पीसने वाली मिल में 21 नवम्बर, 20 नवम्बर, 6 दिसम्बर, 31 दिसम्बर, 1972 तथा पहली जनवरी सन् 1973 में भयानक विस्फोट हुए? यदि हां, तो इस विस्फोट का क्या कारण था, कितनी क्षति हुई और कुल कितने विस्फोट हुए?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

जो उत्तर मुझे मिला है उसमें लिखा है कि इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। फिर नीचे लिखा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस उत्तर पर मैं विश्वास करूं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, बहुत गैर-जिम्मेदारी से जवाब दिया गया है। अभी तो एक ही उत्तर पढ़ा है। इतना भी ज्ञान नहीं है कि विस्फोट हुआ है या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। जो उत्तर सही है वह यह है कि सूचना एकत्र की जा रही है। पहला कटा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

पहला उत्तर कटा हुआ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम लोगों को जो मिला है वह कटा नहीं है। पहले कहा गया कि कोई सूचना नहीं है, बाद में दिमाग में आया तो लिखा दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप मान लीजिये कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

9-1-73 का मेरा प्रश्न है, आज 23 मार्च, है, 3 महीने के ऊपर हो गया है, 6-6 विस्फोट हुये हैं और आज तक यह सूचना एकत्र नहीं कर सके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया गया है वह गैर-जिम्मेदारी का है।

श्री अध्यक्ष—

देर क्यों लगी आप यह पूछ लें।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

दो प्रश्न हैं। क्या इस प्रकार के विस्फोटों की सूचना पुलिस में दर्ज कराई गई है या विभाग में इस प्रकार की सूचना आई है या नहीं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं सभी सूचना मंगा कर दे दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह कहते हैं कि मंगा कर सूचना दे देंगे, तो अब तक क्यों नहीं आई है?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना मंगा कर दे देंगे तो अब तक क्यों नहीं मंगाई गई है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

नियमों में प्राविधान है कि यदि कोई सूचना अपर्याप्त हो तो उसको मंगा कर दे दिया जाय।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

अगर मंत्री जी के पास इस घटना की पूर्व सूचना नहीं है तो जितनी अपूर्ण सूचना है वही बतला दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं अपूर्ण सूचना से माननीय सदस्यों को अवगत नहीं कराना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न 9-1-73 को सरकार के पास भेजा गया है। अल्पसूचित प्रश्न के लिये नियमावली के नियम 29 में यह लिखा है :

जब कोई सदस्य अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहें तो वह ऐसे प्रश्न की पूरे तीन दिन की सूचना लिखित रूप से सचिव को देंगे। सचिव साधारणतया प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में ग्राह्यता पर उसकी प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को इस निवेदन के साथ भेज दी जायेगी कि वह सचिव को सूचित करें कि क्या वह प्रश्न का उत्तर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में देने की स्थिति में हैं।

तीन दिन के अन्दर हमको यह सूचना मिलनी चाहिये। 29 जनवरी का दिया हुआ प्रश्न था और आज तीन महीने के बाद कहते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है और फिर कहते हैं कि आधी सूचना हम नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष—

यह बात तो स्पष्ट है कि अल्पसूचित प्रश्न जब जाता है और मंत्री अगर उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं तो वह कहते हैं कि हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो आपने जब यह दिया होगा कि हम उत्तर दे सकते हैं तभी तो यह एजेण्डे पर आया। तो जरा आप जांच कर के देखिये कि हुआ क्या ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर वह सक्षम नहीं थे सूचना देने के लिये तो आप से प्रार्थना करते कि 29 (4) के अन्तर्गत कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

तब तक स्थगित रहेगा यह।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने स्थगित कर दिया तो क्या कृपया मंत्री जी से पूछ कर सदन को यह बतायेंगे कि यह प्रश्न फिर कब लिया जायगा क्योंकि यह सैंबोटाज का मामला है ?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग ने इस प्रश्न का उत्तर आपके यहां कब भेजा और आपके आफिस से पुनः सूचना मंगाने के लिये विभाग को कब गया ?

श्री अध्यक्ष—

नियम में यह है कि किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिये वह सूची बद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तद्नसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुये उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

वह तो आप कर सकते हैं लेकिन कम से कम ऐसे मंत्री की प्रताड़ना करिये जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और नियमों का उल्लंघन आपका और सदन का अवमान है।

श्री अध्यक्ष—

यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फलाने की प्रताड़ना करो। यह प्रताड़ना ही है मेरी जब मैं यह कह रहा हूं कि यह नियम है, इसके हिसाब से आपने मेरे दफ्तर में यह जरूर भेजा होगा कि आप उत्तर देने के लिये सक्षम हैं। तभी यह एजेंडा पर आया है। ऐसा होते हुये जब आप यह कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो कृपा करके आप यह बतायें कि 28 तारीख को आप उत्तर दे सकेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

28 को रख दें या पहली को रख दें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

पहली तारीख की छुट्टी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

तो मैं इसको 2 तारीख के लिये रख देता हूं। 2 तारीख को आप उत्तर दे दीजिये।

आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की प्राइवेट प्रैक्टिस

**2—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एण्टीग्रेटेड चिकित्सालय में नियुक्त आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्साधिकारियों की भी 1 मार्च, 1973 से प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी गई है या नहीं ? यदि इनकी भी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की गई है तो इन्हें भी पी० एम० एस० अधिकारियों की भांति नान प्रेक्टिसिंग एलाउन्स मिलने के आदेश दिये गये अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्साधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अभी इजाजत है या नहीं ? वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां, कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या शासन के विचाराधीन यह प्रश्न है कि उनकी प्रैक्टिस भी बन्द कर दी जाय ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जी हां, है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी ने कहा कि उनकी भी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का विचार है। अभी वे उसको कर सकते हैं। तो जब उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं तो क्या उसके साथ ही यह प्रश्न भी उनके विचाराधीन है कि इन डाक्टरों को भी वही नान प्रैक्टिसिंग अलाउन्स दिया जाय जो एलोपैथिक के डाक्टरों को दिया जायगा ?

श्री प्रेमचन्द शर्मा--

यह सभी पहलू विचाराधीन हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) क अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न']

शाहजहांपुर जिले में टेस्ट वर्क

*1--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिले की तहसील, तिलहर के परगना खेड़ा-बझेड़ा में सूखा से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति से बचाने हेतु अक्तूबर, 1972 में सरकार ने 2 लाख रुपया तत्काल टेस्ट वर्क चालू करने हेतु जिलाधिकारी को दिया किन्तु आज तक टेस्ट वर्क इसलिये चालू न हो सका क्योंकि आज तक सार्वजनिक निर्माण विभाग खेड़ा-बझेड़ा, फतगंज पूर्वी रोड पर निशान आदि न लगवा पाया जिससे कार्य शुरू होता और लाचार होकर जिलाधिकारी,शाहजहांपुर ने रुपया वापिस कर दिया है ? यदि हां, तो तत्काल सरकार ने क्या कार्यवाही की और अब टेस्ट वर्क कब से शुरू हो जायगा जिससे अधिक और मौतें न हों ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

परगना खेड़ा-बझेड़ा में भुखमरी की स्थिति नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि सूखे के कारण स्थिति संतोषजनक नहीं है। जरुरतमंद लोगों को टेस्ट वक द्वारा काम देने क लिये शासन ने अक्तूबर, 1972 में पूरे जिले के लिये (न कि केवल खेड़ा-बझेड़ा परगना के लिये) दो लाख रुपया स्वीकृत किया था। टेस्ट वर्क चलाने में ओवरसियर उपलब्ध न होने के कारण कुछ विलम्ब अवश्य हुआ, परन्तु जिलाधिकारी के पास इस कार्य के लिये धन उपलब्ध है, शासन ने उसका पुनः ग्रहण नहीं किया है। खेड़ा-बझेड़ा क्षेत्र में भानपुरा खेड़ा राठ मार्ग का एलाइनमेन्ट पूरा करके 16-3-73 से टेस्ट वर्क चालू कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जहां पर यह टेस्ट वर्क चल रहे हैं, वहां पर कार्य को देखने के लिये तिलहर के तहसीलदार साहब एक बार भी मुआयना करने के लिये नहीं गये ?

राजस्व मंत्री (श्री उदितनारायण शर्मा)--

करवा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मंत्री जी इन टेस्ट वर्क्स को 15 जून तक या जब तक वर्षा न हो तब तक चालू रखने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

इसके लिये हमारा विचार और इरादा दोनों ही हैं। इसके लिये हमें केन्द्र की अनुमति व सहमति की आवश्यकता होगी जिसके लिये हमने लिखा भी है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस वर्ष रबी की फसल को काफी क्षति हुई हैं, इन टेस्ट वर्क्स को अगली खरीफ की फसल तक जारी रखने और उसके लिये केन्द्र से धन प्राप्त

[श्री कल्पनाथ सिंह]

कराने के लिये केन्द्र को लिखेंगे ? और यदि प्रान्तीय सरकार ही उनको जारी रखे तो उसको इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, अभी तक मेरी सूचना यह नहीं है कि रबी की पैदावार कम होने वाली है। मेरी सूचना के अनुसार वह ठीक होने वाली है। दूसरे प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है, अभी तक जो कार्य चल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

टेस्ट वर्क वहां चलाये जा रहे हैं, जहां रबी की फसल बिगड़ी है, यह खाली उसका नहीं है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

खरीफ की फसल खराब होने से जो टेस्ट वर्क चलाये जा रहे थे, उनके बारे में प्रश्न था कि क्या उसको जून तक चलायेंगे ? इस पर मैंने यह कहा था कि हमाराइरादा अवश्य है। इसके बाद कल्पनाथ सिंह जी ने उसके आगे भी जानना चाहा कि चूंकि रबी की फसल खराब होने वाली है, इसलिये उस कार्यक्रम को जून के आगे भी चलाने की कृपा करेंगे ? इस पर मैंने कहा मेरी सूचना के अनुसार रबी की फसल खराब होने वाली नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने कहा कि ओवरसियरों की कमी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप जिलाधिकारी से यह कहेंगे कि वह ओवरसियर जो मिल जायें उनको रख लें और इस संबंध में माननीय जिलाधीश स्थानीय विधायकों से भी सम्पर्क स्थापित कर लें, क्योंकि मेरी सूचना के अनुसार ओवरसियर फालतू पड़े हैं और उनको लगाकर वह क्या काम चालू कर देंगे ? दूसरा मेरा आपसे निवेदन यह है कि मंत्री जी ने कल्पनाथ सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि रबी की फसल मेरी सूचनानुसार अच्छी होने वाली है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि रबी की फसल अच्छी होने का मंत्री जी के पास मापदण्ड क्या है ? ग्रामों मे बिजली की सप्लाई 24 घंटे के बजाय 6 घंटे हो गई, 5–6 पानी के बजाय फसलों को दो पानी भी नहीं मिल पाये, तो मंत्री जी किस अधार पर कह रहे हैं कि रबी की फसल अच्छी होगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

अभी तक कृषि विभाग के जो अनुमानित आंकड़े हैं उनके आधार पर कह रहा हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विद्युत् परिषद् ने काश्तकारों को बिजली देने का जो रोटेशन बनाया है, उससे फसलों को उनको आवश्यकतानुसार रबी का पानी नहीं मिल रहा है और वह खराब हो जायेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया, हमारी सूचना के अनुसार अभी तक जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार रबी की फसल औसत दर्जे की नहीं, बल्कि उससे अच्छी होने वाली है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि देवरिया जिले के अधिकारियों ने यहां सूचना नहीं दी है कि वहां पर गेहूं की फसल में पैरेला का कीड़ा लग जाने के कारण 70 प्रतिशत फसल बरबाद हो गई है ?

श्री उदितनारायण लर्मा—

यह जिलेवार सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि मैक्सिकन वैरायटी में जो 5 पानी दिये जाने चाहिये, वहां एक पानी भी नहीं मिल पाया और वहां ट्यूब वेल्स और नहरें भी नहीं हैं तथा भगवान ने भी वहां कृपा नहीं की तो मंत्री जी ने कैसे अनुमान लगा लिया कि फसल अच्छी हो जायगी ? यह काम 1 अक्तूबर से शुरू न करके 16–3–73 से क्यों शुरू किया गया ? तथा जिलाधिकारी ने ओवर-सियर के बारे में शासन को कब लिखा ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जब जिलाधिकारी से पूछा गया कि आपके यहां पर टेस्ट वर्क अभी चालू हुआ है या नहीं, तो उसका कारण उन्होंने यह बताया कि ओवरसियर उपलब्ध नहीं थे । अब किस तरीख को यह मालूम हुआ, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, मालूम करना पड़ेगा ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि 300 से अधिक विधायकों के हस्ताक्षरों से उन्हें एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि टेस्ट वर्क का काम आगे बढ़ा दिया जाय, क्या उन्हें मिला है और क्या वह विचाराधीन है या उन्होंने कोई निर्णय लिया है ?

श्री उदितनारयण शर्मा—

जहां तक मुझे याद है मझे नहीं मिला लेकिन मिला हो या न मिला हो शासन का यह विचार है कि इसको जून तक चलाया जाय ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि बिजली कम मिल रही है, और उनको यह भी मालूम है कि रबी की फसल में वर्षा समय पर नहीं हु ई है, इन सब बातों को देखते हुये जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि रबी की फसल अच्छी होने का अनुमान है उसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कयास से उन्होंने बताया ।

श्री बलबीर सिंह—

कयास का कोई आधार होना चाहिये ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया यह अनुमान हमारे पास कृषि विभाग से आया करते हैं । वहां से जो अनुमान आये हैं उसके आधार पर मैंने कहा ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जो कृषि विभाग द्वारा विजुअल एस्टीमेट्स आये हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इसके लिये आज्ञा होगी तो सूचना प्रस्तुत करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

उसकी वजह से प्रश्न बहुत से बच जायेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह आज्ञा हो गयी न ?

श्री अध्यक्ष—

आप रख दीजिये न। क्या बात है? किसी रोज रख देंगे, आप।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कृषि विभाग ने जो रिपोर्ट दी है कि पैदावार अच्छी हो रही है, उसका आधार यह है कि फी एकड़ पैदावार बढ़ रही है या क्षेत्रफल ज्यादा है इस आधार पर पैदावार ज्यादा होने वाली है?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को इस बात का पता है कि विभिन्न इलाकों में जैसे देवरिया जिला है, गोरखपुर जिले के गन्ना क्षेत्रों में पायरिला कीड़े ने गेहूं की फसल को बरबाद कर दिया, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पछुआ हवा की वजह से दाना इतना पतला पड़ गया है कि गेहूं की इतनी कम पैदावार हो रही है कि मुश्किल से एक बोझ में दो तीन सेर गेहूं निकल रहा है? क्या मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे और पुनः आदेश दें कि जो पुराना तखमीना दिसम्बर के पहले का या दिसम्बर का था उसको आधार न मानकर आज के आधार को मानकर फिर से मंत्री जी के पास पुन- रीक्षित आंकड़े भेजने की कृपा करेंगे, इस प्रकार का आदेश देंगे?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, अब तो रबी की फसल आ रही है, अब उसके सीधे आंकड़े भी आयेंगे।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सूखे की स्थिति वैसी ही है, टेस्ट वर्क का काम जगह-जगह बन्द हो गया है, सूचना कब तक भेजेंगे कि फिर से शुरू हो?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मेरी सूचना के अनुसार अभी कहीं, जहां टेस्ट वर्क शुरू किये गये, बन्द करने के लिये नहीं कहा गया है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर हमारे यहां कई जगह टेस्ट वर्क शुरू हुआ, निश्चित आदेश शासन के हैं कि मार्च तक बन्द कर दिये जांय जिससे अधूरा काम पड़ा है और लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा अगर बन्द हो जायेंगे, क्या सदन को आश्वासन देंगे कि बहुत जल्द आदेश भेज देंगे कि मार्च के बाद टेस्ट वर्क चलते रहें?

श्री उदितनारायण शर्मा—

फिलहाल तो यह मार्च के आगे चलेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

परिवार नियोजन द्वारा नसबन्दी तथा कथित मौतें

*1—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नवम्बर,-दिसम्बर, 1972 के महीनों में परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत कुल कितने नसबन्दी आपरेशन हुये, जिलेवार मरने वालों की संख्या एवं कारण भी कृपया बतायें? प्रदेश में इस अभियान पर कुल कितना व्यय हुआ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

प्रदेश में नवम्बर-दिसम्बर, 1972 में परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत कुल 1,36,583 नसबन्दी आपरेशन हुये। 30 जनपदों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त अवधि में नसबन्दी आपरेशन के कारण मरने वालों की संख्या शून्य है। शेष जिलों से सूचना एकत्र की जा रही है। इस अभियान में कुल 1,43,41,215 रु0 व्यय हुये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री वीरेन्द्र वर्मा का नाम पुकारे जाने पर और यह ज्ञात होने पर कि वह अनुपस्थित हैं।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

जो यह सवाल है इसमें थोड़ा सा जिक्र मेरा भी है। मुझसे मंत्रि-मंडल के किसी अधिकारी ने न कुछ पूछा है और न चिट्ठी लिखी है। यह जवाब किस आधार पर देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आपका नाम इसमें नहीं है। वह जवाब देंगे तो सुनने के बाद कहियेगा।

टी० बी० क्लीनिक, बदायूं के डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*2---श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0 बी0 क्लीनिक, बदायूं में वर्तमान डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से संबंधित शिकायती-पत्र मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग व निर्देशक और सिविल सर्जन, बदायूं को श्री असरार अहमद, निवासी बरम, जिला बदायूं तथा अन्य व्यक्तियों ने नवम्बर व दिसम्बर, 1972 में भेजा? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि वर्तमान डाक्टर, टी0 बी0 क्लीनिक, बदायूं के विरुद्ध और शिकायतें भी शासन की जानकारी में है ? तो क्या सरकार उन्हें मुअत्तल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

प्रथम भाग---केवल श्री शिव कुमार के नाम से एक शिकायती-पत्र सिविल सर्जन, बदायूं को नवम्बर, 1972 में प्राप्त हुआ था।

सिविल सर्जन ने शिकायत-कर्ता को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजा कि आरोपों को सिद्ध करने के लिये आयें। परन्तु वह पत्र वापस लौट आया।

द्वितीय भाग---उक्त शिकायती-पत्र के अतिरिक्त दो शिकायती-पत्र सितम्बर, 1972 तथा जनवरी, 1973 में सिविल सर्जन को तथा एक पत्र सितम्बर, 1972 में शासन को प्राप्त हुआ था। सिविल सर्जन को प्राप्त हुये पत्रों में लगाये गये आरोप सिविल सर्जन ने निराधार पाये। शासन को जो पत्र प्राप्त हुआ था, उसके बारे में अभी जांच करवाई जा रही है। अतः डाक्टर को मुअत्तल करने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

(प्रश्न सं0 2 पर श्री राममूर्ति अंचल का नाम पुकारे जाने पर और उनकी अनुपस्थिति पर)।

श्री बंशीधर पांडेय---

एक व्यवस्था का विषय है। कुछ प्रश्न एजेंडे पर छप जाते हैं तो यह पूरे सदन की प्रापर्टी हो जाती है। माना कि सदस्य नहीं है लेकिन जब वह प्रश्न जनहित में आ जाता है तो उस पर प्रश्न करने की इजाजत मिलनी चाहिये। मैंने कई बार आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि किन्हीं परिस्थितियों में माननीय सदस्य प्रश्न कर देते हैं लेकिन बाद में वह गायब हो जाते हैं जब कि उस पर हजारों रुपया खर्च हो चुका होता है। जनहित में वह प्रश्न जो सदन की प्रापर्टी बन जाता है, ले लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

नियम में यह दिया हुआ है कि कोई सदस्य अनुपस्थति हो तो उनके प्रश्न आखिर में लिये जायेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय---

दबाव वश वह गायब हो जाते हैं और इस तरह से ब्लेकमेंलिंग हो जाती है ।

श्री बलबीर सिंह---

इत्तिफाक से मेरा एक प्रश्न इसी तरह का है । इसमें कई सदस्यों की दिलचस्पी है । लिहाजा उसे आप रिजेक्ट न कर दीजियेगा क्योंकि यह प्रश्न यहां पर आ गया है ।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा प्रश्न आप भेज देंगे ।

ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार का प्रान्तीयकरण तथा कथित साक्षात्कार

*3---श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरप्रदेश द्वारा संचालित ऋषिकेश आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार को पूर्ण रूप से शासनाधीन कर राजकीय (शासकीय) आयुर्वेदिक कालेज बनाने का कोई प्रस्ताव या योजना शासन के समक्ष है ? यदि हां, तो कब तक ऐसा हो जायेगा ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

ऋषिकेश आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार नामक कोई संस्था नहीं है । संस्था का नाम ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज है । उसके प्रान्तीयकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*4---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 अक्तूबर, 1972 को शासन द्वारा संचालित ऋषिकेश आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में हुये साक्षात्कार एवं तद्नुसार हुई नियुक्तियों में कानपुर विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

26-10-72 को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ था अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब तक इस पर निर्णय होने की संभावना है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

इसमें पूरा खर्चा सरकार वहन करती है इसलिये यह सोचा जा रहा है कि इसके प्रान्तीय-करण पर भी विचार कर लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

कब तक आप इस पर विचार कर लेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

बहुत शीघ्र ही इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस समय तक सरकार जो व्यय करती है वह लगभग उतना ही व्यय हो रहा है जितना राष्ट्रीयकरण पर व्यय होगा तो अब तक इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मैंने कहा कि बहुत शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

शीघ्र की परिभाषा करा दी जाय कि वह एक साल है या एक महीना ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, "शीघ्र" शब्द की परिभाषा करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) शीघ्र के बारे में आपका क्या अंदाज है ? कितने साल लगेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

मान्यवर, साल नहीं लगेंगे, बहुत शीघ्र कर रहे हैं ।

श्री नित्यानत्द स्वामी—

"शीघ्र" में "और" शब्द भी जुड़ गया, और वह "और शीघ्र" हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

"शीघ्र" का तात्पर्य उनका "जल्दी" से है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय मंत्री जी दो जवाब आसानी से दे देते हैं । एक तो "शीघ्र कर देंगे" और दूसरे "सूचना एकत्रित की जा रही है" । तो क्या मंत्री जी शीघ्र की परिभाषा बतायेंगे कि वह कब तक हो जायेगा ? इसके संबंध में 15 मई तक सरकार निर्णय कर देगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

शीघ्र की परिभाषा जल्दी से है, तारीख मुकरर नहीं की जा सकती ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब विद्यार्थियों का नया सेक्शन शुरू होगा । जून-जुलाई में उससे पहले कर देंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है वैसा ही करने की कोशिश करेंगे ।

राजकीय चिकित्सालय (चमोली) भवन को खतरा

*5—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि कर्ण प्रयाग (चमोली) स्थिति राजकीय चिकित्सालय के भवन को खतरनाक घोषित किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? और चिकित्सालय का प्रस्तावित भवन कब तक बन जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

अभी आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रतापपुर (इलाहाबाद) के मेडिकल आफिसर का स्थानान्तरण तथा शिकायती-पत्र

*6—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में प्रतापपुर स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल आफिसर के खिलाफ कोई शिकायती-पत्र वहां के नागरिकों तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिसम्बर, 1971 में प्राप्त हुआ है ? और आगे भी नागरिकों द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जनपद शल्यक को अनेक शिकायती-पत्र वर्ष भर में प्राप्त हुये हैं ? क्या यह सच है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके ट्रान्सफर की सिफारिश करते हुए उन शिकायती-पत्रों के बारे में विशेष जांच के लिये लिखा है ? क्या, सरकार उक्त मेडिकल इंचार्ज क शिकायती-पत्रों पर कार्यवाही कर चुकी है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील में प्रतापपुर स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल आफिसर के विरुद्ध वहां के नागरिकों का एक शिकायती-पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1971 श्री नाथूराम शिक्षक भारतीय जनसंघ सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1972 के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ था । इस पत्र को पाने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित मेडिकल आफिसर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरस्वतीपुर (कौड़ीहार) स्थानान्तरित करने का आदेश जनवरी, 1972 में कर दिया था । परन्तु इन्होंने स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन नहीं किया । इस पर इनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जायगी । उन्होंने उस अधिकारी के विरुद्ध विशेष जांच या उसका स्थानान्तरण करने के लिये उच्च अधिकारियों को नहीं लिखा था । उक्त शिकायती-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई शिकायती-पत्र जिला स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा नहीं प्राप्त हुआ । शासन की जानकारी में उक्त मेडिकल आफिसर के विरुद्ध जो शिकायतें आई हैं, उनकी जांच करने का आदेश दिया जा चुका है ।

(23 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*1—श्री राम गोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

हरिजनों तथा पिछड़े व्यक्तियों को जमीनें तथा मकान बनाने के लिये अनुदान

*2—श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 अक्तूबर, 1972 तक उसने प्रदेश के कितने हरिजनों तथा अन्य पिछड़े व्यक्तियों को कितनी-कितनी जमीन दी है ? प्रत्येक व्यक्ति को क्या जमीन मिल गई ? यदि हां, तो सरकार क्या उन्हें मकान बनवाने के लिये अनुदान भी देगी? यदि हां, तो कितना?

श्री उदितनारायण शर्मा—

30 नवम्बर, 1972 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश के 2,45,412 हरिजनों तथा अन्य पिछड़े व्यक्तियों को 3320.87 हैक्टेयर भूमि लगभग 150 वर्ग गज प्रति परिवार की दर से आवंटित की गई । प्रायः सभी ऐसे परिवारों को जिन्हें आवास स्थल आवंटित किये जा रहे हैं, साथ ही साथ भूमि का कब्जा भी दिया जा रहा है ।

मकान बनाने के लिये अनदान दिये जाने की कोई योजना नहीं है ।

फतेहाबाद तथा शमशाबाद (आगरा) के चिकित्सालय

*3—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में कोई महिला चिकित्सालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो यह अस्पताल कब तक बन जायेगा ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने के आदेश दिनांक 25 सितम्बर, 1972 को दिये जा चुके हैं। उपयुक्त भवन उपलब्ध होने पर चिकित्सालय कार्य करना आरम्भ कर देगा।

*4—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या यह सही है कि फतेहाबाद और शमशाबाद के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक होने जा रहा है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

कथित दोनों अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किये जाने के आदेश दिनांक 17 मार्च, 1973 को दिये जा चुके हैं।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मान्यवर, इस महिला अस्पताल को खुले हुये दूसरा साल शुरू हो गया है और यह फाइनेन्शियल इयर समाप्त हो गया है। 25 सितम्बर को आदेश हुये थे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस आदेश पर कब तक अमल किया जायेगा और यह अस्पताल कब तक खुल जायेगा ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

श्रीमन, कोई उपयुक्त मकान नहीं मिला था इसलिये नहीं खोला गया। माननीय सदस्य यदि कोई मकान दिला दें तो अभी खुल जाय।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

मकान आपको मिल गया था लेकिन किराया अधिक होने के कारण उसमें आब्जेक्शन लगा दिया गया था। क्या जो मकान उपलब्ध हैं उसमें ही अस्पताल खोलने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह तो ठीक है लेकिन 50 रुपया इसके लिये स्वीकृत हुआ था और वे 250 रु0 मांग रहे थे।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अस्पताल कब तक खुल जायगा और उसके लिये स्टाफ तथा शयायें कब तक पहुंच जायेंगीं ? ये पूरी सविधायें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

प्रान्तीयकरण का आदेश हो गया है। अस्पताल के खोलने का प्रश्न नहीं है, अस्पताल तो पहले ही से खुला हुआ है। इसका प्रान्तीयकरण कर रहे हैं और जहां तक साज-सज्जा बढ़ान की बात है, वह सरकार शीघ्र ही करेगी।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

प्रदेश भर में भवन न होने के कारण बहुत से मंजूरशुदा अस्पताल भी नहीं खुल पाये हैं। सदन में सरकार की तरफ से सूचना तो दे दी जाती है कि इतने एलोपैथिक अस्पताल, इतने होम्योपैथिक आदि के अस्पताल खुल रहे हैं लेकिन जितना किराया भवन के लिये मांग की जाती है, उतना किराया आप नहीं दे पाते हैं, तो इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों के लिये दिये जाने वाले भवनों का किराया बढ़ाने का आदेश देंगे या भवन बनाने की कोई योजना बनवायेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से अस्पताल नहीं खुले हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से अस्पताल खुल गये हैं, थोड़े से रह गये हैं और थोड़से भी इसलिये रह गये हैं कि जब कहीं अस्पताल खुलवाने की मांग की जाती है तो उस समय बाबा कर लिया जाता है कि हम अस्पताल के लिये भवन दिलवायेंगे लेकिन ऐन मौके पर भवन उपलब्ध नहीं होता आसानी से देहातों में। कुछ थोड़ी सी जगह ऐसी समस्या रह गयी है, ज्यादातर अस्पताल खुल चुके हैं। जहां तक दूसरे विभाग का प्रश्न है कि किराया कुछ क्यों नहीं बढ़ाते ? तो किराया हमने बढ़ा दिया है।

श्री सुखपाल पांडय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के भवन का किराया केवल 75 रुपया निश्चित किया है जिससे अस्पतालों के लिये भवन नहीं मिल पा रहे हैं ? यदि हां, तो जिस क्षेत्र में जिस किराये पर भवन उपलब्ध हो, भवन प्राप्त करने के लिये उतना किराया देने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को देने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

अनलिमिटेड अधिकार तो नहीं दिये जा सकते हैं लेकिन 500 रुपये तक का अधिकार डाइरेक्टर को दे दिया गया है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, देहातों में मकान दिक्कत से मिलते हैं, इसको देखते हुये जो अस्पताल देहात में खोले गये हैं क्या उनके भवन बनाने का विचार है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

भवन तो समय-समय पर बनेंगे ही, एक साथ सब नहीं बन सकते हैं। जैसे जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा भवन बनते जायेंगे।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के मुख्य सहायक की पुर्नानियुक्ति का आदेश

*5—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशक के मुख्य सहायक को 58 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के उपरान्त भी एक वर्ष के लिये पुनः नियुक्ति के आदेश के विरोध में 18-12-72 को 10 बजे से 12 बजे तक उक्त निदेशालय में सारा कामकाज ठप रहा तथा कर्मचारियों ने प्रदशन भी किया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश को निरस्त करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में 18-12-1972 को काम काज ठप्प रहने की बात तो सही नहीं है किन्तु निदेशालय के कुछ कर्मचारियों ने सम्बन्धित मुख्य सहायक की पुनर्नियुक्ति के विरुद्ध निदेशक को प्रत्यावेदन दिया था।

उक्त पुनर्नियुक्ति के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है।

पुरुषार्थी कालोनी, पटेलनगर, देहरादून का प्लाट

*6—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून की पुरुषार्थी कालोनी पटेलनगर में एक सरकारी प्लाट को एक समुदाय विशेष को बेचने के विरुद्ध वहां के नागरिकों का एक प्रतिवेदन दिनांक 7-2-72 को जिलाधीश देहरादून को मिला? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ परन्तु कालोनी के निवासियों को जब यह मालूम हुआ कि प्रश्नगत प्लाट संस्था को सार्वजनिक उपयोग हेतु एक धर्मशाला बनाने के लिये एलाट किया गया है तो वे सन्तुष्ट हो गये और उक्त आवंटन के प्रति आभार भी प्रकट किया। अत: कोई कार्यवाही नहीं की गई।

पीलीभीत के बीसलपुर के तहसीलदार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी के साथ अभद्र व्यवहार

*7—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि पीलीभीत जिले के बीसलपुर के तहसीलदार ने दिसम्बर, 1972 में एक स्वतंत्रता सेनानी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार किया और कान पकड़वा कर टहलाया जिसके विरोध में 2-1-73 को वहां पूर्ण हड़ताल रही? यदि हां, तो उस तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

इस सम्बन्ध में शासन को शिकायत प्राप्त हुई थी और जांच प्रारम्भ कराई गई थी परन्तु यह ज्ञात होने पर कि उस मामले का एक मुकदमा न्यायालय में चल रहा है जांच बन्द कर दी गई है। श्री रामकुमार तहसीलदार बीसलपुर का स्थानान्तरण कर दिया गया है। यह सत्य है कि तारीख 2 जनवरी, 1973 को इस सम्बन्ध में वहां बाजार बन्द रहा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, एक बड़ी विकट परिस्थिति है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को कान पकड़ कर टहलाया गया और मन्त्री जी कह रहे हैं कि मुकदमा अदालत में चल रहा है तो क्या शिकायत थी जिससे बाजार बन्द रहा और उनकी क्या मांगें थीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इस घटना के रोष में ही बाजार बन्द रहा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, जहां स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सारी सुविधायें दी जाती हैं वहां एक मामूली तहसीलदार उनको कान पकड़ कर टहलाये और यह सरकार कुछ न करे। यह बड़े ताज्जुब की बात है।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ने अभद्र व्यवहार की शिकायत की लेकिन अगर मुकदमा अदालत में चला गया तो वे एक्शन नहीं ले सकते।

श्री बंशीधर पांडेय---

मुकदमा किस विषय का और किन क खिलाफ है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इसी विषय पर यह भारतीय दण्ड विधान की धारा 355 में है और उन्हीं फरीकेन के दरम्यान में है।

श्री बंशीधर पांडेय---

तहसीलदार को मुअत्तिल करने में क्या बाधा है ? आप उसको सस्पेंड करके उसके खिलाफ कार्यवाही करें। इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, यह तो उन्होंने खुद ही पसंद किया कि वे अदालत में जायें अन्यथा हम कार्यवाही कर रहे थे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं यह जानना चाहता हूं कि लोगों की शिकायतें उनके यहां या जिलाधिकारी पीलीभीत के यहां क्या प्राप्त हुई और उन स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिनके खिलाफ यह अभद्र व्यवहार किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

उनका नाम राजबहादुर सिंह है और यह शिकायत जिलाधिकारी को भी और हमें भी अनेक श्रोतों से प्राप्त हुई जिसमें कहा गया है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और यह भी कहा गया है कि उन को कान पकड़ कर निकाल दिया। इस पर आदेश दिया गया कि उन का स्थानान्तरण किया जाय और मामले की जांच की जाय। ए0 डी0 एम0 प्लानिंग मामले को आगे जांच कर ही रहे थे इसी बीच में उन्होंने इस्तगासा दायर कर दिया। इसी से हम मजबूर हो गये जांच करने में। निलम्बन के विषय में बराबर हाईकोर्ट से आ रहा है कि जब तक प्राइमाफेसी केस न बने तब तक अगर निलम्बन किया जाता है तो वह वहां से निरस्त हो जाता है। इसलिये हम प्राइमाफेसी केस बनने पर विचार करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इससे ज्यादा प्राइमाफेसी केस और क्या होगा कि आपके पास जिलाधीश की रिपोर्ट, पब्लिक की रिपोर्ट और जितने श्रोत आपने बताये हैं वह सब मौजूद हैं, जिलाधीश की भी यही रिपोर्ट है और सब श्रोतों से वही जानकारी हुई.....

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने कहा कि जिलाधीश को रिप्रेटं की गई, शिकायत उनको की गई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने स्थानान्तरण किस बेसिस पर किया, आपने प्राइमाफेसी केस समझ कर ही स्थानान्तरण किया, एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की इज्जत को ध्यान में रख कर क्या अब आप उसके निलम्बन की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। जब मामला अदालत में चला जाता है तो उनके हाथ बंध जाते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

प्राइमाफेसी केस तो बन गया ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

कोई जरूरी नहीं है कि अदालत में केस जाय तो निलम्बन हो ही जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो और भी जरूरी है ताकि वह एवीडेंस को प्रभावित न कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

फैक्ट्स के बारे में झगड़ा हो तो अदालत केफैसले तक के लिये रुक सकते हैं ।

श्री बलबीर सिंह—

जो मुकदमा अदालत में गया है उसमें प्राइमाफेसी केस होने के बाद अगर चार्ज लग गया तब भी क्या मन्त्री जी उनको मोअत्तल करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह शर्तिया सवाल है, उत्तर देना चाहें तो मन्त्री जी दे दें ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने पहले ही कहा है कि अगर प्राइमाफेसी केस बना तो विचार करेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते जब दावा दायर हुआ, यह नोटिस मिला था और सरकार ने उनको इजाजत दे दी थी और मुलजिम होने के बाद उन की तरफ का खर्च सरकार की तरफ से हो रहा है या वह व्यक्तिगत रूप से बरदाश्त कर रहे ह, इस मामले में क्या स्थिति है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसे मुकदमें की सूचना सरकार को करना आवश्यक नहीं है, इस में सरकार फरीक नहीं होती । अभी तक हमने उनके लिये कोई इजाजत इस तरह की नहीं दी है कि उनका खच सरकार बरदाश्त करेगी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

उत्तर में कहा गया है कि इस वारदात की इत्तिला उक्त स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ने कलेक्टर को भी शिकायत भेजी, तो कलेक्टर ने उस शिकायत पर शासन को अपने क्या कमेन्ट्स लिखकर भेजे?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैंने यह निवेदन किया है कि उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ उसकी शिकायत अनेक श्रोतों से, उनके साथियों से और उन से कलेक्टर को मिली और उन्होंने भी उन से सीधे शिकायत की, कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार को भी लिखा और जैसे ही सरकार को वह मिली वैसे ही इस मामले की जांच के आदेश दिये गये। और इसी दरमियान में उन्होंने मुकदमा वायर कर दिया।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

जिलाधीश को जो शिकायत हुई उस शिकायत पर क्या सरकार को उन्होंने कोई कमेन्ट्स भेजे या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जायगी तब तक उनकी कोई आख्या नहीं जायेगी। जब जांच पूरी हो जायगी, रिपोर्ट आयेगी। पूर्व इसके कि हमें सूचना मिलती, हमने लिख दिया कि इसकी भी आप जांच करें।

*8---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

[4थे सोमवार के लिये प्र0 सं0 71 के अन्तर्गत स्थगित।]

टी० बी० सेनेटोरियम, भुवाली में रोगियों की मृत्यु

*9---श्री त्रिलोक चन्द, (जिला बुलन्दशहर), श्री राम किंकर, श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री महाबीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0 बी0 सेनेटोरियम, भुवाली जनपद नैनीताल में 3 नवम्बर सन् 1972 से दिनांक 15 नवम्बर, के बीच कितने लोगों की मृत्यु हुई और क्या यह सही है कि देख-रेख की लापरवाही की वजह से रोगियों की मृत्यु हुई? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

दिनांक 3 नवम्बर 72 से 15 नवम्बर तक टी0 बी0 सेनेटोरियम, भुवाली में चार रोगियों की मृत्यु हुई इनकी मृत्यु देख रेख की लापरवाही से नहीं हुई। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिलोक चन्द---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 3 नवम्बर से 15 नवम्बर तक वहां पर 2 यूनियनों का झगड़ा था जिसके कारण मरीजों की देख-रेख नहीं हो सकी और उनकी मृत्यु हुई ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

इस दरमियान में कोई झगड़ा नहीं था।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे परिस्थितियां क्या थीं जिनमें मरीजों की मृत्यु हुई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

हालत बीमारी की थी ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या बीमारी थी, अगर लापरवाही से मृत्यु नहीं हुई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं या चारों के बारे में ?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आप सभी के बारे में बता दें ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

श्री दलीप सिंह उम्र 60 वर्ष, निवासी जिला चमोली 21–10–72 को निःशुल्क गेडिया क्षयरोगाश्रम में भर्ती हुए थे । इसके पूर्व 8 माह से बीमार थे । थूक में कीटाणु थे । 21–10–72 का क्षय-किरण चित्र बताता है कि दोनों तरफ काफी बीमारी थी । 21–10–72 से 30–10–72 तक गडिया क्षयरोगाश्रम के मेडिकल आफिसर डा0 बी0 पी0 शुक्ला के इलाज में थे । उनका वहां बोल बन्द हो गया इसलिये 30–10–72 को भुवाली क्षयरोगाश्रम में स्थानान्तरित कर दिया गया था । वहां पर वे 4–11–72 तक बेहोश रहे । भुवाली में वह डा0 एम0 एम0 लाल, मेडिकल आफिसर की देखभाल में थे इनको जनपद शल्यक नैनीताल ने भी दिनांक 4–11–72 को देखा था । इलाज भरपूर व भलीभांति हुआ व नली से भी भोजन दिया गया । 4–11–72 की रात्रि में 10–40 पर मृत्यु होगी । मृत्यु का कारण इनकी वृद्धा अवस्था क्षयरोग व बेहोशी थी ।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

औरों के बारे में क्या स्थिति थी ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें तो बहुत समय लग जायगा ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

वे भी क्षय रोगी थे । वहां पर ऐसे ही लोग जाते हैं ।

बलरामपुर और सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में दवाओं का आवंटन

*10—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित) श्री शिवपाल सिंह, श्री भारत सिंह चौहान, (जिला इटावा) श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जनपद के बलरामपुर और सिविल चिकित्सालय को वित्तीय वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में विधायकों की चिकित्सा के लिये कितनी-कितनी धनराशि की दवायें आवंटित की गईं और उसमें से वर्षवार कितना-कितना व्यय हो चुका है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

विस्तृत सूचना नीचे दी गयी तालिका में इंगित है:—

चिकित्सालय का नाम	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	जनरल स्टोर से दी गयी अतिरिक्त दवाओं का मूल्य	प्रयोग में लायी गई धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
बलारामपुर चिकित्सालय	1970–71	18,000	विधायकों को जनरल स्टोर से भी दवाइयां दी गयीं परन्तु उसका अलग हिसाब नहीं रखा गया है।	17,991.03
	1971–72	13,000		12,974.02
	1972–73	8,000 + 15,000 (परिवार के सदस्यों हेतु)		14,621.86
सिविल चिकित्सालय	1970–71	3,000	77,000	80,000.00
	1971–72	53,000	40,000	92,808.84
	1972–73	3,000 + 5,000 (परिवार के सदस्यों हेतु)	50,000	89,001.16 (कालम 3 तथा 4 में दी गयी दवाओं के अतिरिक्त रुपये 31,001.16की दवायें और दी गयी जिनका भुगतान किया जाना शेष है)

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्य के गांवों के लिये स्वास्थ्य सेवा योजना

*11—श्री शम्भूनाथ चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के बारे में वित्तीय वर्ष 1972–73 में कोई ऐसा परिपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें वर्ष 1976 तक प्रत्येक राज्य को गांवों की सम्पूर्ण जनता को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिये एक विस्तृत योजना बनाने का निर्देशन दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित परिपत्र क्या है और इस योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*12—श्री हरी सिंह विष्ट—

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*13—श्री हरी सिंह विष्ट—

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

सूखे से कृषि को हानि तथा कार्यवाही

*14—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 1971–72 व अप्रैल, 1972 से फरवरी 1973 तक सूखे के कारण कितनी कृषि की हानि हुई? सरकार ने राहत के लिये कितनी धन-राशि बांटी और क्या-क्या कदम पीड़ितों की सहायता हेतु उठाये?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

प्रदेश में वर्ष 1971–72 में कोई क्षेत्र सूखे से प्रभावित नहीं हुआ। वर्ष 1972–73 में प्रारंभ में सूखे से खरीफ की फसल में 28 लाख टन गल्ले की हानि होने का अनुमान लगाया गया था परन्तु बाद में वर्षा होने के कारण हानि काफी कम हो गयी। विभिन्न मदों में निम्न धनराशि 31–1–72 तक की गयी:—

1—टेस्टवर्क	2,98,40,131	रुपये
2—अहेतुक सहायता	46,59,545	रुपये
3—बीज	1,10,80,332	रुपये
इसके अतिरिक्त तकावी के लिये आवंटित किया गया	3,41,00,000	रुपये

सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये पूरे प्रदेश में कृषि देयों की वसूली रोक दी गयी। सभी नहरों तथा नलकूपों को पूरी क्षमता से चलाने के आदेश दिये गये तथा खराब नलकूपों को तुरन्त ठीक कराया गया। औद्योगिक संस्थानों व अन्य उपभोक्ताओं को बिजली में कटौती करके नलकूपों को बिजली उपलब्ध करायी गयी। जिन क्षेत्रों में फसल नहीं बोयी जा सकी अथवा बोयी हुई फसल सूख गयी थी वहां बाजरा तथा चारे की फसल उगाई गई तथा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में अगहनी धान लगाया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयी मनुष्यों तथा पशुओं के बीमारी को रोकथाम के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गयी। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये टेस्टवर्क चलाये जा रहे हैं। खरीफ की फसल को पहुंची क्षति को पूरा करनेके लिये रबी में अधिक उत्पादन के लिये एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। पेयजल की व्यवस्था की गयी। किसानों को उर्वरक तथा बीज के लिये तकावी वितरित की गयी। चारे की कमी को दूर करने के लिये वन विभाग के चरागाहों तथा नहरों की पटरियों पर चराई निःशुल्क कर दी गयी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित यह कहा गया कि सूखा से खरीफ की फसल में 28 लाख टन गल्ले की हानि का अनुमान था लेकिन बाद में हानि कम हुई। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अब हानि कितनी रही होगी?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, उपलब्ध आंकड़ों क अनुसार पिछले वर्ष 58 लाख टन खरीफ हुई थी और इस वर्ष 52 लाख टन। अनुमानतः 10 लाख टन के अन्दर-अन्दर क्षति हुई होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, मन्त्री जी कृपया यह और बता दें कि सूखा क्षेत्र में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गयीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

केवल एक प्रश्न और यह जो कहा गया कि खरीफ की क्षति को पूरा करने हेतु रबी आदि के उत्पादन के कार्यक्रम चलाये गये तो वह विशेष कार्य-क्रम क्या थे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अधिक से अधिक क्षेत्रफल में रबी बोवाने की कोशिश की गयी। जो क्षेत्रफल खरीफ के थे, लेकिन सूखे की वजह से खरीफ नहीं बोई गयी, वहां कुछ ऐसे अन्न की बुआई हुई, जो जल्दी पैदा होते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

जो अधिक से अधिक रबी बोने की कोशिश की गयी और जहां खरीफ थी, उसकी कोशिश की गयी, तो उनके लिये सिंचाई के क्या कार्यक्रम अपनाये गये?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, यह तो उत्तर में दिया है कि कोशिश यह की गयी कि बिजली की कटौती उद्योग से करके, कृषि को दी जाय।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

बिजली की कटौती तो 24 घंटे में केवल 6 घंटे दी जा रही है। तो यह कहना गलत है कि कृषि के लिये कटौती दे रहे हैं।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब फसल की हानि हुई है तो ऐसी स्थिति में किसानों के लगान माफ करने के कोई आदेश भेजे हैं और यदि नहीं भेजे हैं, तो क्या भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, इसके लिये कोई आदेश नहीं भेजे गये हैं और न ऐसे आदेश भेजने की आवश्यकता है। उसमें बने हुए नियम हैं, जिसके अनुसार यदि फसल कम होती है या सूखा पड़ता है, तो इस बात की संस्तुति आती है और यहां वह मंजूर की जाती है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट:--तारांकित प्रश्न 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*15—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

कुमायूं पंचायत व फारेस्ट रूल्स

*16—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं वन पंचायतों व सिविल वनों के भविष्य के कार्य-संचालन के लिये 19 अगस्त, 1972 को राज्यपाल महोदय द्वारा नये नियमावली को अध्यादेश द्वारा प्रकाशित किया गया उसके प्रबल विरोध में तथा उक्त नियमावली को तुरन्त निरस्त करने की मांग पर्वतीय क्षेत्र के समस्त विधायकों व सार्वजनिक संस्थानों तथा कुमायूं गढ़वाल वन समिति की नवम्बर, 1972 की बैठक में सर्वसम्मति से की गई है? यदि हां, तो उस मांग के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वन मन्त्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

दिनांक 18 मई, 1972 के अधिसूचना द्वारा कुमायूं पंचायत फारेस्ट रूल्स का अतिक्रमण करके पंचायती वन नियमावली, 1972 जारी की गयी जो दिनांक 20 मई, 1972 के सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित हुई और इसी दिनांक से उक्त नियमावली नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल तथा चमोली जिलों में लागू हुई । उक्त नियमावली के विरोध में कुमायूं वन पंचायत समिति रानीखेत का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गयी है कि उक्त नियमावली को निलम्बित कर दिया जाय और उसके स्थान पर एक अधिनियम बनाया जाय। कुमायूं एवं गढ़वाल वन समिति ने भी यह सुझाव दिया है कि उक्त नियमावली के स्थान पर अधिनियम बनाया जाय। इस विषय में प्रश्नकर्ता से तथा अन्य लोगों से भी पत्र प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त मांग एवं सुझाव शासन के विचाराधीन है ।

*17—श्री पारस नाथ सिंह—

[9वें शुक्रवार के लिये प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ऊसर भूमि के वितरण से कठिनाइयां

*18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने माह जनवरी, सन् 1973 में एक इस आशय का पत्र दिया है जिसमें ऊसर भूमि को भूमिहीनों आदि में बांट देने से प्रदेश के ग्रामीण अंचल के धोबियों को ऊसर भूमि से रेह न मिलने के कारण इनका पेशा प्रभावित हुआ है एवं अन्य सम्बन्धित कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं जिससे इस वर्ग को काफी असन्तोष है? यदि हां, तो इस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, पत्र मिला है । राजस्व परिषद् से तथ्य मांगे गये हैं ।

*19—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

*20—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

उत्तराखण्ड़ के जिलों में अस्थाई कर्मचारी

*21—श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तराखण्ड के तीन जिलों पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में उनके विभाग के कितने कर्मचारी पिछले 12 वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ? क्या वहां के कर्मचारियों में सरकार के इस रवैये के कारण व्यापक असन्तोष फैला है? यदि हां, तो सरकार इसे दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में राजस्व विभाग से संबंधित 183 कर्मचारी पिछले 12 वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले से अस्थायी पदों को स्थाई करने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, वहां के 138 अस्थाई पदों को वर्ष 1973–74 की नई मांगों के माध्यम से स्थायी करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है। चमोली तथा उत्तरकाशी जिलों के प्रस्ताव शासन को समय से नहीं प्राप्त हुए थे इसलिये इन जिलों के अस्थाई पदों को इस वर्ष स्थाई करने पर निर्णय नहीं लिया जा सका परन्तु यह सिद्धांततः स्वीकार किया जा चुका है कि अगले वर्ष इन पदों को स्थायी करने पर विचार किया जायगा।

*22—श्री भारत सिंह चौहान तथा श्री महाबीर सिंह चौहान—

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

बरेली मण्डल के अस्पतालों में एम० बी० बी० एस० डाक्टर

1—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल के अन्तर्गत कौन-कौन से ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जिनमें एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टरों की नियुक्ति का प्राविधान है और उनमें से किस-किस में और कब से डाक्टर नहीं हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

वांछित सूचना संलग्न †तालिका में दी हुई है।

न्यूज एजेन्सीज को बिजली कम मिलने के संबंध में परिप्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

कल मैंने, मान्यवर, एक प्रश्न उठाया था....

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

कल यहां, मान्यवर, सवाल उठाया गया था कि जो न्यूज एजेंसीज हैं, इनको बिजली नहीं मिलती। अखबारों को तो मिल जाती है लेकिन इन न्यूज एजेंसीज को नहीं मिलती; साढ़े-छः बजे मिलती है। कल सवाल उठाया गया था इस पर। इसके पहले 9 तारीख को इसी महीनें, मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन भी दिया था। मान्यवर, इस वक्त बिजली मन्त्री जी मौजूद हैं। यह सवाल सबके हक में है, उनको बिजली मिलनी चाहिये।

---

†छापी नहीं गयी।

मान्यवर, ऐसा है कि जो न्यूज एजेन्सी हैं जैसे यू0 एन0 आई0 है, पी0 टी0 आई0 है, और समाचार पत्रों की ऐजेंसी हैं उनको बिजली नहीं मिल पा रही है, जब कि अखबारों को मिलती है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इनके कहने का मतलब यह है कि इनको बिजली कम मिलती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

6 बजे तक इनको बिजली नहीं मिलती और 6 बजे के बाद जब मिलती है तो रश हो जाता है क्योंकि उसी समय सभी न्यूज भेजना चाहते हैं । समाचार पत्रों को एमरजेंसी में रेगूलर सप्लाई मिलती है । अतः आपकी तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यह मामला सदन से सम्बन्धित है । आप इसको अहमियत दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस करना चाहते हैं । विद्युत मंत्री जी स्वयं इसका उत्तर देंगे ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, ऐसा है कि इस सम्बन्ध में जो ऐजेंसीज हैं उनके प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है । विद्युत परिषद् से भी इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये थे, लेकिन उनकी कठिनाई यह है कि केवल यह लखनऊ शहर का मामला नहीं है बल्कि और कई शहरों का मामला है जहां कि टेलीप्रिन्टर सर्विस है । अगर फीडर लाइन खोली जाती है तो कई जगह के लिये बिजली खुल जायेगी और उसका फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इन कठिनाइयों का निराकरण करने के लिये यह कहा गया है कि डाइरेक्ट फीडर लाइन अपने टेलीप्रिन्टर से सबस्टेशन तक बनवा लें। उन्होंने कहा भी है कि वह ऐसा करने का प्रयास करेंगे । बातचीत चल रही है, कोई न कोई समाधान निकलेगा ही ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जैसा मंत्री जी ने बयान में बतलाया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से डायरेक्ट लाइन के लिये कहा गया है तो उनका कहना यह है कि वह ऐसा करने वाले नहीं हैं । इसलिये मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि आप इसके अन्दर आदेश दें क्योंकि सदन के जो समाचार हैं वह छप नहीं पाते हैं ।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री अनन्तराम जायसवाल को बुलाया है । आप बैठ जायं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, ऐसा है कि जो सदन की कार्यवाही होती है उसको बाहर के अखबारों में स्थान नहीं मिल पाता है क्योंकि ये जो न्यूज ऐजेन्सी हैं पी0 टी0 आई0 और यू0 एन0 आई0 इनके डिस्पेत्र समय से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि उनको बिजली नहीं मिलती है और जब समय से डिस्पेच नहीं जा पायेंगे तो अखबारों में छप नहीं पाते । जहां तक न्यूज ऐजेन्सीज के प्रतिनिधियों का प्रश्न है ये सरकार से और विद्युत परिषद् से बातचीत कर चुके हैं और कोई भी निराकरण नहीं हुआ, इसलिये यह मामला आप के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और मैं आप से हस्तक्षेप इसलिये

[श्री अनन्तराम जायसवाल---]

चाहूंगा ताकि इस सदन की कार्यवाही छपती रहे। जहां तक इस सरकार का सवाल है, इसकी जो दुर्दशा है इस वक्त, जो इसके रोज-ब-रोज के कारनामे हैं, यह तो चाहते हैं कि ब्लैक आउट हो जाय और सारी कार्यवाही सदन में रहे और बाहर कहीं जाने न पाये। इसलिये या तो यह स्पष्ट आश्वासन दें या कोई उपाय आप निकालें जिससे सदन की कार्यवाही छपती रहे। यह मेरा आप से निवेदन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, जैसा मैंने बताया इसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है और यह केवल लखनऊ की बात नहीं है। और अगर केवल लखनऊ की बात हो तो आज ही आदेश दिलवाये जा सकते हैं, लेकिन दूसरे शहरों के बारे में समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, यह सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिजली का संकट टेम्परेरी है, लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने अखबारों की न्यूज ऐजेंसी के लिये डायरेक्ट लाइन बनाने की बात कही, तो इसका अर्थ यह है कि परमानेंट बेसिस पर इनके दिमाग में कोई बात है क्योंकि एक तरफ तो यह मई-जून तक बिजली के संकट की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब डायरेक्ट लाइन की बात करते हैं तो यह टालू मिक्स्चर देना चाहते हैं। यह कितनी असम्भव बात है कि हर टेलीप्रिन्टर के लिये अलग लाइन हो।

श्री अध्यक्ष---

आप ऐसा कीजिये कि नित्यानन्द जी, चन्द्रभान जी और दूसरे नेता लोग तथा वित्त मंत्री मेरे कमरे में तीन साढ़े तीन बजे आ जायं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अखबार वालों के प्रतिनिधियों को भी बुला लें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। पब्लिक एक्सचेक्र पर इतना बर्डन पड़ जाय कि हम न सहन कर सकें तो उसे रोकना चाहिए। बरेली में सेठ काशीनाथ जी कपड़े की दुकान खोल रहे हैं जिसका उद्घाटन करने हमारे गवर्नर साहब जा रहे हैं। कितना खर्चा होगा आप अन्दाजा कर लें। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जब कोई पब्लिक इम्पारटेंस की चीज नहीं रह गयी तो यही काम सही।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 जो विधान सभा द्वारा 13 मार्च, 1973 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 16 मार्च, 1973 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 जो विधान सभा द्वारा 12 मार्च, 1973 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 16 मार्च, 1973 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 जो विधान सभा द्वारा 15 मार्च, 1973 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के 16 मार्च, 1973 को वापस प्राप्त हो गया है।

गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपको याद होगा कि सदन में माननीय गोस्वामी जी ने आश्वासन दिया था कि 22 मार्च से जबसे परीक्षाएं शुरू होंगी तब से जो अध्यापक और गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनका पारिश्रमिक बढ़ा देंगे। अध्यापकों का पारिश्रमिक तो बढ़ा दिया लेकिन गैर शिक्षक कर्मचारियों में जो क्लर्क हैं या चपरासी हैं उनका नहीं बढ़ाया है। करीब 20 हजार लोग हड़ताल पर हैं और परीक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं। इससे परीक्षाओं पर बड़ा भारी असर पड़ रहा है। आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा। आज के बाद सदन भी चार दिन के लिये बन्द हो रहा है। परीक्षाओं में कोई व्यवधान न हो तो क्या मंत्री जी फोर्थ क्लास एम्प्लाईज एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने की घोषणा करेंगे।

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

माननीय वित्त मंत्री और मैंने सदन को सूचना दी है कि गैर शिक्षक कर्मचारियों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि कर दी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नहीं की गयी है। अगर कर दी है तो हड़ताल क्यों हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

हड़ताल हो रही है वह दूसरी बात है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अभी इनके आदेश नहीं पहुंचे होंगे।

पिजन होल्स में निजी पत्रादि रखने पर आपत्ति

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं कि क्या आपने इजाजत दी है कि पिजियन होल में भारती गांधी के प्राइवेट कागज रखे जांय। भारती गांधी जगदीश गांधी की धर्म पत्नी हैं। अगर आपने इस तरह की इजाजत दे रखी है तो हर आदमी यहां से कागज भिजवायेगा। उनको चाहिए कि वह टिकट के पैसे खर्च करें। यह काम पोस्ट आफिस ऐक्ट के खिलाफभी है। यहां के कर्मचारियों से प्राइवेट काम लिया जा रहा है। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यहां व्यवस्था नहीं दे सकता। पहले मैं देख लूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

हो सकता है कि उन्होंने एहतियात के लिये यह मुनासिब समझा हो कि उनके पति के जरिये डाक आवे। तो मान्यवर, माननीय सदस्य को यह अधिकार कहां से मिल जाता है ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हर सदस्य के पिजन होल में ये कागज रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

स्काउट एण्ड गाइड के होंगे।

जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट में संशोधनार्थ याचिका

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं जमींदार्स डेट रिडक्शन ऐक्ट की धारा 9 में एक स्पष्टीकरण जोड़ने के विषय में श्री नरेन्द्र देव पुत्र श्री शिव शंकर निवासी 61, नया गांव पूरब, लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की कोई सूचना नहीं है।

अनुदानों के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज सुबह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। उसमें जो निर्णय लिये गये उसकी सूचना सचिव विधान सभा पढ़ कर सुनायेंगे।

सचिव विधान सभा—

कार्यमंत्रणा समिति की आज दिनांक 23-3-73 की बैठक में हुए निश्चय के अनुसार मैं वर्ष 1973-74 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विवाद एवं मतदान के पुनरीक्षित तिथिवार कार्यक्रम की सूचना देता हूं जो इस प्रकार है—

वित्त, विद्युत एवं संसदीय कार्य मंत्री	6—स्टाम्प 7—निबन्धन 8—राज्य विधान मंडल	विवाद नहीं होगा।

	39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें 51—पशनों का राशिमूल्य 4—बिक्री-कर 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम		विवाद नहीं होगा
शिक्षा मंत्री	18—शिक्षा	2 दिन	30—3—73 एवं 2—4—73
स्वायत्त शासन एवं खाद्य तथा रसद मंत्री	36—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान 43—प्रकीर्ण व्यय	1 दिन	3—4—73
	16—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	1 1/2 दिन	4—4—73 एवं 5—4—73
	52—राज्य व्यापार की योजनाएं		
वन तथा पर्यटन मंत्री	42—वन	1/2 दिन	5—4—73
कारागार एवं आबकारी मन्त्री	3—राज्य आबकारी 14—कारागार	1/2 दिन 1/2 दिन	6—4—73
हरिजन सहायक मंत्री समाज कल्याण नागरिक सुरक्षा तथा पर्यटन मंत्री	29—अनुसूचित और पिछड़ी जातियां 30—समाज कल्याण		1 दिन 12—4—73
न्याय मंत्री	9—निर्वाचन 13—न्याय प्रशासन	1/2 दिन 1/2 दिन	17—4—73
राजस्व सहायता एवं पुनर्वास तथा विधायिका मंत्री	1—बृहत जोत कर 2—भू-राजस्व 38—दुर्भिक्ष सहायता	1 दिन	18—4—73
मुख्य मंत्री	5—अन्य कर और शुल्क 17—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य 40—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते 41—लेखन सामग्री और मुद्रण 9—सामान्य प्रशासन ।		विवाद नहीं होगा

	11—आयुक्त और जिला प्रशासन 15—पुलिस 44—नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन		2 दिन 19—4—73 एवं 23—4—73
राज्य मंत्री, परिवहन	17—श्रम और सेवायोजन	1 दिन	24—4—73
	37—परिवहन	1 दिन	25—4—73
	50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय		
सिंचाई मंत्री	31—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाईके निर्माण काय		26—4—73
	32—सिंचाई अधिष्ठान	1/2 दिन	एवं
	47—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय		27—4—73 (1/2 दिन)
	48—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय		
समुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री	12—गांव सभायें और पंचायतें	1/2 दिन	27—4—73 (1/2 दिन)
	24—सहकारिता	1 दिन	1—5—73
स्वास्थ्य मंत्री	19—चिकित्सा 20—सार्वजनिक स्वास्थ्य	1 दिन	2—5—73
कृषि तथा पशुपालन मंत्री	21—कृषि संबंधी विकास 22—उपनिवेशन 23—पशुपालन तथा मत्स्य पालन 45—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2 दिन	3—5—73 एवं 4—5—73
मुख्य मंत्री	25—उद्योग 46—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	1 दिन	8—5—73
सूचना तथा शिक्षा मंत्री	26—नियोजन तथा समन्वय 28—सूचना निदेशालय	1/2 दिन 1/2 दिन)	9—5—73
सार्वजनिक निर्माण मंत्री	33—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

किये जाते हैं।	1 दिन	
34—संचार साधनों का सुधार 35—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय		10—5—73 4.30 अपराह्न तक

तदनुसार दिनांक 13 अप्रैल, तथा 7 मई, 1973 को विधान सभा की बैठकें नहीं होंगी। कार्यक्रम की छपी हुई प्रतियां आपको शीघ्र ही पृथक से दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

अब 13 अप्रैल व 7 मई, 1973 को विधान सभा की बैठक नहीं होगी। 7 मई, 1973 को भारतीय क्रांतिदल की इलाहाबाद में बैठक होगी, इसलिए यह थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा।

वित्तमन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो प्रस्ताव किया है वह स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह केवल सूचना है।

कतिपय समितियों के निर्वाचनार्थ कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

इलेक्शन के बारे में यह तय हुआ कि :

(1) वित्तीय वर्ष 1973—74 के लिये लोक लेखा समिति के 21 सदस्य, प्राक्कलन समिति के लिये 25 सदस्य तथा 26 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16—16 सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(2) यही परिवर्तित कार्यक्रम रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये चार सदस्यों के निर्वाचनार्थ रखा गया है।

(1) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय 5 अप्रैल, 1973 के अपरान्ह 3 बजे तक।

(2) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय 6 अप्रैल, 1973 के अपरान्ह 2 बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे म)।

(3) नामों के वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय 18 अप्रैल, 1973 के 4 बजे तक।

(4) मतदान यदि आवश्यक हुआ तो 23 अप्रैल, 1973 को लोक लेखा, प्राक्कलन समिति तथा रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये और (2) 24 अप्रैल, 1973 को 26 स्थायी समितियों के लिये दिन के 12 बजे से 5 बजे तक तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

अब मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

मंधना चौकी, थाना कल्याणपुर, जिला कानपुर में श्री चंद्रिका प्रसाद मिश्र, निवासी रमेल नगर, थाना बिठूर, कानपुर की कथित मृत्य के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्यमंत्री (गोस्वामी राधाकृष्ण)—

दिनांक 23-2-73 को चौकी मन्धना थाना कल्याणपुर जिला कानपुर की पुलिस के दो सिपाहियों को जो कस्बा मन्धना में गस्त पर थे, करीब 4 बजे शाम सूचना मिली कि मंधना बाजार में एक आदमी नाजायज अफीम लिये हुए ह । इस सूचना पर दोनों कांस्टेबिलों ने गवाहों की सहायता से उक्त व्यक्ति को पकड़ा जिसने पूछने पर अपना नाम चन्द्रिका (पूरा नाम चन्द्रिका प्रसाद मिश्र) निवासी ग्राम रमेल, थाना बिठूर, कानपुर बताया । तलाशी लेने पर उसकी जेब से करीब एक तोला नाजायज अफीम बरामद हुई । इसी दौरान चन्द्रिका प्रसाद ने अफीम जसी गोली खा ली । कुछ ही देर में उसे बचनी व बेहोशी महसूस होन लगी । दोनों कांस्टेबिलों में से एक कांस्टबिल न चन्द्रिका को तुरन्त टेम्पों द्वारा सीधे अस्पताल ले जाकर करीब 5.15 बजे दाखिल किया । अस्पताल में चन्द्रिका प्रसाद की लगभग 5.25 बजे मत्य हो गई ।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में दूसरे कांस्टेबिल द्वारा थाना कल्याणपुर पर दी गई सूचना के आधार पर चन्द्रिका प्रसाद के विरुद्ध धारा 9 ओपियम ऐक्ट तथा 309 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमे कायम किये गये ।

पोस्ट मार्टम परीक्षण से मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई और मृत्य का कारण ज्ञात नहीं हो सका अतः विसरा जांच हेतु भजा गया है । चन्द्रिका प्रसाद की मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

वक्तव्य परस्पर विरोधी बातें प्रकट कर रहा है । एक जगह कहा गया कि अफीम खाली लेकिन पोस्टमाटम में इसका जिक्र नहीं है । तो यह गम्भीर मसला है और उसकी मजीस्ट्रीअल इन्क्वायरी हो रही है । मरा निवदन यह है कि यह मामला झूठा है, मनगढ़न्त है । चन्द्रिका-प्रसाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नोटिस सर्वर है । नोटिस सर्व करने में उसकी पहले से दुश्मनी चली आ रही थी ।दोनों कांस्टबुलों न बुला कर किसी प्रकार से उसकी हत्या कर दी है जिसका पता नहीं है, इसलिये इन्क्वायरी हो रही है । यह छोटा सा क्षेत्र है और पुलिस चौकी का इन्चार्ज और कांस्टेबुल लोगों को धमका रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट के सामने कोई न जाय । इसलिये इन लोगों का स्थानान्तरण करना जनहित और न्याय की दृष्टि में उचित होगा, ताकि इन्क्वायरी ठीक से हो सक ।

श्री अध्यक्ष—

आप किसका ट्रांसफर चाहते हैं ।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

जो चौकी इन्चार्ज हैं और 2 कांस्टेबुल हैं जिनके खिलाफ मामला है,तो वह लोगों को धमका रहे हैं, इसलिये यह जनहित में होगा कि उनका स्थानान्तरण कर दिया जाय ताकि इन्क्वायरी ठीक से हो सके ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसी परिस्थिति में जबतक यह तथ्य न आ जाय कि वह धमका रहे हैं तबतक स्थानातरण करना उचित नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वह

इसको देख लें और मजिस्ट्रेट को भी इसका रिफरेंस दे दूंगा कि यदि इस तरह की बात हो तो वह इसकी सूचना द दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या कारण है कि जब पुलिस न उसको पकड़ लिया और अफीम बरामद कर ली तो फिर वह अफीम कस खा लेता ह ? यह जो इसके अन्दर इनहेरन्ट कंट्राडिक्शन है इसके बारे में मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जबतक हाथ में वह अफीम न ले ली जाती तब तक यह प्रश्न कहां उठता है कि उसने कैसे खा ली। उसके पास से अफीम जैसी चीज जेब से निकली और निकालते ही उसने खा ली और उसी से उसकी मृत्यु हुई।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मृतक के परिवार के लोगों ने भी इस मौत के बारे में कोई सूचना दी है और यदि दी है तो उसको आपने वक्तव्य का अंश क्यों नहीं बनाया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मृतक के पुत्र ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है। वह भी जांच का एक आधार है। लेकिन इसके पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और पुलिस कांस्टेबिल ने इस सम्बन्ध में सूचना भी थाने पर दी थी। उसी आधार पर मैजिट्रेस्ट की जांच के आदेश हो गये।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

मंत्री जी ने अभी यह कहा कि यह पता नही चल रहा है कि उनको कौन धमका रहा है और कैसे धकमा रहा है। मैं उसी क्षत्र का विधान सभा का सदस्य हूं और मैं यह सूचना दे रहा हूं। तो क्या आप मेरी बात को सही मान कर उन पुलिस कर्मचारियों का तुरन्त स्थानांतरण करेंगे ताकि ठीक प्रकार से न्याय हो सके और मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी ठीक प्रकार से संपन्न हो सके।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसा कि मैंने माननीय सदस्य से पहले ही निवेदन किया, माननीय सदस्य की सूचना के आधार पर ही पुलिस के अधिकारियों को मैं निर्देश दूंगा कि वह इसको देखें और मैजिस्ट्रेट से भी अनुरोध करूंगा कि वह देख लें कि इस तरह से प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मृतक के पुत्र ने जो सूचना दी है वह क्या है और माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में उसको स्थान क्यों नहीं दिया, खाली पुलिस वर्शन ही इस सदन में क्यों पेश किया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रार्थना-पत्र 1-3-73 को मिला। इसके पहले ही मैजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश हो चुके थे। जांच हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी। माननीय सदस्य ने अब अनुपूरक में पूछा तो मैंने उनको सूचित कर दिया।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन उसमें लिखा क्या है, वह संक्षेप में बता दीजिए।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

उसमें यही है कि इनको बहुत मारा पीटा जिससे उनकी मृत्यु हो गयी और पुलिस के कर्मचारियों का इतना आंतंक जनता पर छा चुका है कि गवाहान पुलिस के खिलाफ गवाही देने में घबरा रहे हैं क्योंकि कोई जनता का व्यक्ति वास्तविकता प्रकट न कर सके । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों का दबाव जनता पर पूरी तरह पड़ रहा है । अस्तु निवेदन है कि सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों का अविलम्ब स्थानांतरण करा दिया जाय । तभी निष्पक्ष जांच सम्भव हो सकेगी एवं वास्तविकता सामने आ सकेगी ।

प्रार्थना यह है कि इस घटना को कई व्यक्तियों ने देखा है और सही घटना को बताने के लिये तैयार हैं परन्तु स्थानीय पुलिस उन पर सत्य बात को छिपाने का भरसक दबाव डाल रही है । ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष जांच कैसे संभव हो सकती है । अ त: आप से अनुरोध है कि चौकी मंझना तथा थाना कल्याणपुर के पुलिस अधिकारी एवं सम्बन्धित कर्मचारियों को जांच के पूर्व ही वहां से हटाने का आदेश करने की कृपा की जाये । प्रार्थी अपने न्याय-पूर्ण अधिकारों हेतु आजीवन कृतज्ञ रहेगा । आशा है प्रार्थी को न्याय अवश्य मिलेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अब तो बिलकुल साफ हो गया । तो मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संतप्त परिवार के लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष गवाही नहीं होने दे रही है और इस सदन के एक माननीय सदस्य भी इसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तब आपको क्या दिक्कत है कि उन पुलिस अधिकारियों को हटा कर यह जांच करायी जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों के वक्तव्य पर या उनकी सूचना शंका पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन डाक्टरी रिपोर्ट में कहीं यह जिक्र नहीं है कि उसकी मृत्यु मारपीट या चोटों के कारण हुई । अब इस शंका पर केवल किसी को दंडित कर दिया जाय तो यह उचित न होगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जब मृतक के लड़के ने यह शिकायत की है कि पुलिस की दहशत की वजह से गवाही नहीं मिल रही है और अभी सदन के एक माननीय सदस्य ने इसकी सूचना सदन में दी है तो मन्त्रीजी को ट्रान्सफर करने में क्या आपत्ति है ? ट्रान्सफर करने में दंड देना कहां निहित है ? केवल इतनी ही मांग है कि पुलिस वालों का ट्रान्सफर कर दिया जाय ताकि निष्पक्ष जांच हो सके । तो क्या मंत्रीजी जिनके विरुद्ध आरोप हैं उनको लाइन हाजिर करेंगे और उनका ट्रान्सफर करेंगे ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मांग तो उनकी यह है कि थाने के सारे कर्मचारियों तथा चौकी के सारे पुलिस वालों को ट्रान्सफर कर दिया जाय । प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा करना सम्भव नहीं है । अगर इसमें कहीं पर भी उनकी गलती पायी जायेगी तो उनका ट्रान्सफर ही नहीं किया जायेगा बल्कि उनको दंड भी दिया जायेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि जब पैर के तलुओं पर डंडे से या किसी चीज से चोट पहुंचाई जाती है तो उससे चोट के निशान नहीं पड़ते और उसकी चोट के आघात से मृत्यु हो जाती है और इस तरह की चोटें ही अक्सर थानों में दी जाती हैं । तो इन सभावनाओं के होते हुए और यह देखते हुए कि एक नागरिक की मृत्यु हो गई है, ट्रांसफर की इस उचित मांग को स्वीकार करने में मंत्रीजी को क्यों आपत्ति है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिन कांस्टेबिल्स के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैंने उसके लिये आवश्यक निर्देश दे दिये हैं कि किसी तरह का दबाव न डाला जाय और यदि इसम तनिक भी संदेह पाया जायेगा तो मान्यवर, उनको तुरन्त हटाया जायेगा और उनको दंड भी दिया जायेगा। वैसे यदि वे अपने कर्त्तव्य का पालन करते रहे और उस कर्त्तव्य के पालन में उसकी मृत्यु हुई है तो हटाना सम्भव नहीं होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, यह सही है कि जब शाक से किसी की मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम में जिक्र नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत अन्य चोटों का जरूर जिक्र उसमें होता है, तलुओं की चोटों का जिक्र नहीं होता।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

तलुओं में भी चोटें होती हैं तो उसका कहीं रिपोर्ट में यह जिक्र तो होता ही है कि चोटों के कारण मृत्यु हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपने (मंत्री ने) आबजरवेशंस सुन लिए, अब आप इस पर पुनर्विचार कर लें और जो सही रास्ता हो वह अख्तियार करें।

श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी---

उसकी मौत पुलिस चौकी में हुई, कैसे हुई यह दूसरी बात है, वहां से रिपोर्ट आई कि उसने गोली खा ली जिससे उसकी मौत हुई, लेकिन उसका जो पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कुछ नहीं निकला। इस मामले को जब गम्भीर जिलाधिकारी ने हर तरह से समझा तो उन्होंने मजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी के आदेश दिये। अब उस इंक्वायरी के मार्ग में पुलिस वाले बाधा उपस्थित कर रहे हैं। सारे गवाहान को और उनके घरवालों को परेशान कर रहे हैं जिससे सही बात इंक्वायरी में न आ सके, जिसकी मुझे जानकारी है और मैं उस क्षेत्र का विधायक उस चीज को कह रहा हूं बार बार कि उन दो पुलिस कर्मचारियों को वहां से हटा दिया जाए, ताकि जो इंक्वायरी है वह ठीक प्रकार से सम्भव हो सके। किन्तु उससे मंत्रीजी इंक्वार कर रहे हैं। मैं उसका सख्त विरोधी हूं। जनहित और न्याय को सम्मान देने के लिये तथा निष्पक्ष इंक्वायरी सम्भव बनाने के लिये सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, उसका मुझे बहुत दुःख है और मैं मंत्रीजी के इस बात के विरोध में इस सदन का दिन भर के लिये त्याग करता हुं।

श्री अध्यक्ष---

मंत्रीजी ने आपके आबरजवेशंस सुन लिये हैं, मैंने उनसे कह दिया है, अब वह जो कार्यवाही पुनर्विचार करके उचित समझेंगे कर लेंगे।

(श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी सदन त्याग कर चले गये।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज के लिए मुझे 4 कामरोको प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मैंने एक को जो श्री नित्यानन्द स्वामी का "हरदोई चीनी मिल गेट पर मूक हड़ताल करने वाले मजबूर नेता की

[श्री अध्यक्ष---]

मरणासन्न स्थिति पर था, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। बाकी जो 3 हैं उनको अस्वीकार कर दिया है। एक तो श्री सुरेन्द्र विक्रम व बंशीधर पान्डय आदि माननीय सदस्यों का था कि शाहजहांपुर के जलालाबाद टाउन एरिया के पुलिस डिप्टी एस0 पी0 द्वारा लाखों रुपयों की लूट तथा सम्मानित व्यक्तियों एवं औरतों को घसीट कर थाना ले जान से गम्भीर स्थिति। यह जनरल सा सवाल है और विशेष महत्व का नहीं है। दूसरा श्री कल्पनाथ सिंह आदि का था---शासन की किसान विरोधी नीति के कारण खेतिहर मजदूरों एवं किसानों में हाहाकार। यह भी निश्चित विषय नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

यह बिलकुल निश्चित विषय है, उसमें लिखा है। बिजली वह दे नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें कई चीजें हैं जो आपने मिलाई हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने सरकार की किसान विरोधी नीति के बारे में कहा है उसके मैंने उदाहरण दिये हैं। लगान की वसूली हो रही है, लोग मुर्गा बनाये जा रहे हैं, लोगों को तबाह किया जा रहा है, उनकी फसल मारी गई। सरकार पानी नहीं दे पायी, उनकी फसल चौपट हो गई।

श्री अध्यक्ष---

यह सब आप बजट में कह सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

बजट में क्या, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस खड़ी पगुराय।

श्री अध्यक्ष---

तीसरा श्री हुकुम सिंह परिहार का था---आगरा कलेक्टरी तथा दीवानी बार एसोशिएशन द्वारा आगरा के हाईकोर्ट की स्थापना हेतु हड़ताल, इसको भी मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

किसानों के ऊपर यह सरकार आये दिन इतने जुल्म कर रही है कि सीमापार हो गई है। 3 रुपया प्रति हार्सपावर वह वसूल करते हैं। आप (अध्यक्ष) सरकार को बचाने में लगे हुए हैं।

1973–74 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

अध्यक्ष महोदय, बहुत से भाषण इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस वर्ष के इस बजट के ऊपर दिये हैं और अपने-अपने दृष्टिकोण से यहां पर विचार प्रकट किये हैं। मैं तो बोलने को उद्यत नहीं था। परन्तु मेरे साथियों ने आग्रह किया कि मैं भी इस पर अपने कुछ विचार प्रकट करूं।

---

†22 मार्च, 1973 की कार्यवाही से,

जब मैं इस बजट पर दृष्टिपात करता हूं तो मैं इसको एक ही पैमाने से नापने की चेष्टा करता हूं । क्या यह उन घोषणाओं के अनुरूप है, उन विचारों के अनुरूप है, जिन्हें आज की सरकार और आज का नेतृत्व वर्ग जो इस देश की सत्ता को हाथ में रखे हुए, रखती है । क्या विभिन्न बजटों के द्वारा, चाहे केन्द्र की सरकार द्वारा बनाये जा रहेहों, या पेश किये जा रहे हों, चाहेंप्रदेश की सरकारों द्वोरा बनाये या पेश किये जा रहे हों, क्या ये उनके विचारों को प्रतिम्बित करते हैं जिनको जनता के बीच में वे समय समय पर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और क्या वे उन वास्तविकताओं को सामने रख कर बजट रखते हैं जिन वास्तविकताओं से प्रदेश और देश की जनता को गुजरने का अवसर मिल रहा है ? और यदि मैं उस पैमाने से इस बजट को भी नापने का प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट भी उन्हीं पुरानी पद्धतियों के अनुरूप है जो ऐसे, जिन्हें हमारे तमाम साथी जो एक ही रात में क्रन्तिकारी बन गये, समाजवादी हो गये, जो हमें प्रतिक्रियावादी कहते है, और मुझे मैं ही नहीं उन सब को जो उनके सामने बैठने वाले साथी हैं, जिन्हें वे प्रतिक्रियावादी कहते हैं, क्या यह बजट स्वतः उनक समाजवादी और क्रान्तिकारी विचारों को प्रतिबिम्बत कर रहा है ?

यह तो पन्त जी जिस तरह से बजट पेश करते थे, सम्पूर्णानन्द जी की सरकार बजट पेश करती थी, साथ ही मेरी सरकार और मेरी सरकार के वित्त मंत्री जी बजट पेश करते थे, चरणसिंह जी की सरकार और उनके वित्त मंत्री जी बजट पेश करते थे, उन्हीं तौर तरीकों को अपना कर यह बजट प्रस्तुत किया गया है । कौन इस बजट के अन्तर्गत नयी बात है ? कौन सी वास्तविकताओं को सामने रख कर बजट हमारी नजरों के सामने आया है ? इसमें कई विषयों को अवश्य मैंने देखा, जो विषय न पंत जी की जमाने , न सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में थे और न मेरे कार्यकाल में, न चरण जी के कार्यकाल में थे ।

1946 से जो बजट पेश हो रहे थे, उन में यह डिस्कशनरी फंड जो होता है वह अलावा स्वास्थ्य मंत्री के और शिक्षा मंत्री के या मुख्य मंत्री के पास रहता था । वही उसका इस्तेमाल करते थे और यदि मंत्रिगण किसी विशेष परिस्थिति में कुछ मांग किसी के लिये करते थे तो मुख्य मंत्री की डिस्क्शनरी ग्रान्ट से उस व्यक्ति या संस्था को वह रुपया मिल जाया करता था । पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी मैने देखा कि कुछ अधिक डिस्क्शनरी ग्रान्ट्स बजट में प्रस्तुत की गयी और अब की तो केवल उनमें कुछ वृद्धि ही की गयी है बल्कि नई नई डिस्क्शनरी ग्रान्ट्स कई मंत्रियों के साथ जोड़ दी गयी हैं । चाहे मिनिस्टर फार एनिमल हस्बेंडरी, चाहे मिनिस्टर फार कोआपरेशन, चाहे फायनेन्स मिनिस्टर, चाहे मिनिस्टर फार रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, चाहे सामुदायिक विकास मंत्री अथवा मुख्य मंत्री हों सबके लिये डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट्स इस साल रख दी गयी है ।

पंत जी जमाने में के बाद सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में 75 हजार रुपया मुख्य मंत्री के पास डिस्क्शनरी ग्रान्ट के लिये रहता था और इस वर्ष कदाचित 2 लाख रुपया मुख्य मंत्री ने डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट के बतौर कर लिया । अबकी जैसा बजट में है कि विभिन्न मंत्रियों के नाम डिस्क्शनरी ग्रान्ट दिखाई गयी हैं । एनिमल हस्बैंडरी के मंत्री के 10 हजार रुपया अपनी डिस्क्शनरी ग्रान्ट में रखा है, मिनिस्टर फार कोआपरेशन ने भी बढ़ा कर 10 हजार रुपया कर लिया, मिनिस्टर फार फायनेन्स ने बढ़ा कर 50 हजार कर लिया, स्टेट मिनिस्टर फार हिल डवलमट ने 20 हजार की नई डिस्क्शनरी ग्रान्ट कर ली है, रिलीफ एण्ड रिहबिलिटेशन मिनिस्टर न उसे 50 हजार कर लिया है और सामुदायिक विकास तथा वित्त मंत्री ने 85 हजार कर ली है और मुख्य मंत्री की चर्चा मैंने कर ही दी है । फायनेन्स मिनिस्टर ने ग्रान्ट एन एड के तौर पर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिये 50 हजार रुपया कर लिया । ये आंकड़े इस साल के बजट में हैं ।

डिस्क्शनरी फंडस जो मंत्रियों के डिसपोजल पर रखेजाते हैं वे फंडस जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत होते हैं उनसे बाहर होते हैं और जो कुछ उनमें खर्च किया जाता है उन पर

[श्री चन्द्र भानु गुप्त---]

सदन में चर्चा नहीं होती। इस तरह से खर्चे को बढ़ाना तथा हर मिनिस्टर के लिये डिस्क्रिशनरी फंड रख देना कहां की दूरदर्शिता है और कहां तक यह फायनेन्शियल कंट्रोल रखने की बात है? इस तरह स तो हमारे बजट में लूजनेस इन फायनेन्स पैदा किया जा रहा है और मैं इसके विरुद्ध हूं। मैं इस लिये विरोधी हूं कि आज के वातावरण में जितनी डिस्क्रिशनरी बातें होंते हैं उनका अधिकतर दुरुपयोग ही होता है, और पक्षपात पूर्ण ढंग से होता है। ये फंडस जो विभिन्न मंत्रियों के डिस्क्रिशन के लिये रख दिये गये हैं उनका जब वे इस्तेमाल करते ह तो वे मुख्य मंत्री के सामने नहीं आते। अगर मुख्य मंत्री स्वतः सचेत तथा जागरूक हो तथा फंडस की देखरेख करता हो तब तो वह अपनी देखरेख के द्वारा एक मिसाल पेश कर सकते हैं। जिससे कि हर फन्डस का दुरुपयोग न हो और फन्डस गलत ढंग से तथा गलत तौर-तरीकों से इस्तेमाल न किये जांय। यह विशेषता अवश्य मैं इस बजट में देख रहा हूं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा यह बजट वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित नहीं करता।

आज वास्तविकता प्रदेश में यह है कि प्रदेश के कई स्थानों को कुछ आवश्यकतायें हैं और देश के भविष्य को सामने रखते हुये उन वास्तविकताओं को हमें नजरबन्द नहीं करना चाहिये हमारे कई साथियों न मेरठ म एक हाई कोट की बच खोलने की बात कहीं। वह एक वास्तविकता है। यह वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिये और प्रदेश के हित में करनी चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो ऐसा मानते ह कि इस प्रदेश को एक बनकर रहना है और रहना चाहिये। इस प्रदेश के भविष्य के लिये, देश की राजनीति के लिये और उन तमामा व्यवस्थाओं को ऊंचा उठाने के लिये, जिनकी अभिलाषा और आकांक्षा हम अपने हृदयों में रखते हैं हमें एक बनकर रहना चाहिये। यह प्रदेश टुकड़ों में न बंटे और टुकड़ों में न बंटकर जो जगह-जगह की आवश्यकतायें हैं उनके अनुरूप कार्य किया जाय तो वह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये और उसके अनुरूप ही कार्य किया जाना चाहिये।

आज जगह-जगह पर आन्दोलन हो रहें हैं, झगड़े हो रहे हैं, वकील साहेबान स्ट्रीट पर अपना मसला ला रह हैं। यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है और न दूरदर्शिता की बात है। बजट में वह दूरदर्शितय आनी चाहिये थी। मेरठ में एक बेंच होनी चाहिये। इस बारे म प्रदश की सरकार को निर्णय लेना चाहिये क्योंकि निर्णय प्रदेशीय सरकार को ही लेना है। प्रदेश की सरकार सन् 1963 म इलाहाबाद कोर्ट को कायम रखते हुये इस निर्णय पर पहुंची थी कि लखनऊ बच के सिलसिले म भी जो बहुत से मुकदमात थे जो उसके जोन से इलाहाबाद भेज दिये गये हैं, वे उसके जो में पुनः वापस कर दिये जांय। यह निर्णय शासन की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और विरोध पक्ष की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने मिलजुल कर लिया था। इसके अलावा अन्य तमाम बातों पर विचार करने हेतु एटार्नी जनरल ने सुझाव दिये थे और वे सुझाव उस समय के एडवोकेट जनरल की राय के विपरीत थे। प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय की स्वीकार न करके एटार्नी जनरल की राय को स्वीकार किया था। उसके अनुसार एक बिल तयार किया गया था जिसको कि कौंसिल म पास कराया गया।

आज गतिविधियां सारे देश में बदल रही हैं। ऐसे हालात सारे देश में फैल रही हैं जो कि अलगाव की परिस्थितियां पदा कर रहें ह। क्या यह बुद्धिमत्ता की बात है? क्या जो फैसला हमने किया है उसके अनुसार हम कार्य कर रहें हैं या नहीं कर रहें हैं? क्या हम उन घोषणाओं को जिनके अनुसार बहुत से मसले आसानो से हल हो सकते हैं पूरा कर रहें हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या इस बजट के अन्तर्गत हम उन भावनाओं को फैलते हुये देख रहें हैं या नहीं देख रहें हैं? कहीं इस बात की चेष्टा नहीं की जा रही है। हमारे यहां पर कई सदस्य प्रतिक्रियावादी हैं उन्हें अपनी घोषणाओं के अनुरूप क्षेत्रीय विषमताओं को नजरों से ओझल करने की चेष्टा करनी

चाहिये। यही हमारी घोषणा है, यही आपकी भी है और सब की है। उसी दृष्टी से देखा जाय तो क्या यह बजट उसी के अनुरूप है ? क्या हम उन घोषित विचारों के अनुकूल ही कार्य कर रहें हैं।

कहीं पर दो-दो विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की बात कर रहें हैं, कहीं जहां दो विश्व-विद्यालय हैं वहां एक और विश्वविद्यालय जोड़ने की बात करते हैं और कहीं जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो प्रदेश के स्तर को कही जाय, वहां उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहते हैं।

अभी कल अखबारों में मैंने पढ़ा कि रुहेलखंड के साथियों ने वहां के लिये मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज की बात कही, वह एक मुनासिब बात मुझे लगती है। 1969 में जब पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त के नाम से एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रश्न उठा था तो मैंने अपने विचार दिये थे अपने उन सहयोगी को, माननीय कृष्णचन्द्र पंत को, कि वे बरेली में उस इंजीनियरिंग कालेज को स्थापित करावें परन्तु उन्होंने भी उसकी स्थापना नैनीताल जिले में तराई क्षेत्र में करायी। मगर यह क्षेत्रीय भावना है। उन लोगों के अन्दर जिन्हें विचार करना है सारे देश की परिथितियों के ऊपर उठकर और जिन्हें समझदारी से कार्य करना चाहिये किन्तु कार्य नहीं किया गया।

अब कुमायूं में एक विश्व विद्यालय खोलने की बात चल रही है। कुमायूं में विश्वविद्यालय बनने की घोषणा पहले से है परन्तु गढ़वाल के साथी, कुमायं में विश्वविद्यालय बने, इस बात को पसन्द नहीं करते। वे चाहते है कि गढ़वाल में एक विश्वविद्यालय और बने। फिर दूसरा विश्व-विद्यालय जो नैनीताल या अल्मोड़ा और फिर गढ़वाल में बने तो उसके कुछ खर्चे की तरफ भी हमें ध्यान दना है या नहीं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि खर्च में घटोत्तरी की जाय। यदि गोविन्द बल्लभ पंत विश्व विद्यालय नैनीताल जिले में बना है तो क्या उसी विश्व विद्यालय के अन्तर्गत नैनीताल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कई कैम्पस नहीं बनाये जा सकते ? और यदि वे कैम्पसेज बनाये जा सकते हैं तो फिर वह विश्वविद्यालय जो गोविन्द बल्लभ पंत के नाम से स्थापित हैं, उसके अन्तर्गत वे क्यों नहीं चलाये जा सकते ? गढ़वाल में यदि विश्वविद्यालय नहीं है तो श्रीनगर जो एक कन्द्रीय स्थान है, वहां उसे बनाया जाय। आज विभिन्न स्थानों पर विश्वविद्यालय खोलने की मांग जो मंत्रिपरिषद् स्वीकर कर लेता है, उसके लिये हम उन विचारों से ऊंचा नहीं उठते कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो हमें वहां से मदद नहीं मिलेगी और विश्व विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारा विरोध करेंगे।

आज हमें उन भावनाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जो पहाड़ी इलाके में विश्व विद्यालय स्थापित करने की बात है, अगर विश्वविद्यालय बनना है तो वह गढ़वाल क्षेत्र में बनना चाहिये और दूसरा विश्वविद्यालय जो गोविन्द बल्लभ पंत के नाम से ननीताल जिले में स्थापित है उसके अन्तर्गत विभिन्न कैम्पस अल्मोड़ा में स्थापित किये जांय, ननीताल में भी स्थापित किये जांय और पिथौरागढ़ म स्थापित किया जाय। कामर्स फैकल्टी, बिजनेस मैनेजमट मेडिकल फैकल्टी, इंजीनियरिंग फकल्टी की स्थापना की बात उन स्थानों पर सोची जा सकती है और उनकी स्थापना की जा सकती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों और विद्यार्थियों को भड़काया न जाय और यदि वे भड़कते हैं तो बातचीत की जाय औरउनको उनके भविष्य के सिलसिल में, उनके क्षेत्र के सिलसिल में हम बातें समझानी चाहिये। समझ कर खर्च को घटा कर, उनक घट हुय खर्चे को बचा कर, उन्हीं के क्षत्र में उन कार्यों में लगाना चाहिये जिन कायों को वे अभी तक प्रगतशील नहीं बना पाये हैं, जिन कार्यों में पिछड़े रह चुके है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रदेश में जितने जिले हैं उन जिशों में टेहरी सबसे गरीब जिला है, वहां के रहने वालों की

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

आमदनी सबसे कम है । अतः जहां तक संस्थाओं के बनाने की बात है, इसमें प्राथमिकता टेहरी को मिलनी चाहिये और इस परिस्थिति में एक संतुलित ढंग से अपनी आमदनी में खर्च को ठीक तरह से पूरा कर सकते हैं लेकिन आज यह बात नहीं हो रही है ।

मैंने अखबारों में पढ़ा है, दूसरे साथियों से जानकारी नहीं प्राप्त की । अभी पता चला मुझे कि वाराणसी में दो विश्वविद्यालय हैं और काशी विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मेडिकल कालेज भी है । अब एक और मेडिकल कालेज रामनगर में बनेगा । यह कसा प्लानिंग है और क्या उन विचारों के अनुरूप है जिनके अन्तर्गत सब घोषणा करते ह कि हम पिछड़े क्षेत्रों को आगे बढ़ायगे और उनके लिये धन देंगे । जिनको हम धन नहीं दे सके हैं और जिनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं, उनको धन देंगे । पहले यद्धपि हमारे पास साधन कम रहे हैं । हमने बहुत सी भूलें भी की हैं, गलतियां भी की हैं लेकिन क्या हम उनसे ऊपर उठेंगे या नहीं ? यदि उनम ही पड़ रहेंगे तो साधन कैसे जुटायेंगे ? क्या कज लकार साधन जुटाने का विचार करेंगे या विदेशों की कठपुतली बनकर अपनी समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान देंगे ।

कहा जाता है कि हमने प्रगति की है । मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमने बहुत क्षेत्रों में प्रगति की है । हमने शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी है लेकिन आज हम इस बात पर विचार करने के लिये बाध्य होते हैं कि इन बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाओं ने, इन विश्वविद्यालयों ने हमारे देश में किस प्रकार के नागरिक पैदा किये हैं । अधिकांशतः उस पद्धति के ऊपर जो हमने अब अपनाई ह, विचार करना है । मैंने एक दिन अपने भाषण में कुछ बातें कहीं थीं तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि राधाकृष्णन कमीशन और कोठारी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार हमारे यहां काम हो रहा है इस लिये इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । जो चीज हम अपना रहे हैं उस पर विचार करें कि इनने कैसे अपने भविष्य के नागरिकों को देश को प्रदान किया है और उसको अपना कर क्या हम सही और सच्चे नागरिक पैदा कर सकते हैं ।

आज जगह-जगह पर विश्वविद्यालय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं । और ऐसी-ऐसी बातें इन विश्वविद्यालयों में और इन शिक्षा संस्थाओं में हो रही हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी बातें बढ़ रहीं हैं । हो सकता है कि इनमें राजनीतिक संस्थाओं ने और राजनीतिक व्यक्तियों ने हांथ डालना हो लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है कि शिक्षा संस्थाओं में जगह-जगह शिक्षक-गण जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, वे भी ऐसी बातें करते ह जोकि विद्यार्थियों में उन आदर्श को पैदा नहीं करती हैं जिनको पैदा करके नये नागरिक हमारे देश में जन्म ले सकते हैं । और उन उत्तरदायित्व को संभालन की क्षमता पदा कर सकते हैं । जिससे कि वह देश के बोझ को अपने कंधे पर उठा सकें । इस बोझ को कल उनको नागरिक क रूप में अपने ऊपर ओढ़ना है । खेद है कि इस दिशा में हम शिक्षा में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं और नई दिशा की ओर नहीं देख रहे हैं ।

हमारा कथन है और सरकार बड़े जोरों के साथ कहती है कि वह गरीब की क्रय-शक्ति को बढ़ाना चाहती है । वह किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहती है । और उनकी माली हालत को सुधारना चाहती है । किसान आज के जमाने में परिश्रम करके और जो उसे साधन मिल रहे हैं उनसे गल्ला पैदा करता है और वह गेहूं जो उसके चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी कीमत का प्रश्न आता है । उसकी खरीदारी के सिलसिले में सरकार उसको वही कीमत प्रदान करना चाहती है । जो बहुत से स्थानों पर उसकी जो लागत आती है उसके समकक्ष भी नहीं है । यह क्या किसान के साथ प्रेम करना है, यह क्या उसकी ताकत को बढ़ाना है, यह क्या उसकी क्रय-शक्ति को बढ़ाना है ?

72-74 और 76 रुपये के भाव का खरीदा हुआ, गेहूं 102 रूपये के भाव सरकार अपनी दुकानों द्वारा बिकवाना चाहती है । इस तरह से यह 26 रुपया क्विंटल की एडमिनिस्ट्रेटिव

कास्ट, जिसमें दुकानों का रख-रखाव, गल्ले को ले जाने, लाने का खर्च शामिल है, क्या यह कोई वाजिबी खर्चा है, ? और साथ ही साथ क्या कंज्यूमर को ही देने की वाजिब कीमत है कि आप 74 पर खरीद कर उसे 102 के भाव पर गल्ला दें या 100 रुपये में दें ? यह इस बात का द्योतक नहीं है कि किसान की या कंज्यूमर की ही समस्याओं को समझकर यह स्टेप लिया गया है ।

आज तो कंज्यूमर भी अधिकांशत: गरीबी में मुअत्तल है । कहां हैं आपके क्रान्तिकारी विचार और कहां हैं आपकी घोषणायें और कहां है वह आपकी समाजवादी व्यवस्था जिसे आप अपने बीच में स्थापित करना चाहते हैं । पहली सरकारों ने कुछ निर्णय लिये थे और उन्होंने वह उचित निर्णय लिये थ और वह प्रदेश की हालत को देखकर और समझ कर निर्णय लिये थे । मख्य मंत्री जी, आपके ही कायकाल में जब आप पावर मिनिस्टर थे प्रदेश के भविष्य को ध्यान में रखकर बिजली के संबंध में आप के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा, जो आप ऊंचे-ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उन्होंने प्रदेश की सरकार को सलाह दी थी कि हिन्डालको को और अधिक बिजली दी जा सकेगी और श्री जी0 डी0 बिरला जो अपने एक्सपेंशन के प्रोग्राम को गुजरात ले जाना चाहते हैं उसको वहां ले जाने दिया जाय और हमने उनको मजबूर किया था कि वह इस उद्योग को गुजरात न ले जायं ।

जब वह फैसला करके आये थे कि वहां उन्हे इस उद्योक के लिये साढे 3 पैसे पर बिजली मिलेगी उसके बाद वर्तमान मुख्य मंत्री जी के पावर मंत्री के कार्यकाल में ही जब मैं मुख्य मंत्री था अधिकारियों और बिरला के बीच 4.14 या 4.12 पसे का फैसला हुआ कि उसके अनुसार उनको बिजली दी जायेगी। ऐग्रीमेंट में करते समय मैंने यह शर्त अवश्य रख दी थी कि इस एक्सपेंशन के फलस्वरूप जो 40 हजार टन अल्मूनियम अधिक पैदा होगा वह केवल प्रदेश के भीतर ही खर्च किया जायगा । अभी तक बिरला और हिन्डालको अधिकांशत: अल्मूनियम के पैदावार को अलावा उस कोटे को जोकि हमारी बिजली बोड की लाइन्स को खींचने के संबंध में दिया जाता था । वे बम्बई, कलकत्ता और मदरास के बाजार में भेजते थे और वह प्रदेश के व्यापारियों को तथा नव-युवकों की उद्योगों को स्थापित करने के लिये नहीं दिया जाता था ।

इस 40 हजार टन अल्मूनियम को यदि प्रदेश के हर जिले को 500 टन के हिसाब से भी दिया जाय तो प्रदेश में इस इंडस्ट्री के कितने ही काम्पलेक्स लग जायेंगे । लेकिन क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया गया ? सरकार उद्योग धन्धों को बढ़ाने की बात करती है । अगर इन छोटे-छोटे उद्योग धंधों की तरफ वाकई ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूप से प्रदेश के अन्दर बेकारी घट सकती है । लोगों को काम मिल सकता है लेकिन क्या इस दिशा में उधर से कोई कदम उठाया गया ? मैंने इस संबंध में पहले भी कहा था लेकिन मुझे दख है कि कोई ध्यान नहीं दिया गया । बिरला जी का नाम भी आता है तो कम्युनिस्ट पार्टी की बात तो मुझे कहना नहीं है क्योंकि उसके और बिरला जी के अपने अलग संबंध हैं और अब तो वहां डांगे जी भी पहुंच जाते हैं और सिफारिश कर देते हैं कि हिन्डालको बहुत अच्छी तरह से चल रहा है ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मैं माननीय गुप्ता जी से कहूंगा कि डांगे जी ने कभी यह नहीं कहा है ।

श्री चन्द्रभानु गप्त—

बाद में अपने भाषण मे आप जो चाहे कहें लेकिन मैं जब जानता हूं तभी बहुत सी ऐसी बातें कहता हूं । तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस उद्योग धंधे के जरिये से प्रदेश में छोटे छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं । और जिसका बनाया हुआ माल प्रदेश में रोका जा सकता है, उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है । यद्यपि रूलिंग पार्टी को करोड़ों रुपया बिरला जी और अन्य उद्योगपति भी देते हैं, जब चुनाव आते हैं और वह पसा कहां से आता है । जो पंजी-पति देश और प्रदेश में है, वे कहां से देते हैं । आज सबसे ज्यादा पसा रूलिंग पार्टी को मिलता

[श्री चन्द्र भानु गुप्त---]

है ? जिससे प्रदेश का भला हो, नवयुवकों को उद्योग धंधे मिल जायं। जिले-जिले में उद्योग खुलें, ऐसा करने की कोई चेष्टा नहीं की जाती है ।

यहां के लोग कहते हैं कि बिरला जी का कन्सर्न है, क्या उसके बाबा का कन्सर्न है । उसमें उनका 14 प्रतिशत रुपया लगा है । अगर आप में हिम्मत है तो उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते हैं ? प्रदेश की औद्योगीकरण की समस्याओं का हल क्यों नहीं होता, यह पिछड़ा हुआ प्रदेश है, इसको छोटे छोटे उद्योग धंधों की आवश्यकता है । क्यों नहीं आप जगह-जगह पर छोटे उद्योग लगाते हैं ? पंत जी ने और पंडित नेहरू ने निवेदन किया था कि वे यहां आकर उद्योग लगायें, केन्द्रीय सरकार ने वायदा किया और हमारी सरकार से कहा, हमारे नेताओं ने बिरला जी से कहा, हमसे कहा कि हमारे पास फारेन एक्सचेंज नहीं है । विदेशों से रुपया लाने की उस समय क्षमता नहीं थीं । बिरला जी से कहा कि रामट रियल उपलब्ध है और बिजली भी पलब्ध । है हमारे मुख्य मंत्री जी तो नहीं उस समय शायद हाफिज जी पावर मिनिस्टर थे, सबने मिल कर फसला किया कि बिजली देंगे और उसके बाद मेरे कार्यकाल में जब आप पावर मिनिस्टर थे तब निर्णय हुआ था ।

मुझे खुशी होगी कि आप इसका राष्ट्रीयकरण कर दें ।कहा जाता है कि अब आप इन्हें बिजली नहीं देंगे । यदि आप प्रदेश का भला चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में उद्योग धंधों का विस्तार हो तो बिजली देनी चाहिये । कहा जाता है सब काट दी जायगी मैं तो यह कहता हूं कि जब बिजली का देश और प्रदेश में संकट हो तब आपको एक ऐसा संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये जिससे न तो खेती को जो प्रदेश को सबसे बड़ा उद्योग है, उसको नुकसान पहुंचे और न छोटे-छोटे उद्योग धंधे ही मरें ।खेती के साथ-साथ उद्योग धंधों की उन्नति भी नितान्त आवश्यक हैं । छोटे-छोटे उद्योग धंधे जिले जिले और क्षेत्र-क्षेत्र में फैलाये जायें और उन्हें बिजली भी दी जाय लेकिन जानना चाहता हूं कि क्या उस दिशा में कोई सक्रिय कदम उठाया जा रहा है। शादी विवाहों में लखनऊ और अन्य नगरों में न जानें कहां से उनके लिये बिजलीउपलब्ध हो जाती है। जो पस वाले हैं, वे रोज वभव दिखाते हैं और यहां जवाब में कह दिया जाता है कि बिजली की बहुत कमी है ।

जब यहां पर बिजली का संकट है तो प्रत्येक व्यक्ति को तकलीफ का जीवन व्यतीत करना चाहिये और जब तक यह दृष्टिकोण अपना कर बजट बनाकर आगे बढ़ने की चष्टा नहीं करेंगे तब तक क्या इस प्रदेश को भविष्य उज्वलमय बन सकता है ? गांधी जी ने सादगी पर जोर दिया था । जवाहर लाल नेहरू स्वतः सादगी की बात करते थे, यद्यपि उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई की रचना की इजाजत देकर उस दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि सादगी हमारी नजरों के सामने से ओझल हो गई और सादगी आज कहीं दिखाई नहीं पड़ती । न शासन में न आप में । जिसके पास साधन है, वह आप को रेस्टोरेंट में मिलेगा; बोतल को सामन रखकर, जीवन व्यतीत करता दिखाई पड़ेगा ।

कभी-कभी इंदिरा जी भी सादगी की बात करती हैं , लेकिन वह सादगी का वातावरण कहां आप पैदा कर रही हैं । न आपके साथी सादगी का जीवन व्यतीत करत ह और न सदन के सदस्यगण । यदि आप सादगी का जीवन नहीं व्यतीत करते ह तो गांधी जी का नाम लेना तो छोड़ ही दें । जवाहर लाल जी का नाम भी छोड़ दें । जवाहर लाल जी, भारी भूलों के बीच में रहते हुए भी वास्तविकता को नजरअन्दाज करने की कोशिश नहीं करते थे ।

आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय राजनीतिज्ञों के नाम से स्थापित किये जा रहे हैं । दुनिया म कहीं भी किसी व्यक्ति क नाम क पीछ विश्वविद्यालय नहीं खोले जाते । विश्वविद्यालय तो हमशा वह स्थान है, जहां अनुसंधान होता है । जहां पर प्रत्यक गतविधि और व्यक्ति के विषय में खोज होती है और जो कल का स्टूडेंट है, वह हमारी नीतियों और कार्यो के विषय में

अनुसंधान करेगा और अपने अनुसंधान के द्वारा अपनी बात रखेगा। मैं बिल्कुल विरोधी हूं कि जवाहर लाल नेहरू जी के नाम से विश्वविद्यालय रखा जाय। कि इंदिरा जी के नाम से विश्वविद्यालय रखा जाय। गोविन्द बल्लभ पंत जी के नाम स विश्वविद्यालय रखा जाय; रवि शंर जी के नाम से विश्वविद्यालय रखा जाय। संपूर्णानन्द जी के नाम से विश्वविद्यालय रखा जाय। विश्वविद्यालयों में वहां आने वाले विद्यार्थियों में, हमारी नीतियों के विषय में अनुसंधान करने का स्वतंत्रापूर्वक अवसर प्रदान कीजिये। इन विश्वविद्यालयों के इस प्रकार नाम देकर, उनको संकुचित कर देते हैं। यह बात ठीक नहीं है।

चूंकि दिल्ली में यह चल रहा है, इसलिये हमारे उत्तर प्रदेश में भी उसी की नकल की जाय, यह भी ठीक नहीं है। इससे तो आने वाली सरकारें भी इसी परिपार्टी का अनुकरण करेंगी। वह परिपाटी हमें नहीं अपनानी चाहिये। जिससे कि इतिहास के वह पत्र दोहराये जायं जिनमें स्तालीन की कबर भी नई पीढ़ी में खोद कर फेक दी जाय। दु:ख की बात है कि आज के जो हमारे लिखने-पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो अनुसंधान करते हैं और जो स्वतंत्रत विचारों क पोषक अपने आपको मानते हैं। वे भी इसी में अपनी सहमति प्रकट करते हैं। लेकिन मैं अपने विचार आपके सामने इस सदन में रखता हूं।

मैं तो उन व्यक्तियों मे हूं जो ऐसा मानते हैं और ऐसा जीवन पर्यन्त मानते रहेंगे, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस देश में बहुत से काम किये और देश को ऐसा मार्ग दिखाने की चेष्टा की कि जिस पर चल कर देश ने कुछ तरक्की भी की। पंडित गोबिन्द बल्वभ पंत जी ने उत्तर प्रदेश और देश में बड़े-बड़े कार्य किये। संपूर्णानन्द जी ने प्रदेश की बहुत सेवा की और अन्य नेताओं ने भी इस देश और प्रदेश की सेवा की। स्वयं इंदिरा जी के विषय में मैं विचार रखता हूं कि उन्होंने जहां अवसरवादी और आदर्श विहीन नीतियों को अपनाया है, वहां कई क्षेत्रों में उन्होंन डायलिज्म (Dialism) भी प्रदर्शित किया। लकिन यदि हम एसी बातों का अनुसरण करें कि जो इतिहास के पन्नों में कभी नहीं अपनाई गई है। वह तो और हमारे लिये शोभनीय बात नहीं है। अतः यह बात नहीं करनी चाहिये।

आज कीमतों के विषय में कहते हैं कि अगली फसल इस बात की सूचक है कि आपकी समस्याओं का समाधान कर देगी, इस पर विश्वास नहीं होता। मैं खेती के मसलों का पंडित तो नहीं हूं। इधर के साथी और उधर के साथी भलीभांति प्रदेश की खेती की हालत से परिचित हैं। मैं गांधी जी के जमाने में भी नियंत्रण का समर्थक था। गांधी जी की (De-con'rol) की नीति को मैंने स्वीकार नहीं किया। और मैंने 25 साल के खाद्य और रसद मंत्री के अनुभव की बुनियाद पर देखा कि करोड़ों रुपया हमारी सरकार ने राइट-आफ किये और हर साल फाइलें मेरे पास आ जाती थीं कि इस गोदाम में इतना अनाज सड़ गया, इसको राइट-आफ कीजिये। हमारे अधिकारी चले गये और देख आये और करोड़ों रुपया राइट-आफ हो गया। मैं आंकड़े तो नहीं बता सकता, लकिन कह सकता हूं कि करोड़ों रुपयों का इस तरह से अपव्यय हुआ। क्या हमन शासन म, अपने विश्वविद्यालयों के द्वारा इस दूषित वातावरण के बीच एक ऐसे नागरिक को उत्पन्न किया है, क्या ऐसे कमचारियों को पैदा कर लिया है तो ईमानदारी से उन जगहों पर बैठकर उन कार्यों को संपादित कर सकें जिन्हें उन्हें सम्पादन करना चाहिये जो कि उनका उत्तरदायित्व है।

मैं आज जगह जगह पर देख रहा हूं यह सेक्रेटिएट भ्रष्टाचार से बरी था, हाईकोर्ट के सिलसिल म भी यह कहा जाता था कि वह भ्रष्टाचार से बरी है, अन्य क्षेत्रों में भी पंत जी के संपूर्णानन्द और मेरे मुख्य मंत्रित्व काल में भ्रष्टाचार थोड़ी-बहुत मात्रा में था और पुलिस में भ्रष्टाचार बताया जाता था, पी0 डब्लू0 डी0 में भ्रष्टाचार बताया जाता था, लेकिन आज मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि कोई भी हमारा शासन का तंत्र ऐसा नहीं है कि जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो।

आज यदि कोई स्कूल का संचालक या मैनेजर अपनी ग्रान्ट बढ़वाना चाहता है, तो उसे भी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स का जो क्लक है जो एकाउन्ट्स डील करता है, उसकी खुशामद करनी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

होती है, उसे पैसा देना पड़ता है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही जिम्मेदार प्रिन्सिपल जो कि एक प्रख्यात कालेज के हैं, एक दिन मुझे मिले और उन्होंने मुझे पहले राज्यपाल के सामने में यह बताया कि उसे 3,000 रुपया स्कूटर के लिये इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के एकाउन्टेंट को देना पड़े, और अपने स्कूल के लिये जो प्रख्यात हैं, 54 हजार से लाख या डेढ़ लाख ग्रान्ट-इन-एड बढ़वा सके।

जितना आप सरकारीकरण करना चाहते हैं उतना ही जगह-जगह पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आप कहां उसे रोक सकत ह। आप कहां ऐसी मिसाल प्रस्तुत कर पाते हैं जिस मिसाल के अन्तर्गत प्रत्येक आपके आदर्श के अनुकूल कार्य करे। यदि वह बात नहीं है तो उतना ही अपनाने की चेष्टा की जानी चाहिये जिस पर आप कार्य कर सकें, जितनी आप स्वतः अपने अन्दर रखते हों। यह कहना अच्छी बात नहीं है और न हीं मैं नाम लेने का आदी हूं। मैं व्यक्तिगत विषयों में नहीं जाना चाहता क्योंकि उन विषयों को कहकर जो सार्वजनिक जीवन के आदर्श हैं उनको गिराना नहीं चाहता, उसे कमजोर नहीं करना चाहता, लेकिन आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से और उनके साथियों से कहना चाहता हूं कि आज उनकी सरकार का नाम बहुत अच्छा नहीं है जनता के बीच में, उनके साथियों के बीच में।

साथ में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि बहुत से साथी जो सरकार में नहीं ह चाहें वह इधर के बैठने वाले हों, या उधर के, जनता के बीच में उन सबका भी बहुत अच्छा नाम नहीं है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के स्तर को गिराया है और रोजमर्रा गिरा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आज जब स्थिति इस प्रकार की हो गई है तो जिम्मेदारी उतनी ही ओढ़िये जितनी कि ओढ़कर ईमानदारी के वातावरण में आप ठीक प्रकार से चला सकें। यदि आप नहीं ओढ़ सकते, नहीं चला सकते तो उसको जबरदस्ती अपने अन्दर चलाने का प्रयत्न न कीजिये, क्योंकि वह बात आपमें है नहीं।

चुनाव में आप हवा में बातें कहकर मत भले ही प्राप्त कर लें, लेकिन जो परम्परायें आपकी रहीं हैं, जो सार्वजनिक जीवन की परम्परायें रहीं हैं, इस देश की परम्परायें रही हैं, उस जमाने में रहीं हैं, जब अंग्रेजों का जमाना था, जब क्रान्तिकारी भावना गांधी जी न नय ढंग स दश में पदा की थी, उस जमाने में सार्वजनिक जीवन में कुछ परम्परायें थीं, आज वह परम्परायें खतम हो चली हैं। नवयुवक न तो उम्र की कुछ वकत करत हैं, न घर में अपने माता-पिता की तरफ उनका वह ध्यान है जो पहले था, मारल वैस्युज घटी है, उस तरफ भी तो नजर डालें।

आप यह भी देखें कि हमारे सैक्यूलरिज्म ने हमारे अन्दर क्या भावना पैदा की है? क्या उसने हमें इतना इरिलिजस बना दिया है कि हम उन नैतिक अस्थाओं (मारल वैल्यूज) को जो विभिन्न धर्म हमारे देश में प्रसारित करते थे और प्रसारित कर रहे हैं, कुछ कमी आई है, कुछ कमजोरी उत्पन्न हो गई है, अगर हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कमी आई है तो आज उसमें तब्दीली लान की चष्टा करनी चाहिय। इससे न भागिये कि इंदिरा जी कम्युनल कहन लगेंगी या सेकुलरिज्म के खिलाफ काम करने वाला कहने लगेंगी। उर्दू की बहुत बात की जाती है। जब आज के मुख्यमंत्री जी मेरे साथ काम करते थे तो कृपालानी कमेटी ने उर्दू के लिये कुछ फैसले लिये थे। क्या कारण है कि उन फैसलों को आज तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। मैं समझता हूं कि इसलिये नहीं किया जा सका कि हम इन 25 सालों में उन आदर्शों को भूल चुके हैं जो गांधी जी ने हमें बताये थे। चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन हो या किसी ब्लाक का प्रमुख हो उससे स्कूल में उर्दू बढ़ाने की बात कहें तो न वह इस कार्य के लिये मास्टरों को रखते हैं और न मास्टर रखने की क्षमता ही रखते हैं।

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी, आप संक्षेप में कहें। समय के कारण नहीं बल्कि मैं आपकी शक्ति के हिसाब से कह रहा हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आप शक्ति की चिन्ता मत कीजिये। आप मेरी शक्ति अपने से न नापिय।

आपने थ्री लेंगुएज फारमूला अपनाया था तो उर्दू पढ़ाने का इंतजाम हुआ। आप उर्दू के लिये कुछ बातें करते हैं महज इसलिये कि मुसलमान आपकी तरफ हो जायें। उर्दू भी इस देश की भाषा है। हिन्दू भी उर्दू पढ़ते थे। हमारे पिता जी और बाबा उर्दू जानते थे। हालांकि कि वह आर्य समाजी थे लेकिन उर्दू जानते थे। स्वामी दयानन्द आकर ठहरते थे। वह सत्यार्थ प्रकाश उर्दू में पढ़ते थे। चाहे उर्दू मुसलमानी राज्य से शुरू हुयी हो लेकिन वह भाषा हमारे बीच में बनी है। हम जब पढ़ा करते थे तो छोटे क्लास में हिन्दी और उर्दू दोनों पढ़ते थे। वही पद्धति आज क्यों नहीं चलायी जाती है। उसमें क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो वह हम और आप ही हैं। इधर के बैठे हुए साथी और उधर के बैठे हुए साथी ही दिक्कत डालते रहे हैं। लेकिन चाहे इधर बैठे हुए साथी हों, या उधर बैठे हुए साथी हों, सबको चाहिये कि उर्दू के लिये कुछ व्यवस्था हो।

आज जो झगड़े होते हैं वह इधर दो-तीन साल के बीच में ज्यादा बढ़ गये हैं। चाहे झगड़े हरिजनों के बीच में हुए हों या मुसलमानों के बीच में हुए हों उनकी संख्या बढ़ गयी है। हरिजनों के साथ एक दूसरा व्यवहार शुरू हो गया है। क्या यह निन्दा की बात नहीं है। हम जो अपने को कांग्रेसजन कहते हैं उनके लिये क्या निन्दा की बात नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 साल बाद भी उनके साथ इस तरह का व्वयहार हो तो वह निन्दनीय बात है। हमारे सरकारी कर्मचारी उस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। अगर नहीं उठा रहे हैं तो आपको जागरूक रहना है। आप उस दिशा में जागरूक नहीं हैं। अगर आप जागरूक होते तो सरकारी कर्मचारियों के रहते हुए हरिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वह न हुआ होता।

विद्यार्थियों के विषय में यह कहना चाहता हूं कि उन विचारों के लिये क्या समाधान कर रहे हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत किये। बनारस या इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लीजिये। वहां झगड़े हो रहे हैं। वाइस चान्सलर उन झगड़ों को फेस करने की क्षमता नहीं रखता। यदि कोई वाइस चान्सलर झगड़ों को फेस करने के योग्य नहीं है तो आप उन्हें क्यों नियुक्त करें। महज इसलिये कि वह सुबह-शाम आपके यहां हाजिरी बजा देते हैं। यह पद्धति बड़ी गलत मालूम होती है। एक बात भाई चारे के नाते, किसी के अनादर के रूप में नहीं कहना चाहता हूं। आपने पैर छुआने की पद्धति शुरू कर दी है जिससे हर कर्मचारी आज इस पद्धति का शिकार बना है। वह पद्धति बहुत गलत है। वह सरकारी कर्मचारियों को डिमोरेलाइज करती है और वह बहुत पढ़े लिखे व्यक्तियों में ऐसी भावना पैदा करती है तो भावना पैदा नहीं होनी चाहिये। यह सही है कि हमारी संस्कृति रही है कि हम अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं और अपने माता-पिता के घर पर पैर छूते हैं। जब हम शासन में बैठते हैं तो हमें उस पद्धति को चालू नहीं रखना चाहिये। इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसको कोई पसन्द नहीं करता है। कोई व्यक्ति इसको पसन्द नहीं करेगा।

मुझे अधिकारियों ने बताया। अगर 4 अधिकारी आपसे मिलने जाते हैं और उनमें से 2 तो आपके पैर छूते हैं और दूसरे 2 नहीं अूते हैं तो न छूने वालों को बड़ी ही फाल्स पोजीशन में पड़ जाना पड़ता है। आज आप ऐसी परम्परायें अपने शासन द्वारा के बनाने की चेष्टा कीजिये ताकि कल जो लोग आयेंगे उनमें ऐसी कोई भावना पैदा न हो जिसका कि मैंने इशारा किया है। मैं आपको एक साथी के नाते यह सलाह देता हूं। मैं वह साथी हूं जो वर्षों सहयोगी के रूप में कार्य करता हूं। इसलिये आप से कहना चाहता हूं कि आज आपके ऊपर उत्तरदायित्व

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

शायद इस सदन में मेरे से बड़े उम्र में खेर साहब हैं, उसके बाद में और फिर चौधरी साहब हैं। मैं चौधरी साहब से पहले हूं और उसके बाद शायद आप ही हैं। चाहे इधर के बैठने वाले हों और या उधर के बैठने वाले हों मैं आपसे कहना चहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी परम्पराओं को स्थापित करने की चेष्टा कीजिये जो गलत न हों। तभी उत्तर प्रदेश का भला होगा और तभी गरीब की समस्या के समझने में और सुलझाने में मदद मिलेगा।

यहां जो मंत्री बनता है। अगर वह यह समझे कि उसे अपने ही क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाना है, जहां से कि वह चुन कर आया है तो वह ठीक नहीं है। उसे तो प्रदेश को एक इकाई मान कर देश को एक मानकर समस्या के समाधान में जुटना है और हमें सबको जुटाना है। मुख्य मंत्री के नाते आपको प्रदेश को, देश को एक इकाई बनाना है। आपका बजट उस दिशा में नहीं जाता है। ऐसा मेरा कथन है। ऐसा थोड़ा सा मेरा अध्ययन है। मैंने बारीकी से बहुत सी बातों का अध्ययन नहीं किया है। जो बातें इस सदन के समक्ष अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी और उनके साथियों से निवेदन की हैं वे इस भावना से निवेदन नहीं की हैं कि मैं कोई कटु भावना यहां सदन में पैदा करना चाहता हूं। पुराने साथी के नाते, अपने अनुभव की बुनियाद पर, वह अनुभव जो मैंने व्यक्त किया है, जो कि देश को बनाने के लिये और देश में नये समाज की रचना के लिये नितान्त आवश्यक है, मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, अध्यक्ष जी, पिछले साल बजट पर बोलते हुए मैंने एक शंका व्यक्त की थी और वह अशंका यह थी कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है, सरकार का जो चलन है। मान्यवर, जो इसका ढंग रहा है और साथ ही साथ जो हमारे संसाधन और खर्चे हैं उनके आधार पर मैंने पेशीनगोई की थी जो बात इस बजट में भी स्वीकारी गयी है। बजट में मान्यवर, माना गया है कि सन् 1971–72 के आय-व्ययक वर्ष के दौरान यहां की प्रति व्यक्ति वार्षिक सालाना आय 266 रु0 थी।

(इस समय 1 बजकर 31 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासदेव पीठासीन हुए।)

मान्यवर, वही आय 1972–73 के लिये भी अनुमानित की गई है। इसका मतलब है कि जहां तक औसत आमदनी का संबंध है कोई वृद्धि नहीं हुई है। मामला वहीं थम गया है। प्रदेश की औसत आय जो है वह केवल बड़े लोगों से ही नहीं बनती है, बल्कि इस आय के बनाने में प्रदेश के गरीबों का भाग 90 प्रतिशत शामिल है। प्रदेश में ऊंचे लोगों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है और फलस्वरूप गिरे हुए लोगों की आय कम हुई है। मेरा मतलब उन 90 प्रतिशत लोगों से है जिनकी आय बढ़ाने के साधन नहीं हैं और न ही सरकार की ओर से उनको कोई प्रोत्साहन मिला है। जो साधन सम्पन्न लोग हैं वह अपनी आय बढ़ा रहे हैं लेकिन बाकी लोगों की आय घटी है। यह बात अगर आप गंभीरता से देखें तो सचमुच बड़ी भयावह है।

मान्यवर, प्रति व्यक्ति औसत आय का मापदंड ऐसा है कि इससे मालूम होता है कि प्रदेश प्रगति की ओर जा रहा है लेकिन इससे मालूम होता है कि प्रदेश की प्रगति ठप्प हो गई है। 1960–61 के भावों के आधार पर प्रदेश की आय 246 से बढ़कर 266 रु0 को गई है। इन 12 वर्षों में केवल 20 रुपयों की ही वद्धि हुई है। इसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से माना जाय तो मुश्किल से 1.67 रु0 पड़ती है। इस प्रकार 60-61 से 70-71 के दशक में दश की आय में जो वृद्धि हुई है उससे हम नीचे जा रहे हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश देश के दूसरे भागों की आय के मुकाबले में बराबर नीचे जा रहा है। यहां खेती ही मुख्य उद्योग है। इस पर 80 प्रतिशत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग अपना निर्वाह करते हैं। इसमें 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी खेती सवा 6 एकड़ से कम है। पिछले सालों में इन अलाभकर जोतों वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिये आपने कोई कार्य नहीं किया है।

जहां तक इस बजट का सवाल है इसमें भी कोई इस तरह का उपाय दिखाई नहीं देता है। बहस के लिये मंत्री जी कह सकते हैं कि ऐसे अलाभप्रद जोतों के किसानों के लिये जब शिवराज सिंह जी कृषि मंत्री थे तो एक एस0 एफ0 डी0 ए0 के नाम पर योजना चलायी गयी थी जिसमें कृष्णान्द को बहुत बुरा लगा था कि वह खाली चार जिलों के लिये बदायूं, प्रतापगढ़, रायबरेली और फतेहपुर सीमिति क्यों की गयी। उसके माध्यम से छोटे किसानों को जानवर, मुर्गी पालन, डेयरी और उर्वरक आदि के लिये कर्ज देने की व्यवस्था थी। लेकिन उनके लिये जो धनराशि निर्धारित की गयी थी वह इतनी कम थी कि जिन जिलों में वह लागू की गयी वहां पर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ और प्रदेश के किसानों पर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। इसके साथ-साथ इसे बजट में एक एम0 एफ0 एल0 नाम से योजना चलायी गयी और वह भी पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि एक एकड़ या उससे नीचे वाले किसानों के लिये या भमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये वह योजना है। इसका भी वही काम है कि इनको मुर्गीपालन और सुवर वगैरह खरीदने के लिये कर्जा दिया जाय। वह भी खाली बलिया की एक तहसील रसरा और मथुरा की तहसील छाता के लिये ही सीमित है। उसका भी प्रदेश के छोटे किसानों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसका ममला जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। इन किसानों के पास न अच्छी खाद, न अच्छा बीज और न पानी का इन्तजाम।

इसी तरह से जहां तक उद्योग का संबंध है हमारे यहां के जो प्रमुख उद्योग हैं, जूट, चीनी, सीमेंट, कपड़ा, बनस्पित, तेल उनके उत्पादन का अखिल भारतीय उत्पादन से मुकाबला किया जाय तो इन सब चीजों के उत्पादन का रेशियों निरन्तर घटता चला जा रहा है। तो हमारे यहां की इंडस्ट्री बिल्कुल ठप्प, खेती में कोई प्रगति नहीं, क्योंकि हम दसरे राज्यों के मुकाबले में खेती में पिछड़े हुए हैं। इसका लाजिमी नतीजा यह है कि हमारी आय बढ़ेगी नहीं और जहां तक 90 प्रतिशत गरीबों का सवाल है, उनकी आय निरन्तर घटती चली जा रही है। यह है भयावह तस्वीर। इसके लिये आपने इलाज क्या किया है अब की प्लान में? जो अखिल भारतीय तस्वीर है उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का आपने क्या उपाय किया? जहां 1973–74 के अखिल भारतीय बजट में प्लान के लिये 50 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्चा निर्धारित किया गया है वहां उत्तर प्रदेश के लिये 250.7 करोड़ का प्लान का व्यय रखा गया है। इस हिसाब से यहां प्रति व्यक्ति 28 रुपये व्यय आता है तो अखिल भारतीय स्तर के मुकाबले में उत्तर प्रदेश का स्तर और गिरता चला जायगा।

इसी के साथ-साथ जो हमारे खजाने की हालत है वह हमारे मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं कि खजाना हमारा करीब-करीब खाली है और हमारी ऋणग्रसिता अलग बढ़ती चली जा रही है। ऐसे भी ऋण हैं जिनके दोबारा वापस करने के लिये पहले के बजट में और न अबकी बजट में कोई प्राविधान है। जो दो साल की आमदनी और खर्चे का पूरा हिसाब होगा उससे भी कहीं ज्यादा कर्जा लाद दिया है।

1968–69 में कर्जा था 887.74 करोड़, 1969 में वह हो गया 1,002.17 करोड़, 1970 में वह हो गया 1,031.96 करोड़ और इस वर्ष मान्यवर, 12 अरब रुपये के ऊपर तक ऋण व्यवस्था पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारे सारे श्रोत सूखते चले जा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि जो नीचे आदमी है उसकी आय बराबर घट रही है और जो साधन सम्पन्न लोग हैं उन्हीं की आमदनी बढ़ती जा रही है। 90 प्रतिशत जो गरीब और नीचे के लोग हैं उनकी आमदनी घटती जा रही है पिछले वर्ष के मुकाबले में भी यदि हम देखेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि प्रति व्यक्ति औसत आय हमारी घटी है, लेकिन फिर भीहमारे मंत्री जी संतोष करते हैं कि प्रदेश प्रगति कर रहा है। पिछले वर्ष भी मैंने इसी चीज

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

को कहा था । आप 1959-60 के भाव के आधार पर उसको देखते हैं, अगर वर्तमान भाव के आधार देखेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह खेती का अंशदान किसी तरह से कम नहीं हुआ है, जो पहले था वही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप 2 बजे तक बोलेंगे । आधा घंटा आपके लिये काफी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं कोशिश करूंगा मान्यवर, मगर समय कम है और बढ़ा दें ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृषि का अंशदान करीब-करीब स्थायी है। इसी के साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कृषि ही हमारे यहां का प्रमुख व्यवसाय है, पेशा है। इस पर निर्भरता घट नहीं रही है । मैं इसके आंकड़े देना चाहता हूं । 1966-67 में कृषि का अंशदान करीब 60 के आसपास था, 1967-68 में वह बढ़ कर साढ़े 67 हो गया और यह बढ़ता ही गया है।

अब मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, आपने स्वीकार किया है कि पिछले वर्ष सूखे के कारण खरीफ की फसल मारी गयी इससे खेती से होने वाली आय अवश्य कम हुई होगी आपके हिसाब से मान्यवर, खेती पर निर्भरता कम हो रही है और हम उद्योगों के तरफ आगे बढ़ रहे हैं । मैं यह कह रहा हूं कि जहां तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, जहां तक छोटे और गरीब आदमी की स्थिति का सवाल है, वह बराबर बद से बदतर होती चली जा रही है। लेकिन मंत्री जी को असंतोष है। मंत्री जी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और उनकी नौकरशाही उन्हें जो समझा देती है, उसे ही समझकर उनको संतोष हो जाता है ।

बेकारी दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं । जितने भी आपने वायदे किये हैं उन सबको देखा जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 10 हजार से ज्यादा लोगों को आप काम नहीं दे सकेंगे । लेकिन आप क्या कहते हैं कि हमने बेकारी की एक योजना बनाकर, जिसमें 64 हजार लोगों को काम मिलेगा, केंद्र के पास भेज दी है । भेजना काफी नहीं है। केंद्र उसे स्वीकार करेगा या नहीं इसको देखना है । इसके पहले भी कई योजनायें यहां से भेजी गई हैं, लेकिन वे स्वीकार नहीं की गईं । क्या वही हश्र इसका भी नहीं हो सकता है ? जहां तक केंद्र का संबंध है, उससे 30 करोड़ रुपया हम और चाहते हैं लेकिन केंद्र ने अबकी बजट में 100 करोड़ रुपया अपना निर्धारित किया है, बेरोजगारी को दूर करने के लिये । इस हिसाब से मुश्किल से आपको 15/16 करोड़ से ज्यादा मिलने वाला नहीं है । इसलिये आप बेकारी की समस्या भी दूर नहीं कर पायेंगे । क्योंकि एक करोड़ और सवा करोड़ के आस-पास इस प्रदेश में बेकार हैं, इसमें कुशल-अकुशल, शहरी देहाती आदि सभी प्रकार के लोग हैं । लेकिन आप कहते हैं कि 10 हजार को काम दे पावेंगे । इससे यहां की बेकारी की समस्या हल होने वाली नहीं है और जो योजना बनाकर आप लोगों को भुलावे में डालना चाहते हैं. उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। इससे भी यह हमारा मामला और आगे जायेगा।

जहां तक खेती की पैदावार की बात है, रवी में किसानों को सिंचाई के लिये बिजली नहीं मिला है। रवी में जब किसान को गेहूं और खास तौर से आजकल के उन्नतिशील बीजों को सिंचाई के लिये जिनको सिंचाई के लिये 5 पानी चाहिये, नहीं मिला है तो हम अच्छी आशा कैसे कर सकते हैं । आलू और गन्ने के लिये बिजली नहीं दी गई है लेकिन जहां तक रेट का सवाल है, 12 पैसे का जो पहले रेट था, वह अब बढ़ते-बढ़ते 22 पैसे हो

गया है। मिनिमम गारन्टी यद्यपि आपने खत्म कर दी है, लेकिन फिक्स रेट अब भी आपका चल रहा है । जब आप बिजली नहीं दे रहे हैं तो यह फिक्स रेट आप किस नैतिकता के आधार पर उनसे चार्ज करते हैं ।मैं चाहूंगा इसको आप अपने भाषण के समय स्पष्ट करने की कृपा करें। जब यह हो गया है, तो उसके बाद भी आपका दावा है कि हम किसानों के दोस्त है। बिजली बन्द है, फिक्स रेट बराबर चार्ज हो रहा है और यह किसानों के दोस्त हैं ।

जहां तक खाद का प्रश्न है, इस तरफ के जितने बोलने वाले हैं और उस तरफ के लोगों ने भी कहा है कि उचित दाम पर खाद नहीं मिलती है, यह एक शिकायत है। दूसरी शिकायत यह है कि सस्ती खादों की कीमती खादों में मिलावट की जाती है और 48/50 वाली खाद आपके यहां 65 रुपया तक में बेची गई है । फिर भी आपका दावा है कि किसानों से आपकी दोस्ती है । प्रधान मंत्री जी भी दावा कर गई हैं कि यहां चीजों के दाम ठीक हो जायेंगे । यह कौन सी नई बात है, कौन नहीं जानता है, कब फसल के वक्त किसानों की लूट नहीं हुई है । चाहे गन्ना हो या आलू, चाहे उस गेंहू बेचना हो, जब उसके बेंचने की बारी आती है, तो चीजों के दाम बराबर गिरे हैं । इस सरकार की नीतियों के कारण किसानों की लुटवाई और उपभोक्ताओं की लुटवाई साथ-साथ हुई है ।

आज लोगों को अनाज मिलता नहीं है । जबकि पूरी आबादी को नहीं बल्कि कुछ क्षेत्र में ही इसकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। जहां तक व्यवस्था सरकार ने सम्हाली है, वहां पर यह सरकार गल्ला नहीं पहुंचा पा रही है । यहां पर इस विषय पर जो प्रश्न रूए हैं, बड़ा दुख होता है जानकर कि सरकार चाहती है कि जो उसका मुनासिब और उचित जवाब हो वह सदन के सामने जनता के सामने न आने पावे, इसके लिये वह प्रयत्नशील रहती है । हम भी अपनी अक्षमता के कारण उसका सही जवाब सरकार से निकलवा नहीं पाते हैं । जो वितरण अधिकारी, पूर्ति अधिकारी, जिला अधिकारी हैं, वे जिम्मदार हैं, जिनकी वजह से राशन की दुकानों पर हमें पूरी चीनी आदि नहीं मिल पाती है। गेहूं नहीं मिल पाता है । सरकार दोषी नहीं है । लेकिन वास्तविकता क्या है ?

बाराबंकी का मैं उदाहरण देता हूं । वहां पर 307 टन हर महीने का अपने कोटा निर्धारित किया है । लेकिन जनवरी में मुश्किल से 50 टन इन्होने दिया है। जहां तक फरवरी का संबंध है फरवरी के चौथे हफ्ते के शुरुआत तक मेरी जानकारी है केवल 10 टन गेहू पहुचा था, जब कि केवल जेल की जरूरत है, 30 टन। जब 10 टन फेयरप्राइस शाप्स को देंगे तो कहां से गल्ला मिल जायगा ? यहां पर बितरक की बेईमानी का प्रश्न नहीं उठता। जिला पूर्ति अधिकारी की अकुशलता का भी यह द्योतक नहीं है। बल्कि पूरी तरह से यह सरकार की हार है ।

सरकार के लोगों को अन्न फराहम करने की जो जिम्मेदारी ली है उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार ने राशन में कटौती भी कर दिया है। 6 किलो गेहू की जगह पर अब दो किलो गेहू मिल रहा है। लेकिन दो किलो भी लोगों को मयस्सर नहीं है। उसमें गृह लक्ष्मियां और दूसरे लोग सुबह से शाम तक भीड़ लगाते हैं, यहां तक कि लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। यह स्थिति पदा हो गयी है।

मान्यवर, अपनी इस नाकामी पर परदा डालने के लिये, शायद इसके लिये बड़े व्यापारी दोषी हैं, जिला अधिकारी दोषी हों, पूर्ति अधिकारी दोषहों, या वितरक दोषी हों, ऐसी हवा फैलाते हैं। और जवांब के लिये आप ले गाये हैं थोक व्यापार। बड़ा अच्छी चीज है आप करिये। लेकिन जो अभी आंशिक राशनिंग है उसमें यह दशा उन्होंने कर रखी है अगर पूरी जिम्मेदारी यह ले लेंगे तो उसके लिये आपने कोई रूपरेखा तैयार की है क्योंकि जहा तक अधिकारियों का सवाल है उन्होंने हमसे स्वीकारा है, अब तक कोई रूपरेखा उनके सामने नहीं आयी । इसमें कितना खर्चा होगा । अन्दाजा है कि हिन्दुस्तान के पैमाने पर 10 अरब

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

खर्च हा। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में पौने दो अरब रुपये की जरूरत पड़ेगी। पौने दो अरब रुपये का कहां प्राविधान इस बिजट में किया ? कहीं पर कुछ नहीं।

इसके साथ-साथ क्या उनकी मशीनरी ईमानदारी के साथ किसानों से गल्ला खरीद सकेगी सकेगी क्योंकि पिछला तजुरबा बताता है कि जब गेहु की फसल भीग गयी थी, 72,74,76 का दाम था वह किसान को नहीं दिया, 30, 40, 50 रुपये दिया गया और सरकारी खजाने से चार्ज किया है निर्धारित भाव से। इस तरह को बेईमानी को बराबर गुंजाइश बनी रहेगी। तीसरे यह मशीन नहीं है ।

मैंने एक दफा यहां कहा था। गांधीवाद और मार्क्सवादी दो सिद्धांत हैं। मार्क्सवादी विरोध में भी क्रांतिकारी रहा है और जब गद्दी मिली है तब भी उसको क्रतिकारिता बनी रही है। गांधीवाद जो हमने देखा है, विरोध में क्रान्तिकारी रहा है लेकिन गद्दी मिल गयी तो उसकी क्रांतिकारिता नष्ट हो गयी। मार्क्सवादी ने गद्दी मिलने के बाद मिल्कियत की संस्था का नाश किया। जो मशीनें बड़ी हैं उनकी मिल्कियत का नाश किया, जहां तक खेती का सवाल है उसकी भी मिल्कियत का नाश किया है। सहयोगी खेती चलायी है। इसके लिये उन्होंने संघर्ष किया है। उससे उनकी आंतरिक शक्ति भी पैदा हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति भी पदा हुई है। हमने गद्दी पाने पर पूंजी को जितना संरक्षण सम्भव था वह सब दिया। खाली उन्होंने एक चीज सीखी कि सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ कारखाने खोल दिये जायं या कुछ चीजों पर कब्जा कर लिया जाय तो सारा मामला दुरुस्त हो जायगा।

मार्क्सवाद के सिद्धांत के पीछे क्या था? यह जो खेती है, मशीन है उसका मिल्कियत जो है वह असली बुनियाद है। फिर शिक्षा, भाषा, धर्म अथवा संस्कृति है। यह ऊपरी इमारत है। उसकी बुनियाद को अगर ठीक कर दिया जाय तो अपने आप सारी चीजें ठीक हो जायंगी लेकिन हमारे यहां गलती से समझ लिया गया है यह कि पूंजी को मत छेड़ो, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ कारखानों को खोल दो और उसमें गांधी की सदस्यता और इच्छा का सम्मिश्रण कर दिया जाय। बिड़ला को, टाटा को छेड़ने से क्या फायदा ? किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिये। खाली सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ कर दिया जाय तो सारा मामला अपने आप ठीक हो जायगा। यह न गांधीवाद है और न मार्क्सवाद है। यह है नेहरूवाद। इसको दर्शन के रूप में दुनिया के सामने पेश किया गया है।

यह गांधी और मार्क्सवाद के समन्वय की खिचड़ी है निचले स्तर की खिचड़ी है। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। इससे न हमारी आन्तरिक शक्ति बढ़ी है और न अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है बल्कि इसके साथ नौकर शाही की शक्ति बढ़ी है। जितने आपने निगम कायम किये हैं, परिषदें आपने कायम की हैं उन सबमें आपने नौकरशाही को बिठा दिया और वह भी एक किस्म की नौकरशाही आई० ए० एस० अथवा आई० सी० एस० और यह वह गैर-जिम्मेदार वर्ग है जिसको जनता की परवा नहीं है।

दूसरे इससे आपने विधान सभा की शक्ति को भी क्षीर्ण किया है। इसके नियंत्रण को कम किया है। कारण यह है कि यह जो नौकरशाही बैठी है इसका एक दृष्टिकोण होता है और वह दृष्टिकोण यह है कि जिस माहोल में वह रहते हैं, जिनके साथ उठना बैठना उनका होता है, खाली वे विशेष लोग उनके ध्यान में रहते हैं, वह विशेष स्थान उनके ध्यान में रहता है और सम्पूर्ण देश अथवा प्रदेश की जनता उनके सामने नहीं रहती। स्वास्थ्य सेक्रेटरी हैं तो उसके दिमाग में अस्पताल का जनरल वार्ड नहीं रहता। उसकी कोशिश यह होती है कि स्पेशल वार्ड का सुधार कैसे किया जाय।

यही बात गुप्ता जी कह रहे थे कि विद्युत बोर्ड के मुताल्लिक। वहां पर सादगी नहीं है, किफायतशारी नहीं है। वहां पर कीमती कुर्सियां तथा कालीन डाले गये हैं। क्या किसी

गरीब देश में इस तरह की सजावट हो सकती है? वहां के ठाट बाट का यह हाल है कि बढ़िया अमेरिकन कंटूअर चेयर्स वहां लगाई गयी है। मन्त्रियों के पास जो स्पोकोफोन नहीं उपलब्ध हैं वहां सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के यहां स्पेकोफोन लगे हुए हैं। कुर्सी पर बैठ कर आप उनसे बात कर सकते हैं बिना फोन को उठाये हुए। यह दृष्टिकोण उनका रहता है।

देश का हित सोचने का अथवा देश की गंदगी व गरीबी को दूर करने की दृष्टि उनकी नहीं रहती है। नतीजा यह है कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता खूबसूरत बनें, लेकिन देश की गंदगी तथा कीचड़ ज्यों की त्यों बनी रहे। देश में चेचक, हैजा ज्यों का त्यों बना रहे। यह नौकर-शाही इतनी गैर-जिम्मेदार है कि देश की साधारण जनता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और जिस प्रकार से सदियों की गुलामी में देश के रूलर्स तथा रूल्ड में कोई सम्पर्क नहीं रहता था वही दृष्टिकोण आज भी चला आ रहा है। और इस तरह से आप परिषदों का गठन करते चले जा रहे हैं और सब का ढांचा बिगड़ता चला जा रहा है।

मैं पूछता हूं कि इनम कौन सी विशेष योग्यता है? कामर्स में विशेष योग्यता रखते हैं, व्यापार में या मैनेजिंग डाइरेक्टरी में इन्होंने कोई विशेष योग्यता प्राप्त की है कि आपने इन्हें ऐसी जगहों पर बिठा दिया है। रूस के बारे में कहा जाता है और उसकी नकल की जाती है। मान्यवर, रूस ने अपने देश के लिये संघर्ष किये हैं, जनमत को तैयार किया है और सरकारी मशीनरी का ढांचा सुदृढ़ किया है जिसकी वजह से उन्होंने प्रगतिशील शक्तियां रिलीज की हैं, अपने देश को आगे बढ़ाया है, अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाया है और विकास किया है। आप क्या उसकी नकल कर पायेंगे। नकल भी आपने उनकी की तो इतने निचले स्तर की कि जिससे सारा जनतंत्र और जन-जीवन मिटता चला जा रहा है। आज चारों तरफ नौकरशाही का ही बोल-बाला है और प्रदेश की जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रहीं हैं। यह खाली परिषदों का ही सवाल नहीं है, सारे देश की यही स्थिति है।

मान्यवर, यहां पर प्रदेश के बंटवारे के बारे में भी चर्चायें चल रही हैं। आपको याद होगा जब स्वर्गीय डाक्टर लोहिया और उससे पहले गांधी जी ने हिन्दुस्तान में पंचायती राज का स्वप्न देखा था। इस पंचायती राज का तात्पर्य यह था कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिये से गांव से लेकर दिल्ली तक का राजकाज चलाया जायगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिल्ली की पंचायत और सूबे की पंचायत बनाने के लिये संविधान में प्राविधान किया गया। लेकिन अभी तक गांव और जिला स्तर पर कोई पंचायती राज नहीं है। नतीजा यह है कि गांव और जिले वालों के लिये लखनऊ बहुत दूर हो गया।

अभी माननीय परिहार जी आगरे के बारे में कह रहे थे। मैं जानता हूं कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं। मैं भी वहां पर गया था। आगरे में बिजली का बड़ा संकट है और वह भी एक साल से नहीं पिछले कई सालों से यह संकट चला आ रहा है। उसका कारण यह था कि मार्टिन बर्न कम्पनी कोटेक ओवर करने की कार्यवाही पिछले दिसम्बर में होने वाली थी। वहां पर उद्योगों के लिये तथा कृषि आदि के लिये बिजली नहीं मिल रही थी। वहां के लोगों से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हम बंटवारा नहीं चाहते हैं लेकिन लखनऊ हमारे लिये बहुत दूर है। हम जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते भी हैं वे भी वहां पर कोई बात नहीं उठाते हैं। जिससे उन्हें खीझ सी होने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां के लोग बंटवारा नहीं चाहते हैं सिर्फ जनतंत्र का विस्तार ही इस स्थिति का एकमात्र इलाज है।

गांव स्तर और जिलास्तर पर भी इस तरह की पंचायतें होतीं इस तरह की नहीं जिस तरह की आज हैं तो प्रदेश की काफी प्रगति हो सकती है और जनता का उससे कल्याण हो सकता है। इन जिला एवं गांव स्तरीय पंचायतों के अधीन पुलिस और शिक्षा आदि के कर्मचारी होने चाहिये। अगर यह इन्तजाम वहां पर हो जाय तो बंटवारे की कोई बात नहीं करता। तो मैं पुनः दुहराना चाहता हूं कि जनतंत्र का विस्तार ही इसका इलाज है। चाहे वह विधान सभा या संसद हो, सारे देश की शक्ति इन गांवों पर ही निर्भर करती है लेकिन हम उन्हें यहां पर गूंजा नहीं पाते

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

हैं जिसके कारण आज गांवों में असन्तोष व्याप्त है। अभी तो प्रदेश के बंटवारे की ही बात आ रही है किन्तु यदि यही स्थिति रही तो चार चार और जिले-जिले को अलग करने की नौबत आयेगी। मैंने युद्ध में ही निवेदन किया था कि यहां पर चौखम्भाराज का विस्तार होना चाहिय। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं, वही सेट-अप आज भी बना हुआ है।

आज भी कलेक्टरशाही, कप्तानशाही ज्यों की त्यों बनी हुई है और वह वैसे के वैसे चल रही है और उसका नतीजा यह है कि जनता में असन्तोष फूटता है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें केन्द्र की भी साजिश है। केन्द्र में भी यह मांग उठायी जा रही है कि प्रदेशों के लिये रिआर्गेनाइजेशन कमीशन फिर से बनाया जाना चाहिये और कुछ विरोध के लोग भी उस आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं और सामने रखते हैं आंध्र और तेलंगाना का झगड़ा। लेकिन मान्यवर, यह तो आप जानते ही हैं कि पुराना जो रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बना था उसने उसी वक्त यह संस्तुति दी थी कि आंध्र और तेलंगाना को अलग-अलग राज्य के रूप में रखा जाना चाहिये लेकिन किसी कारणवश पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वगीय पंत ने उसे माना नहीं।

साथ ही राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गयी कि तेलंगाना के विकास और वहां की सेवा के बारे में विशेष आदेश जब चाहें दे सकता है यह बिल्कुल साफ उसमें था। तो तेलंगाना और आंध्र की तरह उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। केन्द्र को तेलंगाना और आंध्र को तो अलग-अलग करना ही पड़ेगा। जो लोग उत्तर प्रदेश के बंटवारे का ख्वाब देखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जितने छोटे प्रदेश हैं, चाहे हिमांचल प्रदेश हों, चाहे हरियाना हो, चाहे पंजाब हो, सभी केन्द्र पर आश्रित रहते हैं और केन्द्र की तरफ मुंहताज की तरह से देखा करते हैं। अगर आप यह स्थिति उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप भयंकर भूल कर रहे हैं। इसका यह कोई इलाज नहीं है कि प्रदेश का बंटवारा हो। इसका इलाज यह है कि हम सोचें कि क्या हम सचमुच में जनतंत्र की बात कहते हैं या खाली जनतंत्र-जनतंत्र की रट ही रोज बरोज लगाते रहते हैं।

आज होना तो यह चाहिये कि गांवों तक जनतंत्र का विस्तार हो, गांवों में शांति व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी सचमुच में गांव पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में हो। यह जो आज स्थिति है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ के स्तर तक भ्रष्टाचारभ्रष्टाचार की शिकयत है वह अगर यहां के लोगों की निगाह में होता तो जिले के स्तर पर ही फौरन उसकी गर्दन पकड़ में आ जाती, उसके कान पकड़ में आ जाते और उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाता लेकिन आज स्थिति दिन पर दिन गिरती व बिगड़ती जा रही है। जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है वह अपनी स्वायत्तता को भी देती जा रही है। उसे जरा भी अहसास नहीं होता कि उत्तर प्रदेश भारत का ही एक प्रान्त है और इस हिसाब से केन्द्र का दखल रोज-बरोज बढ़ता जा रहा है। जहां तक मुख्य मन्त्री का सम्बन्ध है, क्या माननीय मुख्य मन्त्री आज इस हालत में हैं कि वे अपनी पसन्द के लोगों का मन्त्रिमण्डल बना सकें या जिनको पसन्द नहीं करते हैं उनको अपने मन्त्रिमण्डल से निकाल सकें? आज वह शक्ति नहीं रह गयी है और केन्द्र का जाल किस तरह से फैला हुआ है, मालूम नहीं माननीय मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है या नहीं। कन्द्र की तरफ से फील्ड पब्लिसिटी आफिसर रखे गये हैं। जैसे रायबरेली में कोई रखा गया है तो सुल्तानपुर, बाराबंकी का जिला भी उसकी जद में आ जायगा। उसका काम यह होगा कि वह केन्द्र की तरफ से जगह जगह जाकर इन्दिरा जी की फिल्म दिखलावें। इसका मतलब है कि एक मात्र चहरा और व्यक्तित्व केवल इन्दिरा जी का ही हैं इस प्रदेश में और किसी का नहीं जिसे जनता को दिखलाया जा सके।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, एक और साजिश हो रही है कि जितने भी आपके डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां 4–4 एमपीज रखे जायें जो उत्तर प्रदेश के न होंगे। ये केन्द्र के प्रतिनिधि

के रूप में वहां रहगे और उन 4 एम0 पीज0 का डिवीजनल हेड क्वार्टर्स पर काम क्या होगा—जितने सरकारी साधन होंगे वह उनके डिस्पोजल पर होंगे। उनके आने जाने के लिये जहां चाहें जीप वगैरह सब मिल जायेंगी। और वह घूम-घूम कर तिकड़म करेंगे, कहीं हिन्दू मुस्लिम दंगा करा देंगे, कहीं भाषा के दगे करायेंगे। इसके अलावा इनका और कुछ काम नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की आज कल हालत बहुत खराब हो गई है। आपके सामने अब केवल दो विकल्प रह गये हैं। या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर उस दखल के खिलाफ बगावत का झडा बुलन्द करें और हमारे साथ आ जायं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुख्य मन्त्री जी मजाक समझ रहे हैं, यह हंस रहे हैं, हम उनके दिल में घुस नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो घुसने को कोशिश कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां। आखिर यशपाल कपूर की है सियत इस प्रदेश के नेतृत्व के क्या माने रखती है। आप समझते हैं कि यह साधारण बात है। यह मांग हो रही है और इसके लिये लोगों को उकसाया जाता है, अखबारों में बयानबाजी होती है। ऐसी सरकार से क्या फायदा है जिस पर केन्द्र का एतबार न हो। ये जो फील्ड आफिसर्स रखे गये हैं यह सब क्या चोज है। ऐसी स्थिति में इस सरकार को रहना नहीं चाहिये।

एक चीज और कह दूं और जिसकी ओर माननीय गुप्ता जी ने इशारा किया है कि मुख्य मन्त्री और मन्त्रि परिषद् के सदस्यों ने विवेक कोष (डिसक्रीशनरी फंड) बढ़ा लिये हैं। इससे वे अपनी पसन्द के लोगों को जब चाहेंगे और जितना चाहेंगे उतना धन दे सकेंगे। इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। चुनाव को दृष्टि में रख कर यह काम किया गया है।

इसी तरह से हरिजनों को सारे लोगों से अलग कर रहे हैं। दिन रात रेडियो से और अखबारों से प्रचार हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार हरिजनों की ही है। मकान भी इनके, कुआं भी इनका, बिजली भी इनकी लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। दूसरे जब बिजली किसानों के लिये नहीं है तो हरिजन बस्तियों के लिये कहां से ले जायेंगे। लेकिन इस तरह का बराबर प्रचार हो रहा है। इससे हरिजनों में कहीं-कहीं उभार पैदा हो जाता है और वे सोचते हैं कि जगजीवनराम हमारे रिश्तेदार हैं और यहां के लोग हम लोगों से चमड़े की सफाई कराते हैं। तो कभी-कभी ये लोग उभर जाते हैं और इंदिरा जी का दूसरा हाथ है वह उनकी मरम्मत करता है। जगह-जगह पर इनकी बस्तियां जलाई जाती हैं और उत्पीड़न किया जाता है। एक ओर लोग समझते हैं कि यह सरकार हरिजनों के लिये है दूसरी ओर ये हरिजनों के दुश्मन हो जाते हैं।

इसी प्रकार से मुसलमानों का मामला है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि अलीगढ़ यूनिवर-सिटी का करेक्टर वैसा ही रखेंगे। रामपुर में यूनिवर्सिटी देंगे तथा आबादी के लिहाज से प्रांत और केन्द्र में सरकारी सेवाओं में और पुलिस सेवा में इनको नौकरी देंगे। लेकिन आपने अपने वायदे को पूरा नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ किया। जब मुसलमानों ने अपने गुस्से का इजहार किया तो आपने अलीगढ़ और बनारस में इन लोगों को खूब पिटाई कराई। हालत यह है कि शायद वे वोट के दर्द के लिये तैयार न हों, इसलिये अब मुसलमानों को घूस दे रहे हैं। वह किस तरह से कि यहां अकरबरअली खां को यहां का गवर्नर बना कर भेज दिया गया है। उनका काम क्या है? चाहे सरकारी काम हो या न हों लेकिन वे हमारे यहां बाराबंकी क्षेत्र में चार दफा जा चुके हैं। जिन बस्तियों पर इनका प्रभाव पड़ सकता है उनमें ढूंढ-ढूंढ कर जा रहे हैं।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

एक तो घूस यह मिल गई और दूसरे इस बजट में यह कहा गया है कि जहां पर जिस कक्षा में 10 लड़के होंगे या जिस स्कूल में 40 लड़के होंगे वहां के लिये उर्दू का टीचर दिया जायगा और हर नगरपालिका के स्कूल में तो वह जरूर ही दिया जायगा। यह कौन सी नई बात है। यह एलान और आश्वासन तो पहले से मौजूद है, इसमें एलान करने की बार-बार क्याजरूरत है, अब तो उसके मुताबिक काम करन की जरूरत है, जैसा कि माननीय गुप्ताजी ने कहा मैं वही बात फिर कहूंगा कि मुसलमानों को इसकी जरूरत नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा बुनकर है, उसके लिये आपने बजट में रखा है कि उन को बैंकों से इमदाद मिलेगी, यह मिलेगा और वह मिलेगा लेकिन जब वह बैंकों पर जाते हैं इस संदेश कोलेकर तो हमारा अनुभव है कि बैंक आफ इंडिया या अन्य बैंकों से वह लौटा दिये जाते हैं। जब यह शिकायत हमारे और जिला अधिकारियों के पास आई और उनसेकहा गया कि क्यों नहीं पैसा दिया जाता है तो उन्होंने कहा कि अभी पर्याप्त स्टाफ इस काम के लिये हमारे पास नहीं है।

घूमफिर कर आखिर बात फिर वहीं आती है कि अगर बैंक कर्ज देगा तो वह बगैर सीक्योरिटी के पैसा किसी को नहीं देगा क्योंकि वह समझते हैं कि अगर वह न होगी तो पैसा वापस न होगा और वह डूब जायगा। हालांकि एक पैमाना निर्धारित किया गया है कि एक करघे पर इतना और एक पावर लूम पर इतना कार्य दिया जाय लेकिन वह नहीं देते हैं और बुनकर वापस आते हैं, इस को तरफ आप की नजर जाना चाहिये। उन का बड़ा समय खराब होता है और उन को जा कर वहां गिड़गिड़ाना पड़ता है।

आज 25 साल हो गये यह सवाल जनता का नहीं है बल्कि अफसरों का और नौकरों का सवाल है, जनता का कोई काम उनके द्वारा घर बैठे नहीं होता जोकि होना चाहिये। लोगों को आज दफ्तरों में जाकर तरह तरह से अपमान सहन करना पड़ता है। कभी कर्ज के लिये, कभी बिजली के लिय, बराबर जनता को भागना पड़ता है, इस चक्र को आप को तोड़ना चाहिये, लेकिन आप उसे क्या तोड़ेंगे ? आप तो उसका विस्तार ही कर रहे हैं। उद्योगों में लगे मुसलमानों की हालत खराब है, जब खेतिहर मुसलमानों के लिये और छोटे किसानों की भलाई का काम होगा तो उनका फायदा होगा। मैं तो मुसलमानों से भी कहूंगा कि इसी तरह से उन्हें उन की आबादी के अनुपात में सरकार में जगहें मिलें और यह भी जरूरी है कि पुलिस वगैरा में भी उन को जगह मिलना चाहिये। लेकिन यह ऐसा नहीं करते, खाली एलान होता है उसके बाद अमल कुछ नहीं और उसका नतीजा यह होता है कि वह सताये जाते हैं।

आजकल तो पूरे सूबे में यहीं नहीं बल्कि केन्द्र से लेकर हर प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार बैठी है इन एक दो साल में न जाने क्या हुआ है कि ताजिये और चांचर की छोटी छोटी बातों को लेकर हिन्दू मुसलमान एक दूसरे से इतने अगल हो गये हैं, एक अलगाव पैदा हो गया है, दोनों में इन 25 साल के बाद दोनों सम्प्रदायों क लोगों में कोई भाईचारा नहीं, कोई एक दूसरे पर इतमाद नहीं रहा है बल्कि यह इन्दरा जी की सरकार उसमें और विस्तार ही कर रही है क्योंकि आपने मुसलमानों को एक अलग कमुनिटी मानकर अलग से सौदा बराबर किया है, आपने हिन्दू मुसलमानों के उस अलगाव को और बढ़ाया है और आप और देश इस का नतीजा भोगेगा। हमारे बाराबंकी में ही कई जगह ताजिये और चांचर को लेकर झगड़ हुए। कांग्रसी जो चालाक हैं वह कभी डिप्टी कमिश्नर के सा और कभी पुलिस कप्तान के साथ झगड़े की बात बढ़ाते हैं। उस का नतीजा यह है कि दोनों सम्प्रदायों के बीच बजाय सद्भावना के तनाव और अशांति बढ़ रही है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

मैं आप की बात कहने की होशियारी का बहुत कायल हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं इतना और कहूंगा कि साथ ही एक व्यापक प्रश्न बढ़ी हुई मंहगाई का है केवल 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

2 मिनट को जगह तो आप को 10 मिनट हो गये। कृष्णानन्द राय जी तो संसदीय अध्ययन समिति की ओर से अच्छे भाषण कर सकते हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यह क्यों भूल जाते हैं कि वह कांग्रेसियों से भी ज्यादा होशियार हैं ।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

आपने अभी बाराबंकी के मुताल्लिक फरमाया इसी साल वहां पर मेरे माननीय मुख्य मन्त्री ने ताजिये के मामले को तय कराया और उसे निकलवाया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरी यही तो शिकायत है कि 25 साल के बाद भी वहां पर जाने की नौबत आयी ।

श्री इम्तियाज हुसैन—

झगड़ा तो उसी वक्त से चल रहा था जबसे आपकी हुकूमत थी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक बार 1951–52 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ । और इन्हीं लोगों ने कराया था । तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस बढ़ती हुई महंगाई का सरकार उपाय नहीं करती है बल्कि इन्होंने एक वेतन आयोग गठित किया और कहा कि विभिन्न श्रेणियों के अन्तर को घटाया गया है । आखिर इस सिद्धांत को क्यों नहीं माना जाता कि समान काम के लिये समान अवसर । यदि आप इस सिद्धांत को मान लेते तो आप तो कहते हैं कि हमने 108 के स्थान पर केवल 38 न ये वेतन मानों को कर दिया है लेकिन मैं कहता हूं कि केवल 4 ही हो सकते थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी । चाहे कोई कर्मचारी नगरपालिका में हो, चाहे जिले के कार्यालय में काम करता हो, चाहे सचिवालय में काम करता हो, चाहे किसी डायरेक्ट्रेट में कार्य करता हो, एक स्तर पर सारे कर्मचारियों को एकसा वेतन मिलना चाहिये लेकिन यह वेतन आयोग की संस्तुतियों में नहीं है । कहते हैं कि हमने वेतनों में असमानता का अनुपात 1 : 30 से घटाकर 1 : 8 कर दिया है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई सीमा बांधी है कि अधिक से अधिक वेतन 1,500 या 2,000 रुपया होगी ? मिनिमम के सम्बन्ध में आप कहते हैं कि उसे 165 रुपया कर दिया गया है । मेरे विचार में यह कम से कम 200 रुपये से कम नहीं होना चाहिये था । एक टाइम स्केल की बात है, उसको भी आप मान लीजिये । दूसरे प्रोमोशन वगैरह के मामले इतने बिगड़े हैं कि वर्षों से शिकायतें चली आ रही हैं । आमदनी, खर्चे, उपलब्धियां और अधिकारियों को ध्यान में रखकर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है । उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन कर दूं कि असमानता बहुत बढ़ रही है । जैसे विधान सभा के रिपोर्टरों को ही ले लें, इनके काउन्टरपार्ट जो किसी एक्जीक्यूटिव मन्त्री के यहां लगे हुए हैं, उनके एमोल्मेंटस यहां के रिपोर्टरों से बहुत ज्यादा हैं यद्यपि काम करने का नेचर एक सा ही है । आप आमदनी की एक

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

सीमा 1,500 या 2,000 रुपया बांधें और सबसे नीचे वाले व्यक्ति को कम से कम आप 200 रुपया दे। इससे ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये। यही एक वाजिब चीज है।

चूंकि ये सब चीजें आपको वेतन आयोग से हासिल नहीं हुई हैं, इसलिये जो कुछ भी आप उन्हें देंगे, सेवाओं में असन्तोष बना रहेगा और इससे उन्हें राहत नहीं मिलेगी क्योंकि महंगाई पर कोई रोक नहीं है। इसलिये निश्चित दाम नीति चलाइये। किसी भी 2 फाइलों के बीच अनाजों के दाम 20रुपया सैकड़ा से अधिक नहीं होनी चाहिये और जीवन की आवश्यक उपयोगी वस्तुओं के दाम कल कारखाने से, खर्चा वगैरह लगाकर ड्योढ़े से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यह तभी सफल होगा जब आप आमदनी और खर्चे पर प्रतिबन्ध लगायेंगे। आपने जड़ नहीं पकड़ी है, बाल-बाल पकड़ी है। इसलिये कोई हल निकलने वाला नहीं है चाहे आप थोक व्यापार कर लें या और कुछ कर लें?

जहां तक बड़े लोगों के प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, उनकी फीगर्स तो मैं नहीं दे रहा हूं लेकिन उनका उत्पादन बढ़ा है लेकिन जो चीजें छोटे आदमी के उपयोग में आने वाली हैं, चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो, चीनी हो, या तेल हो, उनका उत्पादन बराबर घटता चला जा रहा है। यह है आपके समाजवाद की तस्वीर? चूंकि इससे असमानता और बढ़ेगी, इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं और सदन के सम्मानित सदस्यों से चाहूंगा कि वे भी इसका विरोध करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमन्, वैसे तो यह बजट संबंधी विवाद है, और इस पर उत्तर देना है हमारे वित्त मन्त्री जी को, परन्तु आपकी आज्ञा से कुछ बातों पर उल्लेख करने के लिये खड़ा हुआ हूं और बजट संबंधी जो बहुत सी बातें हैं, उसका जवाब समय पर हमारे वित्त मन्त्री जी देंगे। मान्यवर, यह इस असेम्बली का आखिरी बजट है। शायद अब पुनः बजट तब पेश होगा, जब नई असेम्बली बनकर आयेगी और नयी सरकार बनेगी। तो इस बार यह जो बजट है, आखिरी बजट है। उस पर जो वाद-विवाद हुआ, उसके सामने जो लक्ष्य था, वह चुनाव अधिक रहा और बजट संबंधी बातों का जिक्र कम हुआ। चुनाव में क्या इसूज उठाये जायेंगे, उसका कुछ प्रतिबन्ध हमें इस बहस से मिल गया। मान्यवर, अभी मैं जायसवाल जी की बात सुन रहा था....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं तो बजट के बाहर नहीं गया उसी तक महजूद रहा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आप मेरी बात सुनते रहें। आप उतावले बहुत हो जाते हैं। कभी-कभी धैर्य से भी काम लेना चाहिये। आप बहुत क्रांतिकारी पार्टी के ह, और बातचीत सुनने में भी क्रांतिकारी हो जाते हैं। मान्यवर, जो टीका-टिप्पणी बहस में की गयी, वह अधिकतर ऐसी ही की गयी कि जो चुनाव सामने है, उसको रखकर प्रायः वही प्रश्न उठाये गये जो चुनाव के समय उठाये जायेंगे। हरिजनों को अपनी ओर करने के लिये दोष हमारे ऊपर मुसलमानोंको अपनी ओर करने के लिये हमने वायदे करके वायदा-खिलाफी की; सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर करने के लिये यह कह दिया कि वेतन आयोग ही गलत है। ये सब बातें कहीं गयीं, ताकि इन सबका सहयोग आपको प्राप्त हो जाय, अब देखना है कि क्या है आपके भाग्य में और क्या है हमारे भाग्य में।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मुख्य मन्त्री जी का ओवर ड्यू तो पूरा हो गया; हम लोगों का भी बाकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ओवर ड्यू तो कुछ लोग बहुत दिनों से पूरा कर रहे थे, लेकिन चला नहीं। तो मान्यवर, अभी इस बहस में विशेष कुछ कहने के लिये है ही नहीं। नीति संबंधी बातों की ओर प्रकाश डालना चाहिये। इंदिरा जी का नेतृत्व है। उससे भले ही किसी को शिकायत हो, नाराजगी हो पर उनका नेतृत्व है और हमारी धारणा यह है कि बल्कि विश्वास यह है कि देश में ऐसे समय जब कि एक नये प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता थी और हमारी गति कुंठित हो रही थी, एक नेतृत्व उभर कर सामने आया जिसने हमें कुछ गति प्रदान की और नई दिशा में सोचने का अवसर भी प्रदान किया और प्रेरणा भी प्रदान की। यह दिशा हमारे देश में वह रही है जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सन्दर्भ में इस राष्ट्र ने अपनाई थी।

हम यह मानते हैं कि इन 25 वर्षों तक हमारे देश में जो संगठन रहा है, सबसे बड़ा राजनैतिक दल, उसमें भी कुछ कुंठा और गतिहीनता पदा हो गई थी और उसे गतिशील बनाने में उन्हें एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। आज चाहें हम कितने ही नाराज हों, गुस्सा हों, देश को वह नेतृत्व प्राप्त है। यह कहना कि उत्तर प्रदेश पर कोई केन्द्र का बड़ा भारी अधिकार हो गया है और मुख्यमन्त्री या तो इस्तीफा दें और मेरे साथ चलें आवें, यह एक दिमागी उड़ान है जिस पर सिवाय इसके कि थोड़ा सा हंस दिया जाय और कोई उत्तर नहीं है, जैसा कि मैं हंस चुका। कोई जाल बिछने की बात है नहीं।

यह सरकार बनी है और उनकी नीतियों के आधार पर बनी है और एक रस है जो कि तन्त्र में घुला हुआ है। उनकी नीतियों को हम संचालन कर रहे हैं क्योंकि हमें उनमें विश्वास है और हमें ऐसा समझते हैं कि वह देश के हित में है। इस सम्पर्क के कारण जो कुछ प्रभाव है वह होना स्वाभाविक है, होना चाहिये और उस प्रभाव के फलस्वरूप हमारा ऐसा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है। बाकी कोई जाल बिछ रहा हो, तो जाल जिसके लिये बिछेगा? केन्द्र की जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों को हम पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं और करेंगे, और उसके लिये कोई जाल बिछाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जाल बिछ रहा है तो हमारे भाई अनन्तराम जायसवाल जी घबड़ा रहे होंगे, तो मैं उनके प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम फंसने वाले नहीं हैं। मुख्यमन्त्री जी बिल्कुल साधारण बात की तरह टाल रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बड़े-बड़े होशियार भी फंस गये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो होशियार हैं वही फंसते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप तो होशियारों के सरताज हैं और हमें आशा है कि आप भी बहुत जल्दी फंसेंगे। इतना तो स्पष्ट है ही कि इन्दिरा जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं और उन नीतियों का संचालन किस सीमा तक, किस हद तक कर सके तो इसके लिये प्रयास करते हैं और जहां कहीं भी आवश्यकता होती है हमें केन्द्र से सहायता मिलती है, मार्गदर्शन भी मिलता है। जब किन्हीं नीतियों का संचालन करना होता है तो उसमें खतरे होते हैं और जो उन नीतियों का संचालन करता है उसे उन खतरों का साहस करना होता है, और उन खतरों को उठाने के लिये साहस की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह कर नहीं सकता। और उस खतरे का साहस लेकर हम सामने आये हैं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मान्यवर, हमारे बृद्ध, आदरणीय और प्रदेश के भी और इस सदन के भी प्रमुख नेताओं ने कुछ बातें कहीं, चौधरी चरण सिंह जी की स्पीच उस दिन तीन घंटे तक बैठा हुआ सुनता रहा। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उनमें कोई विशेष तत्व नहीं दिखाई पड़ा जिसका उत्तर देने की आवश्यकता हो। उनके भाषण पर यदि आप ध्यान दें तो तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। आधे से अधिक भाषण भारत सरकार की नीति, इन्दिरा गांधी की नीति और जवाहरलाल की बेवकूफी को साबित करने में लग गया और यह कहने में उनका समय लग गया कि किसी को कोई अक्ल नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। न कोई देहात जानता है, न खेती जानता है। ऐसे लोग बैठे हुए नीति का संचालन कर रहे हैं और सब कुछ चौपट होता चला जा रहा है।

आधा जो बचा उसमें एक चौथाई में पुरानी बातों को दोहराते रहे जिन्हें दो वर्ष से मैं ही सुन रहा हूं और तीन चार बार के भाषणों में उन्हीं बातों को सुना। वही पुरानी बातें। एक बार अगर बनारस में कहीं मैंने मलाई खा ली थी तो वहां बहुत से कुंवे बनवा दिये और एक ट्यूबवेल का उद्घाटन करने का मौका मिल गया। ट्यूबवेल का उद्घाटन करना कोई बुरी बात है यह मैं नहीं मानता। जितने ट्यूबवेल उद्घाटन करने के लिये मिल जायं, करना चाहिये। फिर कहा कि मैंने अस्पताल बनवा दिये। इस तरह से वही पुरानी बातें कहीं जो कि वे कई बार कह चुके हैं। मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता।

एक बात उन्होंने कास्टीज्म की कही। 52-53 वर्ष कांग्रेस में काम करने के बाद कास्टीज्म का प्रतीक हूं और इस वजह से हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। कास्टीज्म न जाने मैं कब की तोड़ चुका। ऐसे वक्त तोड़ चुका जब मुझे घर से निकाल दिया गया था। जेल में मैं सबके साथ खा चुका था और बाद में प्रायश्चित नहीं कर सका इसलिये घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन अन्त में मेरे पिता जी ने फैसला किया कि देश की सेवा के लिये जेल गया और फिर जब राजदंड मिल जाय तो सारे पातक धुल जाते हैं। तो इतने उदार वह स्वयं थे। इसके बाद मुझे घर में प्रवेश करने दिया गया। तो कास्टीज्म कहां रह गया। हां, पूजा पाठ जरूर करता हूं क्योंकि भगवान में विश्वास करता हूं। टीका इसलिये लगा लेता हूं कि मेरा मुख सुन्दर हो जाता है। लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तेल लगाते हैं, बाल झाड़ते हैं। मैं चन्दन का टीका इसलिये लगाता हूं कि भगवान का प्रसाद मिल जाता है और मेरा मुंह भी खिल जाता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

पंडित जी, आप बगैर चंदन के भी बहुत अच्छे लगते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

धन्यवाद। और यदि मैं औरत होता तो आप मुझसे शादी कर लेते।

तो मान्यवर, कास्टीज्म का चार्ज लगाते हैं, कई बार लगा चुके हो। यह सदन जानता है और सभी जानते हैं कि जातिवादी व्यवस्था हजारों वर्षों से है और आज ऐसी व्यवस्था है जिसका स्वरूप विकृत हो गया, पहले चाहे जो स्वरूप रहा हो। आज के इस समाज में जबकि लोकतंत्रात्मक पद्धति स्वीकार कर ली है, जातिवाद नहीं चल सकता है उस स्वरूप में जिसमें वह चल रहा है। इन दोनों में अन्तर्द्वन्द्व है। या तो लोकतंत्र रहेगा या जातिवाद का विकृत स्वरूप रहेगा।

लोकतंत्र को बचाये रखना है तो इस प्रकार के जातिवाद और बिरादरीवाद को समाप्त करना है और अगर यह समाप्त नहीं होता है तो लोकतंत्र के लिये खतरा रहेगा। यदि कोई यह समझ ले कि तुम जो कह रहे हो वह हृदय से नहीं कह रहे हो, ईमानदारी से नहीं कह रहे हो और यह सर्टिफिकेट दे दे कि बेईमान हो, तो दूसरी बात है--अन्यथा हम लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम लोकतंत्र की पद्धति को चाहते हैं और इस प्रकार के जातिवाद पर विश्वास

नहीं करते हैं। मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता। किसी व्यक्ति के कोई विचार हों। में कोई आक्षेप भी नहीं करता। इस प्रकार की बात कही कि हरिजनों पर इसलिये अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि मैं कास्ट और कास्टिज्म का प्रतीक हूं।

पहले भी कह चुका हूं—साधारणतया अपने समाज की व्यवस्था में भी कहा जाएगा कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मुझे याद नहीं कि मैं कोई डेपुटेशन लेकर ब्रह्माजी के पास गया था कि मुझे ब्राह्मण के परिवार में पैदा कर दो। उनके दिल में था। किसी और घर में पदा कर देते और माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह को बड़ा भाई बना देते।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। ठाकुर हो जायें, मैं राजी हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अब केवल इसी कारण कास्ट माइंडेड हो गया। अब इन बातों का उत्तर देने लायक नहीं है। एक–चौथाई बात केवल रह गयी है जो नीति संबंधी उन्होंने कही। मुझे यह निवेदन करना है कि उनके दृष्टिकोण और हमारे दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अन्तर है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। सब स्वीकार करते हैं कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का आधार ग्रामीण जीवन है। यह आज से नहीं उस जमाने से है जिस जमाने से कि देश की स्वाधीनता का युद्ध लड़ा गया और गांधी जी की दृष्टि उस ओर गयी। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है, मान्यवर, कि हमारी खेती ही सबसे बड़ा व्यवसाय है–करोड़ों व्यक्तियों का जीवन उपाय है। ऐसा कोई दूसरा व्यवसाय, कोई दूसरा उद्योग-धन्धा नहीं है जिसमें इतने लोग लग सकें।

अंग्रेजों ने कच्चे माल की मण्डी बनाये रखने की कोशिश की और उस वक्त हम पीछे चले गये जब कि 250 वर्ष तक दुनिया आगे बढ़ती चली गयी। इंग्लण्ड के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फलस्वरूप उत्पादन के नये साधन और नये प्रकार उत्पन्न हुए। उनके प्रयोग में विज्ञान ने उनकी सहायता की। एक नयी प्रणाली उत्पादन की निकली और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से सारा यूरोप, इंग्लैण्ड और बाद में अमेरिका तथा पश्चिम की सारी जगहें तेजी से आगे बढ़ी। इन 200–250 वर्षों में हम बहुत पीछे ढकेले गये और हमें कच्चेमाल की मण्डी बनाये रखा गया। अब हम स्वाधीन हुए हैं। आज भी हमारे देश का, हमारी जीविका का आधार, हमारे समाज का आधार, हमारी संस्कृति का आधार और हमारी समस्त आर्थिक व्यवस्था का आधार ग्राम जीवन है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है, यह सब स्वीकार करत हैं कि ग्राम जीवन के माने ये हैं कि कृषि की उत्पत्ति बढ़े क्योंकि उसी पर समाज अवलम्बित है–उसी पर आर्थिक व्यवस्था अवलम्बित है। प्राथमिकता हमारी सारी योजनाओं और प्रयासों में कृषि को ही मिलनी चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कभी किसी ने अस्वीकार नहीं किया है।

अब प्रश्न यह होता है कि कृषि के द्वारा जो उत्पादन होता है वह उसी पुराने ढंग से होता रहे? मान्यवर, यह विज्ञान का युग है। हमारा प्रयास है कि हम कृषि की व्यवस्था को अधिक तीव्र बना सकें। इसमें दृष्टिकोण में अन्तर है। उर्वरक की बात कही गयी कि उर्वरक नहीं मिलता है। उर्वरक के कारखाने कायम कर दिये। उसका विरोध है कि इतने बड़े-बड़े कारखाने क्यों स्थापित किये गये।

पानी चाहिये, इसके लिये ट्यूबवेल और पम्प चाहिये। मान्यवर, यह मेकानाइजेशन है। अब सिंचाई, बल और पुर से नहीं हो सकती ह इसलिये अगर खेती करना है तो ट्यूबवेल को लगाना पड़ेगा। इसके लिये कारखाने चाहिये। अगर हम उनको नहीं लगायेंगे तो लंकाशायर से लोहा मंगाना पड़ेगा। कृषि उत्पादन में हमें विज्ञान की सहायता लेनी है। इसके लिये बिजली चाहिये तभी पम्प और ट्यूबवेल चलेंगे। बिजली के लिये तार चाहिये।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

तार के लिये तांबा नहीं मिलता है इसलिये अलूमीनिग्रम चाहिये। अलूमीनियम हवाई जहाजों के बनाने के लिये भी चाहिये। तो अलूमीनियम का कारखाना लगाना पड़ेगा। तो बड़ी बेसिक इन्डस्ट्रीज की आवश्यकता ह उससे कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

हम कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा के कारखाने के साथ-साथ हमें फर्टिलायजर का कारखाना भी मिल जाय। इसमें मिक्स्ड इकानामी चल रही है। पब्लिक सेक्टर में तो यह लगता ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसके लिय इजाजत मिल जाती ह। इनके लगने से हमें अधिक से अधिक उर्वरक मिल सकेंगे।

माननीय, इस प्रकार की इस समय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है जो कि एक दूसरे पर निभर ह। एक की वृद्धि के लिये दूसरे की आवश्यकता है ताकि बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। इस प्रकार कुछ बड़े कारखाने आये हैं। इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि उन बड़े-बड़े कारखानों से हमारी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं। लेकिन यह कि इन्डस्ट्रीज है और इनके बढ़ने से हमारी खेती भी बढ़ेगी और सुरक्षा के मामले में भी हम आत्मनिर्भर होंगे मैं यह दावा नहीं करता कि इनसे बेकारी दूर हुई। दुनिया के लोगों ने यह स्वीकार किया है कि हम इनके कारण सुरक्षा के मामले में आगे बढ़े हैं।

हमारे यहां की सबसे ज्यादा जन संख्या खेती में लगी हुई है। खेती पर भार कम करने के लिये बड़े-बड़े उद्योग-धंधे लगाने पड़ेंगे और उनके साथ ही साथ लघु उद्योग धंधे भी होंगे जिनमें लोगों को खपाया जा सके। जब तक लघु उद्योग धन्धों का हमारे देश में जाल नहीं बिछेगा बेकारी दूर नहीं की जा सकती है। इन सब के लिये मशीनों की आवश्यकता होती है। मशीनों को बनाने के लिये इन्डस्ट्रीज लगानी पड़ती है। बड़े-बड़े बिजली के कारखाने लगाने पड़ते हैं। ट्रांसमिशन में करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ता है। तो इस तरह से कारखाने लगाने पड़ते हैं जो कि एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमें इन उद्योग-धन्धों के साथ छोटे-छोटे उद्योग-धंधे भी लगाने होते हैं। अभी गुप्ता जी बात ठीक कह रहे थे, बहुत फैलते हैं छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे।

हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिये चेष्टा हुई है। करोड़ों रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा है हस्तकलाओं का। अभी जो दिल्ली में एशिया 72 प्रदर्शनी हुई थी उसमें प्रायः हर प्रदेश से हस्तकला का सामान आया था, मशीनें वगैरह भी थीं, और हमारा उत्तर प्रदेश का जो स्टाल था उसमें थोड़ी सी मशीनों के सिवाय हस्तकला का ही प्रदर्शन बहुत था और उसकी प्रशंसा भी काफी हुई थी, उसके आर्डर्स भी मिले। हस्तकला को प्रोत्साहन देना है और दे भी रहे हैं। हमारे यहां सबसे बड़ा छोटा उद्योग बुनकरों का है। उनके लिये बजट में मैं समझता हूं काफी प्रयत्न किया गया है। अब तो सूत का भी कंट्रोल किया गया है। उसके डिस्ट्रीव्यूशन का भी नये ढंग से प्रबन्ध हो रहा है। तो यह मानते हुये भी कि छोटे उद्योग-धंधों की आवश्यकता पड़ती है हमको बड़े उद्योगों को भी लगाना पड़ता है। अभी दिल्ली में था तो जो रिफाइनरी मथुरा में लगायी गयी उसके साथ पेट्रो केमिकल कम्प्लेक्स अगर लगेगा तो वह इसी दृष्टि से लगाया जा रहा है बहुत विचार करने के बाद कि उसके द्वारा ऐन्सिलरी इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी तादाद उसके साथ लग सके। यहां स्कूटर फैक्टरी लग रही है तो एप्लीकेशन्स पर एप्लीकेशन्स आ रही हैं उसके पार्ट्स बनाने के लिये। तो इस प्रकार बड़े उद्योग और छोटे उद्योग एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। जो चौथी पंचवर्षीय योजना रही है उसमें मैं समझता हूं 555 करोड़ रुपये कृषि और बिजली के लिये थे जब कि 960 करोड़ की हमारी योजना थी।

सिंचाई की व्यवस्था की जहां तक बात है, यह बात सही है कि वह जितना बढ़ सके उतना बढ़ानी चाहिये। बिना उसके हमारा काम नहीं चलेगा। आपके यहां सिंचाई की व्यवस्था बढ़ी भी है। 50–51 में जहां 22–23 सौ ट्यूबवेल थे वहां आज 13 हजार हैं। इसी तरह से 50–51 में जहां साढ़े 4 हजार पम्पिग सेट्स थे वहां आज 5 लाख के ऊपर हैं।

श्रौर जो योजना रखी गयी है उसके अन्तर्गत इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। अभी फाइनेंस कमीशन आया था जिसके सामने हम लोगों की पेशी हुई। हमने जो उनसे मांग की वह अखबारों में छप भी गया है। इसी बात को लेकर दूसरे प्रदेशों की तुलना में जो कुछ सहायता हमें अब तक दी गयी है किसी भी दिशा में वह बहुत कम दी गयी है, कोई उसका सैद्धान्तिक आधार नहीं रखा गया है न तो पापुलेशन की बेसिस पर न बैकवर्डनेस की बेसिस पर, उनसे मांग की गयी।

पिछली गवर्नमेंटों ने भी इसी प्रकार की बातें कही होंगी। अब की तो बहुत आंकड़े वगैरह देकर उनके सामने रखा। बात करते हुये उन्होंने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था तो यहां पर देश के शायद ही दो, एक प्रदेश में ऐसे हों जिनसे कम हो। आज कहा जाता है कि 39 परसेंट सिंचाई है सारे देश में और हमारे प्रदेश में करीब-करीब 40 परसेंट है। तो अब उसकी तरफ ध्यान दिया गया है और उस सम्बन्ध में पैसा भी खर्च किया गया है। तो यह कहना कि कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। अधिकाधिक उधर ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि आज हमारा आधार वही है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि औद्योगिक विकास होगा तो कृषि पर आधारित और कृषि से उत्पन्न पदार्थों पर ही होगा।

हमारी गरीबी के कारण यह हो सकता है कि कृषि की तरफ और तेजी के साथ हम आगे न बढ़ सके हों। हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जब हम किसी देश के सामूहिक विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें हर दिशा की ओर प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि जीवन एक सामूहिक स्वरूप है, उसी प्रकार हर दिशा की प्रगति की ओर हमको देखना होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सड़कें आदि जितने भी कार्य हैं, सभी को करना होता है। हमारे वृद्ध साथी जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जानते हैं कि हर विभाग से अपने-अपने लिये मांग होती हैं और उनको देना पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को ही दी जाती है। सबसे अधिक ध्यान कृषि पर ही दिया जाता है। कृषि उत्पादन के विकास पर ही हमारे अन्य विकास निर्भर हैं। उसी से उद्योगों का विकास भी सम्भव है। उसी दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान लीजिये कि बिजली कम है, तो पहले आप कृषि के लिये बिजली देंगे या अल्मूनियम के लिये देंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कृषि को पहले दी जायेगी, इसमें दो राय नहीं हो सकती। कृषि को ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिये। रबी की सिंचाई के लिये तो दो-ढाई महीने ही पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिये आपने देखा भी होगा कि हमने कहीं 25 परसेंट, कहीं 40 परसेंट बिजली कट की है और उसके कारण जगह-जगह कहीं ले-आउट हो रहा है, कहीं हड़ताल हो रही है। यह समस्या है, लेकिन पहले प्राथमिकता कृषि को ही देना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती।

मान्यवर, हमारे चौधरी साहब को मालूम होगा कि एक नलकूप पर हमको 450 रुपये का लास होता है। लेकिन इस लास को भी हम सहन करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो यह क्षति भी पूरी हो जायेगी। बिना कोई इन्वेस्टमेंट किये, उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

अब अल्मूनियम की जहां तक बात है, आज कल अल्मूनियम के तारों का ही प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी-बड़ी लाइनों के लिये हमको अल्मूनियम के तारों की ही जरूरत है। बिना उसके बिजली कैसे ट्रान्समिट होगी। फिर 80 परसेंट हमारा प्रोडक्शन केन्द्रीय सरकार ले रही है। दाम भी कंट्रोल कर दिये हैं। करोड़ों रुपयों का अल्मूनियम भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। और हमसे भी बराबर कहा जाता है कि आप अपने यहां अल्मूनियम की फैक्टरी को काहे के वास्ते

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

रुकावट डाले हैं, हमारी करोड़ों रुपये की फारेन एक्सचेंज लूज हो रही है। डिफेंस के तमाम कामों के वास्ते, रेलवे के तमाम कामों के वास्ते अल्मूनियम की बड़ी आवश्यकता है।

अल्मूनियम की नई-नई फैक्टरियां लग रही हैं। हम भी मांग करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में हमारे यहां एक और लग जाए, क्योंकि हमारे यहां बाक्साईट बहुत है, सफलता से वह चल सकती हैं। तो बिजली उसके लिए रा-मैटेरियल है, यह उसको देनी पड़ती है। 'हिंडालको' एक इंडस्ट्री लगी हुई है, 40 हजार टन पैदा करने के लिए उसका और एक्सटेंशन हुआ है वहां 10 हजार से ऊपर आदमी काम करते हैं। यदि ये एक्सटेंशन वाली मशीनें चलेंगी तो 5/7 हजार आदमियों को उस इलाके में और काम मिलेगा। वह जा रही थी लेकिन रोकी गई कि वह कारखाना अपने यहां ही लगे। यह ठीक है कि हम अपनी कास्ट आफ प्रोडक्शन से सस्ती बिजली किसी को न दें। लेकिन उसके साथ एक एग्रीमेंट है उसको भी देखना है। अब आप यह देखिए कि कैसे वह चीज की जा सकती है—जो कारखाना लगा हुआ है उसको हमें ले लेना है, उसका राष्ट्रीयकरण कर लेना है, कर लो। लेकिन उसको बन्द करने के बारे में या उसको मार डालने के बारे में निर्णय लेना टोटल नेशनल लास है। अब आप जिस तरह से कहते हैं, उससे ऐसा मालूम होता है जैसे मानो हम बिड़ला जी को ही दिय दे रहे हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया ले ले, प्राइवेट सेक्टर में है, उसे हम पब्लिक सेक्टर में ल लें या हमें अधिकार हो तो हम अपने यहां कर लें—इन सब बातों पर तो गौर किया जा सकता ह, लेकिन कारखाने का प्रोडक्शन और देश की उन्नति तो हर हालत में होनी चाहिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, दो बातें मैं कहना चाहता हूं—

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, अब आप इसे देखें। मैंने बैठे-बैठे सारी बातों को सुन लिया ह, लेकिन हमार ऊपर जायसवाल जी इतनी भी कृपा नहीं करते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कृपा—दया की बात नहीं है, आप मुख्य मंत्री हैं, वह दया के मोहताज नहीं हैं। दो चीजों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहला, किसानों को जो बिजली मिली, वह सिर्फ 6 घंटे मिली है, वह भी जिसका वितरण रात के दो बजे से शुरू होता है। दूसरी बात यह है कि बिजली का जो रेट है वह किसानों के लिए 22 पैसा पर यूनिट है, जब कि कनौडिया के लिए ढाई पैसा और बिड़ला जी के लिए 2 पैसा से भी कम में मिलती है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन रेट है....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं दूसरी बात कह रहा हूं, यह बात नहीं है। आप कृपा कर बैठें। यह एक इम्पार्टेन्ट इंडस्ट्री है, उसको चलाना है और चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए आपने इजाजत दे दी है, प्रोडक्शन हो रहा है, देश को उसकी आवश्यकता है, हजारों आदमी काम कर रहे है तथा हजारों को मिलने वाला है। इसलिए आप उसे मार नहीं डाल सकते है, यह नेशनल इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा।

आज अगर जयपुर से, राजस्थान के एटामिक एनर्जी स्टेशन से हमें अपने यहां अपने प्रदेश में बिजली की नई लाईन लाना है, जो कि हमें वहां से बिजली मिले, जिसकी हम बात कर रहे है, जो कि उनके पास फादिल बिजली है, तो हमें लाइन बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको तार चाहिए। नहीं तो बिजली नहीं मिल सकती है। हम मध्य प्रदेश आदि दूसरी जगहों से

भी बिजली मांग रहे हैं। अणुशक्ति वाला स्टेशन हम अपने यहां ले आए हैं। उसके लिए तमाम तैयारियां हो रही हैं। शायद इसी वर्ष उसका शिलान्यास भी हो जाए और काम भी शुरू हो जाए।

ओबरा, माताटीला और गोरखपुर के थर्मल पावर स्टेशन को बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बिजली कोई ऐसी चीज नहीं है जो जादू से हो जाए। उसके लिए हमें काम करना होगा, हमारी मांग निरन्तर बढ़ रही है, जो कि अब 16 परसेंट हो गई है। जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुए हैं, उनकी मांग बढ़ रही है, उतनी तेजी से सप्लाई करने के लिए आपके पास सामान नहीं है। मैं ज्यादा बिस्तार में नहीं जाना चाहता, हमारे वित्त मंत्री जी अभी बोलेंगे।

मैं केवल यह कहना चाहता था कि अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ा तो पापुलेशन भी बढ़ी है। गरीबी है। मैं मानता हूं केवल भाषण देने से गरीबी दूर नहीं होगी। कौन नहीं मानेगा। गरीबी दूर करने के लिये प्रबन्ध करना पड़ेगा। बल्गेरिया के ऐम्बेसेडर आये थे। हमसे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्रिडामिटेंटली हमारा देश ऐग्रीकल्चरिस्ट रहा है। हमने कहा कि हमारा आज भी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां गरीबी थी। 66 परसेंट पापुलेशन धरती पर निर्भर थी। घटते-घटते उन्होंने बताया करीब 30 परसेंट या कितना रह गयी है। बाकी हमने इंडस्ट्रीज में लगा लिया। तब से खुशहाली आयी है। एक कारण यह है, धरती पर लदा हुआ बोझ।

उत्तर प्रदेश की जोत छोटी-छोटी हैं। उत्पादन हमारा उतना नहीं हो पाता है तेजी के साथ जितना हरियाणा वगैरह में है। कहते हैं वहां प्रति एकड़ ईल्ड बहुत ज्यादा है। यह कई फैक्टर्स है। धरती पर से जब तक यह बोझा न हटे तब तक गरीबी में, अन्न की पैदावार बढ़ती चले साथ में खानवालों की मांग भी बढ़ती चले, बहुत बड़ा फर्क नहीं आयेगा। जो आप कहते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए अधिक से अधिक पैसा लगाना पड़ेगा, कौन इस बात को अस्वीकार करता है। पर इस बात से अस्वीकार करना पड़ता है कि इन चीजों को कर दिया गया, बेकार है, पैसा लगाना बेकार है।

गुप्ता जी ने कहा कि बजट में कोई नयी बात दिखायी नहीं देती है। कौन सी नयी बात ले आएं? उद्योग के लिए, कृषि के लिए, बिजली बढ़ाने के लिए, स्कूल कालेज के लिए, हरिजनों के लिए, उसमें तो तमाम चीजों की व्यवस्था की गयी है। क्या नयी बात कर देते? चौधरी साहब ने ठीक कहा, तुम कास्ट को रिप्रेजेंट कर देते हो। मेरा दुर्भाग्य है। मैं नहीं चाहता बिलकुल कास्ट और कास्टीज्म के खिलाफ हूं। छोड़ चुका हूं। अगर मीठा बोल दूं तो चौधरी साहब कहते है कि यह मीठा बोलता है।

श्री चरण सिंह—

सिर्फ मीठा बोलते हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हमारे बड़े भाई ह, आदर सहित बोलूं तो कहते हैं कि सिर्फ मीठा बोल देता है। कड़ुआ बोल दूं तो कह दें कि कड़ुवा बोलता है, चीफ मिनिस्टर हो गया, लिहाज भी नहीं करता। कड़ुआ नहीं बोलूंगा चाहे जितना मन हो उतना आप पीटें। हम बोलेंगे मधुर ही। वह हमारा स्वभाव है। उन्होंने कह दिया तुम कास्ट को रिप्रजेंट करते हो। कास्ट से मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, बिलकुल खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि इससे लोकतंत्र चल नहीं सकता। चलना नहीं चाहिए। यहां कोई ऐसा नहीं है जो अपने को किसी न किसी कास्ट का न कहता हो। लेकिन एक दृष्टिकोण होता है जिसे छोड़ना है। गुप्ता जी ने कह दिया कि तुम पैर छुवाते हो। मैं क्या बताऊं? हाथ जोड़ता हूं लोगों से कि पैर न छुएं। छू देते हैं पैर। सर्कुलर निकाल चुका हूं। (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के बोलने पर) पंडित जी आप के पैर तो लोग छूते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं कहता हूं कि किस आइटम का जवाब दे रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गुप्ता जी की शिकायत हुई थी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

यह मना भी नहीं कर पाते। पैर छुआते जाते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपने क्षेत्र में गुप्ता जी भी पैर छुआते हैं वह हमने देखा है। सैकड़ों आदमियों ने देखा है। मेरे कोई पैर न छुवे हाथ जोड़ कर कह चुका हूं लेकिन क्या करूं कैसे कहूं, कोई कानून बना दूं जो पैर छुवे उसे जेल भिजवा दो।

श्री चरण सिंह—

अब आप इतने लापरवाह हो गये हैं कि नोटिस भी नहीं लेते, लोग छूते रहते, छूते रहते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं सममुच पैर छूने से घबड़ा जाता हूं। मेरा विश्वास है कि जो पैर छू लेता है वह अपने पाप मुझे दे देता है और हमारा पुण्य ले लेता है। (व्यवध ान) उन्होंने कुछ बातें बिलकुल सच भी कहीं। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिय। ऐसे सामाजिक प्रश्न आज उठ गये हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार किया भी जा रहा है और करना चाहिये और न किया जायेगा तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे लिये अहितकर हैं। यह बात सही है कि जहां कहीं क्षेत्रीय असमानता है उसे दूर करना चाहिये और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की हमने चेष्टा भी की है। जहां तक डिस्क्रिशनरी फंड की बात है, गुप्ता जी के इस सुझाव को मैं देख लूंगा कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। उनकी बात सही भी है।

फूड के मामले में हर जगह से टीका हुई। हम इस विश्वास से इसे ले रहे हैं कि आप सबके सहयोग तथा जनता के सहयोग से हम इसे पूरा कर सकेंगे। चौधरी साहब ने यह सही कहा कि यह एक बड़ी भारी चुनौती है लेकिन इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है और उस पर हम काम करना चाहते हैं। कारण यह है कि सारी प्राइसेज जो बाजार में चलती हैं वे खाद्यान्नों पर निर्भर करती हैं। इसीलिये जो चीजों का बिचोलिया है उसे खत्म किया जा रहा है। किसान पर कोई ज्यादती नहीं की गयी है कि तुम सारा का सारा माल हमको बेच दो। जो माल उसके पास सरप्लस है, जिसे वह मार्केट में ला कर बेचता था उसे बिचौलिया न खरीदे, काश्तकार गांव में गल्ला रखना चाहता है तो रखे। न जाने कितनी बार इस हाउस में यह बात कही गयी कि किसान गल्ला लेकर गया तो बीच में बिचौलियों ने 60, 62 तथा 65 में उसे खरीद लिया और सरकारी खरीद हो रही थी 76 में।

अब सीधे-सीधे हम लेना चाहते हैं उस कीमत पर जिस कीमत पर गल्ला कोई हमको बेचता था। किसान पर कम्पलशन नहीं है कि वह सारा गल्ला हमको बेंच दे। जिसे जितना सरप्लस है उसे वह हमको फिक्सड कीमत पर दे। उसके बाटने में दिक्कतें होंगी यह भी कहा गया। उसमें कठिनाइयां हैं हम जानते हैं लेकिन जितने छिद्र हो सकते हैं उनको बन्द करने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि उचित कीमत पर लोगों को हम गल्ला दे सकें। बीच के लोग जो जिनका स्वार्थ निहित है उन्होंने यह भी कह रखा कि अब वह कोई चीज नहीं खरीदेंगे, चना, बाजरा, ज्वार, तिलहन वह कोई चीज नहीं खरीदेंगे और हमको इस बात का भी पता है कि उन्होंने पहले से पैसा दे रखा है, किसान के घर पहुंचा रखा है कि तुम इस पैसे को ले लो और गल्ला हम जब चाहेंगे

तुमसे ले लेंगे। तो एक बड़ा भारी कदम इस दृष्टि से उठाया गया है कि प्राइसेज स्टेबिलाइज हो सकें, कंज्यूमर्स को ठीक दाम पर अनाज मिल सके और साथ ही किसान को उसके अन्न का ठीक पैसा मिल सके।

हम जानते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का कीमत बढ़े। इस सम्बन्ध में मैं नेशनल डेवलपमेंट कौसिल में भी कह चुका हूं कि जब आप किसी चीज की कीमत निर्धारित करें तो इस सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित करें कि उसका इनपुट कितना पड़ता है। एक कीमत निर्धारित हुई है उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक चले। यह हम किसी को सताने की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं फायदे के लिये कर रहे हैं। इस काम से अगर बड़े-बड़े व्यापारी पीछे हटते हैं तो हम छोटे व्यापारियों से काम लें। यह कोई नई चीज नहीं है। इस किश्म का प्रस्ताव स्टेट ट्रेडिंग का पिछले दस वर्षों से आ रहा है कि यह काम किया जाय और बार-बार आता रहता है। मैं माननीय जायसवाल जी से कहना चाहता हूं वे कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग किया जाय, हमने इस ओर एक कदम उठाया है। उसमें आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। उसमें कठिनाइयां आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ना है....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

स्टेट ट्रेडिंग का सवाल जहां तक है, उसके विरोध में मैं नहीं हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये आपने उपयुक्त मशीनरी तैयार नहीं की है जो कि एक जरूरी अंश है---दाम नीति---वह आपने ठीक नहीं किया है। जिसके कारण आपकी यह स्कीम फेल्योर रही है, वह सफल कभी नहीं हो सकती।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आपने सुझाव दिया है। मैं आपके दफ्तर में आ जाऊंगा आप मुझे सुझाव दे दें जिससे फेल्योर न हो, सफल हो जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

सदन में तो मैंने सुझाव दे दिया है.....

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस तरह के सुझावों का हम स्वागत करेंगे। यह इतना बड़ा भारी प्रश्न है जिसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री चरण सिंह---

आपने कहा कि सुझाव दिये जायं तो मैंने तो पब्लिकली सुझाव दिया था। सन् 67 में जब संविद की सरकार थी उसने यह किया था कि मान लीजिये किसी के पास 3 हेक्टेयर की खेती है जो सरप्लस खेती है उसे वह दे दे और बाकी खुद रख लें। उससे आधी खेती ले ली जाय और आधा अपने लिये रखे। पता नहीं उस पर आपने विचार किया है अथवा नहीं किया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उस पर भी विचार कर लेंगे। हमारे ध्यान में है। वैसे होल सेल ट्रेड लेने में बुनियादी शिकायत किसी को नहीं है.....

श्री चरण सिंह:---

मुझको है.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किस तरीके से इसमें सफलता मिले, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि सभी के सुझाव आयें उन पर विचार कर लिया जायेगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि यह हमारे लिये एक चुनौती का विषय है, उसके लिये हम आपके सहयोग की कामना करते हैं।

आपने इसे चलाने के यंत्र के बारे में भी यहां पर टीका-टिप्पणी की और बार-बार करते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस यंत्र को बदलने का अधिकार है तो बदल दीजिये। कोई सेट-अप नहीं बदला गया, कोई फ्रेम नहीं बदला गया। इस मशीनरी में जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है लेकिन यह कहते रहना कि नौकरशाही ऐसी है, नौकरशाही वैसी है जिनके जिम्मे बहुत से काम आप स्वयं देते हैं, उचित नहीं है। आप पहले से ही उनके बारे में कह दें कि वह फलां काम करने के लिये उपयुक्त नहीं है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह तो आपकी तरफ से कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि यह अनफेयर बात होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

शायद आपको स्मरण हो, केन्द्र से बार बार कहा गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अनफेयर बात इस माने में होगी कि जिस औजार को लेकर आप काम करें—या तो आप अपने औजार को बदल दें, जिसका कि आपको अधिकार है और जैसा कि जायसवाल जी ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के हो आपके कलक्टर, कमिश्नर और कप्तान चले आ रहे हैं और आज तक आपने उसको बदला नहीं है, ठीक है आप बदल दीजिये। बदल दीजिये, वह तो ठीक है लेकिन उसी सेट अप को लेकर आप काम करें और ऊपर से लेकर नीचे तक उसे कंडम भी करते रहें तो फिर कैसे काम चलेगा। आप सभी को इसमें सहयोग देना चाहिये, सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। इस व्यापार में जहां भी आप कोई गड़बड़ी देखें उसे सरकार के सामने लावें। जैसा कि अभी कहा गया कि यह कांग्रेसियों की होशियारी है, तो होशियार होना कोई बुरी बात नहीं है, यह ठीक भी नहीं है कि बेवकूफ रहे कांग्रेसी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

होशियार होना बुरा नहीं है लेकिन छल, कपट, प्रपंच बुरा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपको होशियार रहना चाहिये और अक्ल और बुद्धि से काम करना चाहिये। जो गेहूं के व्यापार की समस्या हमारे सामने है उसके हल करने के लिये जो भी आपके सुझाव आये, आपने बड़ी कृपा की, हमने उनको देखा और उन पर विचार भी किया और आगे भी विचार करेंगे। मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि करीब-करीब सभी का सहयोग इस व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में है सिवा इसके कि और रास्ते ढूढ़ कर निकाल लिये जायं, किसी को इससे विरोध नहीं है। और रास्ते जो हो सकते हैं उनके ढूंढ़ने पर हम विचार करेंगे। प्रार्थना इतनी है कि इन्दिरा जी का भूत सिर पर न रहे। वे तो हैं और प्रधान मंत्री हैं और जब तक वे प्रधान मंत्री हैं तब तक प्रधान मंत्री हैं। अब वे किस तरह से हैं, हम यह दावा करते हैं कि देश उनके साथ है और हमारी जो यह सरकार है उनकी नीतियों का संचालन कर रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस व्यापार को लेने के सम्बन्ध में अपने ढंग से मैंने उसका विरोध किया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपको छोड़ कर सब साथ हैं। जैसा कि मैंने कहा—इन्दिरा जी का नेतृत्व देश के हित में है। हम उनके नेतृत्व में विश्वास भी करते हैं। यह सरकार बनी हुई है उनकी नीतियों का संचालन करने के लिये और उनकी नीतियों का संचालन करने में ही देश का हित है। आप से प्रार्थना है कि इस बजट को आप अगले साल आने वाले चुनाव को दृष्टि में रख कर न देखें कि यह चुनाव सम्बन्धी प्रचार के लिये है। आप इस तरह से सुझाव दें कि किस तरह से हम उसमें सुधार कर सकते हैं ताकि गांव में रहने वाले लोगों का जहां तक सम्बन्ध है उनकी स्थिति में सुधार कर सकें और उनकी आशाओं को पूरा करने में समर्थ हो सकें। आपका मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे समय दिया जिसके अन्दर मैंने कुछ थोड़ी सी बातें कहीं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जितने बजट इस सदन में पेश किये गये, यह बजट उन सबसे बड़ी धनराशि का है। 883 करोड़ 50 लाख के परिव्यय का यह बजट है। इसके पिछले वर्ष भी जो रिवाइज्ड बजट था वह 813 करोड़ 39 लाख 56 हजार 400 रुपये का था। इसके पहले वाला भी बजट पिछले वर्ष से बड़ी धनराशि का था। बजट की धनराशि को देख कर यह अनुमान होता है कि जब ज्यादा रुपया इस प्रदेश में जनसेवा के कार्यों में लगेगा तो यह प्रदेश अवश्य तेजी से विकसित होगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जब श्रीमन्, उसकी तरफ देखा जाय कि इसकी आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से सुधार हो रहा है तो लगता है कि जो बड़ी धनराशि की मांग की जाती है उसका अच्छा से अच्छा उपयोग नहीं होता।

श्रीमान् जी, 1960–61 में 1779 करोड़ राज्य की आमदनी थी। यही आमदनी 1970–71 में 2382 करोड़ हो गई और 1971–72 में यह आमदनी घट कर 2367 करोड़ हो गई यानी 70–71 में जो राज्य की आमदनी थी उसमें 63 प्रतिशत कमी हो गई और 72–73 के आंकड़ हमारे पास नहीं है लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने अंदाजा बताया है कि यह आमदनी 2410 करोड़ होगी। इस हिसाब से यदि देखा जाय तो पहले दस वर्षों में यानी 60–61 से 70–71 तक 2.8 प्रतिशत की आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि हो गई, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष के बजट भाषण में कहा था। लेकिन 11 वर्षों के और इस साल के आंकड़े देख कर वृद्धि का हिसाब किया गया तो 11 वर्षों में जहां पहिले 2.8 प्रतिशत की आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि थी वह घट कर 2.5 प्रतिशत रह गई।

मान्यवर, बारहवें वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि वह केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई यानी पिछले साल से इस साल की जो वृद्धि पहले के हिसाब से होनी चाहिये थी उसमें कमी हो गई, यह उनका कहना 21 वर्षों में 2.5 प्रतिशत आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है और इस बीच हमारे प्रदेश की आबादी 2 प्रतिशत बढ़ती रही है। इसका मतलब यह है कि आबादी में जो वृद्धि हुई है उससे आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि न्यूटरेलाइज हो गई। वह केवल आधा प्रतिशत रह जाती है। बारहवें वर्ष में और कम हो जायेगी।

हमारी जो कम आमदनी हुई है उसका परिणाम यह है कि प्रति व्यक्ति जो आमदनी 11 वें वर्ष थी वही बारहवें वर्ष रह गई और उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति आय देखी जाय तो 60–61 में 246 रुपये थी और वह आय 68–69 में 256 रुपये हो गई और 71–72 में प्रति व्यक्ति आय 266 रुपये हो गई यानी 11 वर्षों में केवल 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। इस प्रकार प्रतिवर्ष केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रति व्यक्ति

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

की आय में होती है। इतनी बड़ी-बड़ी रकमें खर्च की जायें और केवल .7 प्रतिशत प्रति व्यक्ति

[श्री जयराम वर्मा]

आमदनी में वृद्धि हो और गवर्नमेंट को संतोष हो कि अच्छा सुधार हो रहा है, प्रगति तेजी से हो रही ह तो पता नहीं समाजवादी व्यवस्था की जो बात की जाती है उसमें चाहे आमदनी कम हो जाय तब भी संतोष बना रहेगा तो यह तस्वीर आप देश के सामने रखना चाहते हैं। बारहवें वर्ष प्रति व्यक्ति आय में शून्य की वृद्धि हुई है।

वही प्रति व्यक्ति आय जो 71–72 में थी वही बनी रही। मंत्री जी को इससे बड़ा सन्तोष रहा है। मैं तो समझता था कि इस वर्ष के यदि आंकड़े देखे जायं तो 883 करोड़, 50 लाख रुपया का यह बजट है और इसमें 250 करोड़, 35 लाख रुपया कृषि, बिजली और सामाजिक सेवाओं के कामों पर व्यय होगा। यह इतनी बड़ी धनराशि का बजट है और उसमें यह थोड़ा सा रुपया कृषि, बिजली और सामाजिक सेवाओं के खर्च के लिये है तो इस प्रदेश की प्रगति फिर कैसे होगी ? किस तरह से यह सूबा तेजी से तरक्की कर सकेगा ? यह उनके सोचने की बात है।

माननीय मुख्य मंत्री जी को यह शिकायत थी कि इधर से चूंकि अगले साल एलेक्शन हो रहा है, इसलिये उस को सामने रखकर बातें कही गईं उनकी इस बात को सुनकर मुझे यह लगा, पहले तो मुझे शक नहीं था लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह इतना बड़ा बजट जो बनाया गया है वह एलेक्शन को सामने रखकर लाया गया है। प्रदेश की तरक्की होगी। और उसका विकास होगा और उसके मुखतलिफ प्रश्नों का समाधान ढंढा जायगा, यह प्रश्न कम से कम उनके सामने नहीं है। अगर उन के मन में यह बात न रही होती तो इस वक्त उनके दिमाग में ऐसी बात न आती। इसलिये मुझे शक है कि महज चुनाव को सामने रखकर इतनी बड़ी धनराशि की मांग इस बजट में रखी गई है।

फाइनेंस कमीशन का माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां जिक्र किया। उसके चेयरमन और मेम्बर्स यहां आये थे. उनके सम्मान में यहां एक दावत दी गई थी और मुझे भी उस में आमंत्रित किया गया था, उसमें मैं गया भी था। गवर्नमेंट के आदमियों के अलावा इत्तिफाक से 2 आदमी, हम और गुप्ता जी वहां पहुंच गये थे और इस के अलावा वहां कोई नहीं था। हमारे वित्त मंत्री जी ने यह ठीक ही किया कि हम लोगों की भी राय फाइनेंस कमीशन को मालूम हो जाय और हम भी कहें कि जो हिस्सा केंद्रीय करों में पिछड़े हुए इस प्रदेश को उठान के लिये मांगा गया है वह 17 प्रतिशत से कम न हो और हम भी उन की उस मांग का समर्थन करें। हमारी बात भी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेम्बर्स से हुई, गुप्ता जी की भी हुई। हमने जरूर यह कहा कि हम भी इस मामले में गवनमेंट के साथ हैं कि इस पिछड़े सूबे को उठाने के लिये फाइनेंस कमीशन हमदर्दी से विचार करे और उस को ध्यान में रखकर केंद्रीय कर के धन का बटवारे में हमारा हिस्सा जो होना चाहिये वह 17 प्रतिशत से कम न होना चाहिये।

जब मैं यह बात कर रहा था तो मेरे पास ही एक कमीशन के मेम्बर ने मेरे इम्प्रेशन को सुनकर कहा कि आप ठीक कह रहे हैं लेकिन इस प्रदेश के रुपये का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है। इस पर मैंने समझा कि उनके कहने का मतलब यह है कि जो रुपया हमें मिलता है उसका ठीक से खर्च नहीं होता है और वह बच जाता है। लेकिन मैंने इस पर कहा कि अब यह शिकायत नहीं रह गई है और हमारे वित्त मंत्री जी खर्च करते हैं और आगे भी एसा नहीं होगा, जो रुपया दिया जायगा वह खर्च होगा। उन्होंने इस पर कहा कि हमारा मतलब यह है कि जो रुपया यहां के लिये मिलता है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग होना चाहिये वह नहीं हो रहा है और यहां के विभिन्न विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं है।

दूसरे प्रदेशों के आदमी जो हमारे भाग्य का फैसला करेंगे क्यों ऐसा विचार लेकर जायं कि हम अपने मिले हुए पसे का अच्छे से अच्छा नहीं उपयोग नहीं करते और यहां के विभागों

में कोआर्डिनेशन नहीं है। उनकी राय वह तब बनी थी जब उनकी बात माननीय मुख्य मत्री तथा वित्त मंत्री जी से हो चकी थी और अपनी सही तस्वीर रखने की कोशिश की गई थी। उसके बाद भी उनका यह इम्प्रेशन बना रहा। तो यह बड़ी लज्जा की बात है। यह इम्प्रेशन हम दूसरे लोगों को फाइनेंस कमीशन के सदस्यों को दे सकें कि जो रुपया हम को मिलता है, उसका हम अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं।

हमारी प्रगति क्या है, कैसी धीमी प्रगति है और जब से यह सरकार आयी, 2 वर्षों से तो प्रगति बिगड़ती जा रही है। जो रफ्तार थी वह और कम हो गयी है क्योंकि 11 वर्ष में 10 वें वर्ष से काफी इस राज्य की आमदनी में और कमी हो गयी। और 12वें वर्ष में वह थोड़ी सी बढ़ी लेकिन वह इतनी नहीं बढ़ी जिससे कहा जा सके कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। तो मैं आंकड़ों के आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर उनको इसी आर्थिक अवस्था पर, इसी सुधार पर संतोष है तो इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। अगर इनको यह चिन्ता न होती कि हम पिछड़ रहे हैं, हमको और तेजी से काम करना चाहिये तो इस प्रकार से संतोष प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें भी दुख होना चाहिये कि हम पिछड़ रहे हैं। जब मैं यह कहता हूं कि कितनी बड़ी धन-राशि इस बजट में रखी गयी है तो प्रश्न यह आता है कि इस प्रदेश के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे आर्थिक व्यवस्था के सुधार में धीमी गति, बढ़ती हुयी कीमतें, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, खेती की पैदावार में कमी, आदि, प्रश्नों पर समाधान के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये लेकिन इस बजट में उस पर कोई ध्यान नहीं किया गया है। आर्थिक व्यवस्था में कैसे सुधार हो रहा है, आंकड़ों के द्वारा मैंने सदन के समक्ष रखने का प्रयास किया और मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री जी इसके बारे में सदन को संतोष दिलायेंगे कि कैसे वे इसको सुधारना चाहत हैं।

श्रीमन्, इस प्रदेश की जो दुर्गति है, यह जो आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारे प्रदेश के विभिन्न मामलों में जो प्राथमिकता होनी चाहिये, उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। सबसे पहली प्राथमिकता खेती को जानी चाहिये थी। उसके बाद गृह उद्योग, ग्राम उद्योग और तीसरे नम्बर पर छोटे उद्योग आने चाहिये और आखिर में बड़े उद्योग को आना चाहिये लेकिन सरकार ने इस क्रम को बदल दिया और पहली प्राथमिकता बड़े उद्योगों को दी है जबकि खेती को पहली प्राथमिकता देनी चाहिये थी। यदि खेती की ओर सचमुच ध्यान दिया गया होता उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिये सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किया गया होता, जल्दी से, तो हमारे प्रदेश की यह स्थिति न होती और हमें दूसरे देशों के सामने अपना पेट भरने के लिये अन्न के वास्ते हाथ फैलाने न पड़ते और जिस समस्या को हमने अपने प्रदेश में करीब-करीब हल कर लिया था 1967–68 में और यह स्थिति 1971–72 तक बनी रही और वह स्थिति अब न बिगड़ती यदि सरकार सचमुच में उधर ध्यान देती। 1970–71 के बाद फिर खाद्यान्नों की पैदावार में कमी आरम्भ हुयी है।

1970–71 में जहां पैदावार 194.63 लाख टन थी, वह 1971–72 में 176·7 लाख टन हो गयी हालांकि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको 194·64 माना है, लेकिन मैं 176.7 लाख टन मानता हूं क्यों सही आंकड़े यही हैं। मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने तकलीफ नहीं उठाई कि विभाग से सही आंकड़े जान लेते। 176·7 लाख टन वे हैं। सचमुच 18 लाख टन पैदावार में कमी हुई। परन्तु शुरू में, जब बजट यहां पेश हुआ था, तब सरकार की तरफ से यह दावा किया गया था कि पैदावार 1971–72 में 1970-71 के मुकाबले में ज्यादा होगी। इसी सदन में यह बात कही गयी थी। जब मैंने सदन म बात कही थी कि सरकार का यह अनुमान गलत है और पैदावार 1971–72 को, 1970–71 के मुकाबले में कम होगी, चाहे रकबा पहले के मुकाबिले में ज्यादा हो। जब अंतिम आंकड़े आये तो मेरी बात सही सिद्ध हुई और 18 लाख टन की पैदावार कम है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप कृपया एक मिनट रुक जायं। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में कितना समय लेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, 45 मिनट।

श्री जयराम वर्मा—

सन् 1972-73 में, पिछले साल की तरह फिर सरकारी दावा है कि हमारी पैदावार बढ़ रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि यह पैदावार 182 लाख टन और अधिक से अधिक 192 लाख टन होगी। वह 1970-71 तक पहुंचने का दावा भी नहीं करते, लेकिन यह जो थोड़ा सा दावा है कि कम से कम 182 लाख टन पैदावार होगी, उस संबंध में मैं फिर कहता हूं कि पैदावार कम होगी। ये सही आंकड़े उनके सामने नहीं हैं। मैंने इसी वास्ते कुछ पता लगाने की कोशिश की क्योंकि खरीफ के अंतिम आंकड़े इस वक्त विभाग के सामने हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने उनसे पता लगाने की कोशिश नहीं की। मैंने पता लगान की कोशिश की तो मुझसे छिपाया गया। खरीफ के अंतिम आंकड़े क्या हैं, वह सरकार मुझसे छिपाना चाहती है। इसका अर्थ क्या होता है ? इसके माने यह हैं कि उनको शक है। उसको जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। इस तरह से आप लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि पैदावार इस साल कम हो रही है। शुरू में चाहे जो कुछ अंदाज रहा हो कि पैदावार बढ़ेगी, लेकिन अब बात बिल्कुल बदल गयी है, क्योंकि आखिर में सिंचाई के लिये बिजली नहीं मिली और अब भी केवल 6 घंटे बिजली मिल रही है, इसलिये जो गेहूं की अधिक उपज वाली किस्में हैं, जिनको कम से कम 6 पानी चाहिये, वह फसल पूरी पैदावार नहीं दे सकेगी, जिसकी कि उम्मीद की जाती थी। इसलिये वह पैदावार, जो माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया है, नहीं होने वाली है। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य ही है।

दो वर्षों में पैदावार खेती की बराबर घटती जाय इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही है कि सरकार का ध्यान खती की तरफ नहीं है। सिद्धांत से पंडित जी मान लेते हैं और कहते हैं कि खेती का ऊंचा स्थान है, लेकिन बातों से काम चलने वाला नहीं है, उसके लिये काम करना पड़ेगा, तभी उसका कुछ प्रभाव खेती पर पड़ेगा, नहीं तो शब्दों से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर सचमुच किसानों को सारी सुविधायें पहुंचा दी गई होती तो परिणाम बहुत अच्छा होता उन सुविधाओं को पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा, इसका अन्दाज सरकार के पास भी नहीं है और सरकार किसान को बता नहीं सकती है कि हम कितने वर्ष में 50 प्रतिशत सिंचाई किसानों के लिये कर देंगे। तो किसानों को संतोष कैसे होगा ? किसान किस आधार पर अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है।

पिछले साल भी मैंने कहा था और हमारे गवर्नर महोदय ने भी यह कहा था कि किसानों की पैदावार के लिये, जोश बनाये रखने के लिये कि वह ज्यादा गल्ला दे सकें, कंज्यूमर्स के लिये, हमें उनको उचित मूल्य देना चाहिये। इस साल सरकार जो यह गल्ल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है उसका एक उद्देश्य यह है कि किसानों को अपनी उपज का ठीक मूल्य मिल सके। यह बात माननीय वित्त मंत्री जी ने और श्री बेनीसिंह जी ने भी कही है। आप अच्छे से अच्छे गेहूं के दाम 76 रु0 देना चाहते हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले साल भी यही भाव था, इससे पहले भी यही भाव था, तो आप यह जो थोक व्यापार अपने हाथ में लेने जा रहे हैं उनके बाद भी यही भाव रखा-ऐसा क्यों, जब कि

आपका उद्देश्य यह है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके । कहां है । आपका वह सिद्धान्त? अगर कुछ बढ़ा दिया होता तो आप कह सकते थे कि सिद्धांत के अनसार थोड़ा बढ़ाया है, ज्यादा नहीं बढ़ा पाये, तो ऐसे सिद्धांत से क्या फायदा ।

केंद्रीय सरकार जो कि इस सिद्धांत को मुकर्रर करती है वह भी इस सिद्धांत को नहीं मानती और न आप ही उनको प्रभावित करते हैं, तो आपके इस सिद्धांत को मान लेने से क्या हुआ । इस बीच खेती के जो इनपुट्स हैं और दूसर सामान हैं, जिनको किसान को खरीदना पड़ता है, उनके मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई है । बैल के दामों में, ट्रैक्टर के दामों में जो कि खुद सरकार देती है, उसके हाथ में एजेंसी है, कितनी बढ़ती है ।

सन् 1967–68 में पहली बार संविद की सरकार ने जीटर ट्रैक्टर मंगाया था, उस समय 13–14 हजार के बीच इसके दाम थे, किसानों को दिया गया । 1967–68 में वही दाम रहे, 1969–70 में वही रहे, लेकिन इसके बाद इसकी कीमत में जो वृद्धि हुई इसका ठिकाना नहीं रहा । इसके दाम दुगुने हो गये हैं, 100 प्रतिशत इसके दाम बढ़ गये । यदि सरकार ही खुद दुगुने दाम दर्ज करे तो क्या किया जाय । दूसरी बात यह है कि आज इस देश में फर्टीलाइजर दुनिया भर से महंगा है । केंद्रीय सरकार जो कि कांग्रेसी सरकार है उस पर 15 प्रतिशत टैक्स लगावे, यह कौन सी नीति है ।

फर्टीलाइजर जो कि इस देश में सबसे महंगा है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिये, जब कि दुनिया में कोई भी देश-चाहें अमीर से अमीर क्यों न हों, वह भी फर्टीलाइजर पर टैक्स लगाने को तैयार नहीं है। इंग्लैन्ड और पाकिस्तान में तो उस पर छूट दे रखी है । सब्सीडी दे रखी है । इंग्लैन्ड जैसा देश जो हमसे इतना आगे है वह छूट देता है और हम उस पर टैक्स लगाते हैं । पंपिंग सेट पर टैक्स लगाते हैं । किसान बाजार से जो चीजें खरीदता है जैसे सीमेंट है, लोहा है, मसाले हैं और और चीजें हैं उनकी कीमत कितनी बढ़ गयी हैं । रेल का भाड़ा बढ़ गया है । लेकिन किसान जो चीज पैदा करता है उसकी कीमत उसे उतनी नहीं मिलती और इसीलिये वह मांग करता है कि खर्चे को देखकर गेहूं की कीमत मुकर्रर की जाय । लेकिन सरकार जो गरीबों की हमदर्द बनती है वह इसके लिये तैयार नहीं ।

यह सरकार कहती है कि हमने तो 85 रु0 फी कुंटल दाम देने के लिये रिकमेंड कर रखा था लेकिन केंद्रीय सरकार ने नहीं माना । ठीक है, नहीं माना । लेकिन 76 रुपया जो दाम रखा है वह उन्होंने मिनीमम प्राइस रखी है । इससे आगे बढ़ने में आपके लिये कहां कठिनाई आती है । हम तो समझते हैं कि किसान को जो दूसरी तमाम चीजें खरीदनी पड़ती हैं उसके अनुसार गेहूं की प्रति कुंटल कीमत 90 रुपया होनी चाहिये । कंज्यूमर इंडक्स में जिस रेट से वृद्धि हो रही है 65-66 से उसके हिसाब से तो 92 रु0 फी कुंटल दाम होने चाहिये, कंज्यूमर इंडेक्स के आधार पर तनख्वाहें बढ़ाते हैं, मंहगाई भत्ता बढाते हैं तो उसी हिसाब से गेहूं के दाम में वृद्धि क्यों न हो । लेकिन किसी भी हालत में 90 रुपये से कम तो होना ही नहीं चाहिये ।

सरकार कहती है कि गेहूं का थोक व्यापार इसलिये अपने हाथ में ले रहे हैं कि किसान को ठीक दाम मिल सके । लेकिन यह कहां है ? श्रीमन्, यू0एस0ए0 एक बड़ा अमीर देश है । वहां बहुत अच्छी पदावार होती है वहां तीन सौ, चार सौ एकड़ के छोटे-छोटे किसान हैं। पांच, छः, सात हजार एकड़ के किसान हैं। जब वहां पैदावार की वजह से कीमतें गिरती हैं तो सरकार जिसके किसान बहुत बड़े-बड़े हैं इसी पर संतोष नहीं करती है कि जो कीमतें कम से कम हैं वही देना मुनासिब होगा । वह अपनी तरफ से क्षति पूर्ति करती है। कभी-कभी मेरे ख्याल से 90 फीसदी तक क्षतिपूर्ति करती है । हमारी सरकार वह क्यों नहीं कर सकती । 76 रुपया दाम केंद्रीय सरकार ने मुकर्रर कर दिया । आप क्यों नहीं यह कर सकते हैं कि आपने जो रिकमेंड किया था 85 रुपया तो 76 रु0 प्रति क्विंटल की जगह पर 9 रुपया अपनी तरफ से कंपेंसेट कीजिये । वैसे तो उसे कम से कम 90 रुपया मिलना चाहिये और 14 रुपये की क्षति पूर्ति प्रति कुंटल आपको करनी चाहिये ।

[श्री जयराम वर्मा]

आप चाहते हैं कि थोक व्यापार सफल हो और कीमतें न बढ़े, लेकिन जब पैदावार नहीं बढ़ेगी तो कीमतें कैसे कम होंगी । और आप चाहते हैं कि किसानों से गल्ला काफी आपको मिले ताकि आप अपने प्रति जो जिम्मेदारी ले रहे हैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकें। इतने कम दाम में आपको कैसे उम्मीद है कि किसान आपको गल्ला देगा।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मैं तो समझता था कि मुझे 45 मिनट मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

और भी बोलने वाले हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं भी बोलूंगा।

श्री जयराम वर्मा—

मैं गलतफहमी में था। आपने इशारा नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट में आप समाप्त कर दें । आज एडजस्ट करना है समय।

श्री जयराम वर्मा—

मुझे कोई जिद्द थोड़े ही है।

सरकार को अपनी तरफ से कंपेंसेट करना चाहिये। लेकिन सरकार ने वह नहीं किया और न करना चाहती है । उनकी इस स्कीम में कामयाबी नहीं होगी अगर उन्होंने कंपेंसेट किसान को नहीं किया । अगर मजबूर हो कर किसान ने कुछ दिया भी तो अगले साल उसकी यह धारणा बन जायेगी कि अब गेहूं और चावल नहीं पैदा करना चाहिये और दूसरी चीजें पैदा करनी चाहिये। जिस समस्या के समाधान के लिये आप यह कदम उठा रहे हैं उसके समाधान के लिये आवश्यक वातावरण पैदा नहीं करना चाहते हैं। उसमें कामयाबी नहीं होगी। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो किसान को अधिक दाम दें। तब तो कुछ कामयाबी हो सकती है, नहीं तो कामयाबी नहीं होने वाली है ।

इस सरकार ने दो चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया है-एक तो खेती की तरफ और दूसरे छोटे उद्योग धंधों की तरफ, गृह उद्योग धंधों की तरफ और ग्राम उद्योग धंधों की तरफ। माननीय मुख्य मंत्री यह कह रहे थे कि क्या बड़े कारखाने न लगाये जायं। कौन कहता है कि बड़े कारखाने न लगाये जायें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ये (खाद्य मंत्री जी) खड़े क्यों हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

हां, तो मैं कह रहा था कि बड़े उद्योग धंधों या हैवी उद्योग धंधों की इंडस्ट्रिज होंगी। इसका कौन विरोध है । गान्धी जी का सिद्धांत था कि जिन चीजों का निर्माण छोटे पैमाने पर नहीं हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है उनके लिये बड़ी इंडस्ट्रीज लगायी जायेंगी जैसे लोहे के कारखाने, बिजली के कारखाने, हवाई जहाज और सीमेंट के कारखाने, जो छोटी भट्टियों में नहीं बन सकते हैं। इनके लिये बड़े कारखाने होंगे ही। इसमें किसी को विरोध नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

खाद्य मंत्री जी को जरूर कोई परेशानी है ।

श्री जयराम वर्मा—

अरे बैठ जाइये, हमारा वक्त काहे ले रहे हैं । लेकिन छोटे उद्योग धंधों की तरफ कोई प्रयास नहीं है । उसकी तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है । खासतौर से हमारे बुनकर भाई हैं । हमारे प्रदेश में इस छोटे उद्योग धंधे में 30-40 लाख आदमी लगे हुये हैं । अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि—

उन्हीं के सुधार के लिये एक हैन्डलूम ऐण्ड पावरलूम फाइनेन्स ऐण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन कायम कर दिया है और वह उनको ठीक दाम पर सूत पंहुचा सकेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी मंत्री जी खड़े थे। यहां कुछ कपड़े के जलने की बदबू आ रही है । किसी ने जलती हुई सिगरेट छोड़ दी हो । कोई दुर्घटना न हो जाये ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा देख लिया जाये । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जायराम वर्मा—

तो मैं कह रहा था कि उनकी हालत में सुधार के लिये यह व्यवस्था की गयी है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । यह आशा की जा रही है कि सूत का वितरण कारपोरेशन के द्वारा होगा । तो बुनकरों के ऊपर इससे खर्च कम पड़ेगा लेकिन खर्च कम नहीं पड़ा, बल्कि बुनकरों को यह शिकायत है कि प्राइवेट व्यापारी जितना मुनाफा लेता था उससे ज्यादा मुनाफा कार- पोरेशन वाले लेते हैं । यह शिकायत बार-बार मंत्री जी से भी की गई लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ । तो सूत के बराबर दाम बढ़ते गये । इन बुनकरों के लिये सरकार रुपये पैसे की व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं कर सकी । हैण्डलूम वालों की हालत आज बहुत खराब है, पावरलूम वालों के लिये शायद सरकार कुछ सोचती है । इसलिये मेरा यह ख्याल है कि छोटे उद्योग धंधों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है ।

इस बजट भाषण में हरिजनों के लिये भी कहा गया है । इसमें कहा गया है कि हरिजनों को आतंकवादी तत्व तंग न कर सकें इसके लिये जिलाधिकारी और एस० पी० को आदेश दे दिये गये हैं कि जब वह दौरे पर जायं तो इसको देख लें । जहां ऐसे तत्व हों वहां सामूहिक जुर्माने लगाये जायं और अतिरिक्त पुलिस रक्खी जाय लेकिन किसी जगह पर हरिजनों के साथ अत्याचार कम करने के सम्बन्ध में ऐसा किया नहीं गया है । यह अन्याय बराबर बढ़ता जा रहा है ।

श्रीमान् जी, एक बार सरकार ने यह घोषणा की थी कि भूमिहीन हरिजनों, जन-जातियों और ग्रामीण शिल्पकारों को भवन स्थल की सरकार अलग से व्यवस्था करेगी । और इस भाषण में मंत्री जी ने इस बात को दोहराया है कि अक्तूबर, 1972 तक भवन स्थल के लिये हरिजनों को भूमि दी गई है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमिहीन हरिजनों, जन-जातियों और ग्रामीण शिल्पकारों को जो भवन स्थल दिये गये हैं वह चकबन्दी द्वारा छोड़ी गई भूमि है और उसके अलावा सरकार की ओर से और कोई व्यवस्था नहीं की गई है । सरकार ने

[श्री जयराम वर्मा]

चकबन्दी के अलावा और कोई भूमि नहीं दी है । इसके अलावा सरकार ने एक बात और कही है कि उसने खेती के लिये भी जमीन दी है । ऐसा भाषण में कहा गया है लेकिन सन् 47 से आज तक जो जमीन मिली है उसी को जोड़कर रख दिया है । इस साल कोई अलग से हरिजनों को भूमि नहीं दी गई है ।

जमीदारी बिनाश अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम समाजों द्वारा जमीन दी गई थी उसके अलावा और कोई भूमि सरकार ने हरिजनों को नहीं दी है । सन् 68 में संविद सरकार ने एक आदेश निकाला था कि जो ग्राम समाज की जमीन भूमिहीन हरिजनों के अलावा दूसरे भूमि वाले लोगों को दी गई है उनके पट्टे निरस्त करके हरिजनों को वह जमीन दी जाय। इसके अनुसार कुछ कार्यवाही हुई थी । लेकिन संविद सरकार चली गई और इस कारण उस निकली हुई भूमि का ठीक से बटवारा नहीं हो सका और वह हरिजनों को नहीं दी जा सकी और व्यवस्था उसी तरह से रह गयी और उसी सरकार ने यह भी फैसला किया था 1968 में इस्तीफा देने के पहले कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्दर जो जमीन निकली थी उसके बटवारे के रूप में नियम में यह लिखा हुआ था कि वह जमीन सहकारी ढंग पर खेती करने वाली जो सोसायटीज बनेंगी उनको दी जायेगी । लेकिन 1967–68 तक एक भी सोसायटी उस तरह की नहीं बनी थी । इसलिये वह सब जमीन इसी तरह से पड़ी हुई थी ।

गैर मुस्तकिल पट्टों पर कहीं-कहीं किसी-किसी को दे दी गयी थी। लेकिन वह भूमिहीनों को दी गयी, ऐसी बात नहीं है । इसलिये नियमों में यह तब्दीली कर दी गयी कि 60 वाले एक्ट के अन्दर जितनी भूमि निकली हो उसका भी बंटवारा भूमिहीनों और हरिजनों में किया जाय । लेकिन नियम में यह तब्दीली करने के बाद कुछ दिनों के बाद उस सरकार ने इस्तीफा दे दिया । इस परिवर्तन पर अमल नहीं किया गया और अब यह कहा जा रहा है कि जो भूमि बच गयी है उस पर हमने कब्जा कर लिया है और अब उसको देने का इन्तजाम कर रहे हैं । लेकिन वह बात अपनी जगह पर सही नहीं है और एक बात का बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा था कि 60 वाले अधिनियम में तब्दीली कर के हमने हरिजनों को जमीन देने के लिये बहुत इन्तजाम कर रखा है और ऐसी व्यवस्था की है कि पहले नियमों में जो बहुत सी विमुक्तियां थीं उनको हमने बहुत कम कर दिया है । लेकिन यह तथ्य के खिलाफ है । विमुक्तियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कर दी गयीं। इसलिये जो जमीन निकलती वह निकलेगी नहीं ।

इसके अलावा जहां सरकार ने पहले यह घोषणा की थी कि 24 फरवरी, 1970 के बाद जो अन्तरण हुये हैं उनको मान्यता नहीं दी जायगी । अब सरकार ने उसको बदल दिया और कह दिया कि 24 जनवरी, 1969 के बाद के अन्तरण को मान्यता नहीं दी जायगी लेकिन उस ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि अगर नेकनीयती से जमीन का अन्तरण हुआ है, अगर चकबन्दी के द्वारा जमीन का बंटवारा हुआ है तो वह मान्य रहेगा । इस तरह से बहुत सी जमीन जो निकलने वाली थी वह फिर रुक गयी और सरकार की जो घोषणा पहले थी कि 3 लाख 60 हजार एकड़ जमीन निकलने वाली है लेकिन इतनी छूट दे देने के बाद मेरा ख्याल है कि 20 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन निकलने वाली नहीं है । और उस जमीन के बारे में भी सरकार यह कहने को तैयार नहीं हुई कि वह सिर्फ भूमिहीन हरिजनों को दी जायगी बल्कि उसके लिये कई तरह की व्यवस्था की जायगी । इसी सदन में मैंने संशोधन पेश किया था कि इस बात को मान लिया जाय कि सब जमीन भूमिहीन हरिजनों को दी जायगी लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं हुई ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जयराम वर्मा—

एक मिनट में समाप्त करता हूं । बजट भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि 24 जनवरी, 1971 के बाद के जो अन्तरण है उन सबको मान्यता नहीं दी जायगी, यानी कुछ को मान्यता दी जायगी और कुछ को नहीं बी जायगी, यह उनके शब्द थे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह किस पृष्ठ पर कहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

आप जब भाषण करेंगे तो उस समय खोज कर मैं पृष्ठ बता दूगा, अभी मेरा समय समाप्त हो रहा है । तो इस तरह से जो कहा गया कि हरिजनों के लिये हमन यह किया वह किया वह अपनी जगह पर सही नहीं है, तथ्यों के खिलाफ है । माननीय मंत्री जी अगर सचमुच हरिजनों को जमीन देना चाहते हैं तो जितनी भी जमीन चाहें वह चकबन्दी के द्वारा दे दी गयी हो या सरकारी आदेश द्वारा दी गयी हो उसको निकाल कर हरिजनों को दें । अगर सचमुच अपने भाषण पर वह उनको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं तो इस तरह से व्यवस्था उनको करनी चाहिये ।

आज प्रदेश की हालत बिगड़ती जा रही है । उसके लिये प्रदेश की हालत को सुधारने के लिये क्या करना चाहिये, आपको बैठ कर इस पर सोचना चाहिये । केवल यह सोच लेने से कि प्रदेश की हालत सुधर रही है, हालत सुधरने वाली नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

(डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया से) 10 मिनट आपको मिलेंगे ।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये श्रीमन्, मै आपका आभारी हूं । बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस बजट पर व्यक्त किये, पर मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह कैसा समाजवादी बजट है । यह मंत्रियों के लाभ के लिये, इनके चमचों के लाभ के लिये तथा इन के अधिकारियों के लिये तो हो सकता है, पर इससे गरीबों का कुछ भला होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया । जिस गरीबी को दूर करने के लिय प्रधान मंत्री न नारा दिया था वह गरीबी इस बजट से दूर होने वाली नहीं है । इनके समाजवाद का कब उदय होता है और कब बिलय होता है यह मेरी समझ में नहीं आया । परन्तु देखा यह गया है कि जब जब जनता सत्ता को उलटन की बात सोचती है तब तब इनके समाजवाद का उदय होता है और जनता की भावनाओं को जागृत करने के लिये समाजवाद का नारा लगाया जाता है । इनके समाजवाद ने जनता को केवल झांसा दिया है, नम्रता दिखाई है, वायदा किया है और धोखे में रखा है । इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं है । इनके समाजवाद में आज अमीर भी रोने लगा है और गरीब गुलाम हो गया है ।

इस समाजवादी बजट का लाभ केवल कुछ राजनीतिक लोगों को, मंत्रियों को तथा जो उनकी खुशामद करते हैं उन्हीं को लाभ हुआ है । जो उनकी मक्खनबाजी करते हैं उन्हीं को फायदा पंहुचा है, परन्तु गरीब को कोई लाभ नहीं हुआ है । मंत्री लोग जब देहात में जाते हैं तो उनके दो-चार चमचे ही उन तक पंहुच पाते हैं, कोई दुखियारा गरीब उन तक नहीं पहुंच पाता और न ही मंत्री लोग उन गरीब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं । गरीब किस प्रकार से एक वक्त भोजन करता है यह देखने की कभी वे लोग कोशिश नहीं करते । अगर उनके भोजन का एक निवाला भी यह लोग खाना चाहे तो खा नहीं सकेंगे ऐसा भोजन वे गरीब लोग करते हैं । जानवर भी वैसा भोजन नहीं खायेंगे जैसा वे गरीब लोग खाते हैं ।

[डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया]

मैं अपने क्षेत्र ललितपुर की बात जानता हूं, वहां के लोग अत्यन्त गरीब है । एक वक्त भी वे लोग ठीक प्रकार से भोजन नहीं । कर पाते हैं । उनके तन पर पहनने को कपड़ा तक नहीं होता । हरिजनों की बहुत बात यह सरकार करती है, मगर इनके मंत्रियों को खास कर विभव जी को, यह भी पता नहीं है कि कोरी भी क्या हरिजन जाति के होते हैं । हमारे यहां मऊरानीपुर में कोरी भाइयों की हालत बहुत ही दयनीय है । न उनको सूत मिल पाता है, न उनके कपड़े का उचित मूल्य ही उनको मिल पाता है । उनके माल के बेचने की उचित व्यवस्था तक सरकार ने नहीं की है । असली कीमत तक उनके माल की उनको नहीं मिल पाती है । बलदेव सिंह आर्य जी जब वहां गये थे तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि उनको सस्ते दामों पर सत मिलेगा, मगर उसकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गयी ।

अब मैं अपने जिले के प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जिस प्रकार एक विकास क्षेत्र में एक सांड होता है, उसी प्रकार हमारे यहां के लिये एक मंत्री सांड दे दिया गया है, श्री कृष्णचन्द्र शर्मा, जिनका हमारे यहां बड़ा ही आतंक है । अगर देखा जाय कि 24 महीने में वे झांसी में कितने दिन रहे, तो मालूम होगा कि वे वहां 23 महीने रहे होंगे ।

यह सारे दिन कैंची लिये हुये भागते रहते हैं, इनका यही काम है, उद्घाटन करने के लिये कैंची लिये दौड़ते फिरते हैं, चाहे पेशाबघर हो या चबूतरा हो । कोई उनका भाषण सुने तो उसमें भी पायेगा कि वह वहां भी अपनी कैंची चलाया करते हैं ।

मेरे जिले को इन्होंने इतना बरबाद कर दिया है, वहां परस्पर इतनी वैमनस्यता फैला दी है, जिसका कोई अन्त नहीं है और उसके दुष्परिणाम निरन्तर सामने आते जा रहे हैं । वहां अब डाकुओं की कोई समस्या प्रायः नहीं रह गई है, सबने आत्मसमर्पण कर दिया है, किन्तु शर्मा जी ने जो शत्रुता के बीज बोये हैं, उनसे जन-जीवन की शान्ति और जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है । एक जमाना था जब कोई ताल्लुकेदार, जमींदार जब अपना काम नहीं सम्हाल पाता था तो उसको हटा दिया जाता था लेकिन अब यहां यह और इनके चमचे लोग चाहे जितने अत्याचार करें कोई सुनने वाला नहीं है और कोई उनको रोकने वाला नहीं है । यह उदघाटन करेंगे होटल का लेकिन गाली देंगे जनसंघ को, कोई भी बात हो जनसंघ से अपनी शत्रुता प्रकट करने से बाज नहीं आते हैं ।

हम जनसंघ के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन यह जनता के दिलों में घृणा और कटुता के बीज बोया करते हैं । हमारी कोई वक्त नहीं है, हम लोगों के लिये तो एम० एल० ए० होना ही गुनाह है । हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे कहीं कुछ होता रहे हम कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते हैं, छोटा अधिकारी भी मनमानी करने पर तुला है । हमारे लोगों की कोई सुनता नहीं है । हम अपने प्रेम व्यवहार से किसी से भले ही कोई काम करा लें, किन्तु यों कोई कुछ परवाह नहीं करता है । हमारी कोई इज्जत नहीं है । इन नेताओं से और उनके आगे पीछे चलने वालों से अब जनता ऊब गई है । आज जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है और जानती है कि यह यों ही खाने-पीने वाले, अपना घर भरने के वाले लोग हैं, इनका काम जनता का शोषण करना और झूठे वायदे करना है । आज हम जहां भी जाते हैं सड़क पर हो या रेल पर या कहीं भी हम नेताओं की गाली सुनते पाते हैं ।

हमारे यहां ललितपुर में एक एस० डी० एम० श्री पुरी हैं, जो कि दूसरे नटवरलाल अपने समय के हैं, उनकी पत्नी के अत्याचार अपने नौकरों के साथ और सर्वसाधारण के साथ अपना सानी नहीं रखते हैं । ये जाने कितने भ्रष्टाचार और कुकर्मों से पैसा जेबों में भर रहे हैं, जिसके बारे में अनेक बार अखबारों में भी निकला है, लेकिन इसे कोई नहीं देखता है । एक दूसरे हमारे यहां सिनेटरी इंस्पेक्टर बंसल जी हैं, वह भी खूब लूट-खसोट मचाये हुये हैं । कोई काम नहीं करते हैं, केवल मौज-मस्ती मारते हैं । मैंने जब इनके बारे में

कहा था स्वास्थ्य मंत्री को लिख कर दिया था तो मैंने कहा था कि आप इनका टांस्फर नहीं कर सकते हैं, इन्हें आप दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका सोर्स इतना है कि कुछ कहना नहीं है तथा उसने अपने जिले से लेकर लखनऊ तक सभी अधिकारियों तक पैसे की भरमार कर रखी है । आज उसके कारनामों की वजह से ललितपुर की जनता परेशान है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया ।

ललितपुर को जिला बनाने की बात आई है, इसके बारे में इतने दिनों से वायदे किये जा रहे हैं । लेकिन अब उनकी पूर्ति हो ही जानी चाहिये, नहीं तो-रोज के वायदों पर मर जायेंगे हम, यों ही गुजरी है, गुजर जायेंगे हम । मुख्य मंत्री जी अभी वहां हाल में गये थे, मीठे वायदे यह कर आये हैं कि जरूर जिला बन जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वह जिला नहीं बनता है, वहां की बेकारी दूर नहीं हो सकती है और न कोई निर्माण का कार्य वहां हो सकता है । वहां के लिये यदि कोई विकास योजना आती है तो कृष्णचन्द्र जी उसे खींचकर अपने यहां ले जाते हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहे हैं । ताल बेहट को टाउन एरिया को कोई अनुदान नहीं मिल रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने ललितपुर को जिला नहीं बनाया तो वह बगावत पर उतर आयेगा या मध्य प्रदेश में मिल जाने को सोचेगा हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी इस बारे में आश्वासन दिये थे, तब से वे आश्वासन ही चले आ रहे हैं ।

जनता आपके सारे अत्याचारों को समझती है, किन्तु वह सह रही है, क्योंकि भारत की जनता बहुत ही ज्यादा सहनशील है । इस सम्बन्ध में मैं आपको एक मुक्तक सुनाना चाहता हूं:—

कौन कहता है जमाना अब बदल सकता नहीं,
उठ चुका तूफान बोलो क्या कहीं बरसा नहीं,
वक्त है तुम आज अपनी हर हविश पूरी करो,
भ्रष्ट भ्रष्टाचार का चाहो तो अभिनन्दन करो,
क्या कोई खंडहर दुबारा महल बन सकता नहीं ।

जरूर बनेगा, आपको जनता यहां से हटा देगी और स्वच्छ शासन यहां आयेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा—

आपने जो पेज पूछा था वह तो 6 पेज के पैरा की आखिरी लाइन थी ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, पिछले 5 दिनों से लगातार सन् 1973–74 के बजट अनुमानों पर यहां पर सामान्य चर्चा हो रही है और इस सदन के प्रायः सभी वरिष्ठ नेताओं न इस पर अपने विचार व्यक्त किये हैं ।

श्रीमन् आप मुझसे सहमत होंगे कि जो चर्चा का स्तर पिछले पांच दिनों में रहा वह पिछले वर्ष और अनेक वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचा रहा । सम्मानीय नेताओं और सम्मानीय सदस्यों ने भी इस बात की भी चेष्टा की, चाहे विरोधी पक्ष से हों या शासकीय पक्ष से हों, इस प्रकार इस बजट की आलोचना की जाय या इस पर सुझाव दिये जायं जिससे हमारे प्रदेश की स्थिति सुधर सके या जो आज कमियां हैं उनका कुछ निराकरण हो सके । इतना अवश्य लगा कि जब विरोधी दल के कुछ सम्मानीय नेता बोल रहे थे कि वे कुछ दुविधा में थे । वे आलोचना करना चाहते थे लेकिन आलोचना उनके हृदय और बुद्धि के अनुकूल नहीं थी । वह पसोपेश में थे । ऐसा लगता था कि जबरदस्ती आलोचना कर रहे हैं, चूंकि आलोचना करनी है इसलिये आलोचना कर रहे हैं । श्रीमन्, लार्ड लिलिएंथेल चर्चिल ने पारलिया-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मेन्ट्री पद्धति की प्रक्रिया में कहा है कि विरोधी दल का काम यही है कि सही चीज का भी विरोध करें । विरोध करना है इसलिये विरोध किया । अपने फर्ज का पालन किया ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

उन्होंने कहा है कि सरकार विरोधी दल की सही बात भी न मानें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं आपकी सही बात मानने को तैयार हूं । सम्मानित गुप्ता जी ने एक एल्डर स्टेट्स मैन, सदन के वयोवृद्ध और सबसे अधिक अनुभव रखने वाले सदस्य की भांति अपनी कुछ बातें कहीं जो सभी सदस्यों और सभी शासनों के लिये ठीक था । उन्होंने एक एल्डर स्टेट्स मैन का रोल अदा करने की चेष्टा की । लेकिन वह भी कभी-कभी सम्भवतः पारलियामेन्ट्री क्रोध के आक्रोश में आकर या विवशताओं के आक्रोश में आकर कुछ ऐसी भी टिप्पणियां कीं जिनकी उनसे आशा नहीं थी । सम्मानित नेता जन संघ दल, श्री चरण सिंह जी ने तीन घंटे का भाषण दिया। (व्यवधान) . . . सम्मानित नेता माननीय भारतीय क्रान्ति दल ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

आपको दल का ज्ञान नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जब कार्यक्रम और विचारधारा मिलने लगती है तो दलों का भेद समाप्त हो जाता है । वह इसलिये कि बार-बार संविद का जिक्र हुआ । जनसंघ ने जिक्र किया तो संविद का, भारतीय क्रांति दल ने जिक्र किया तो संविद का, दूसरी पार्टियों से जिक्र हुआ तो संविद का लगता है संविद बनाने का ध्येय है अपनी पार्टी की सरकार बनाने का ध्येय नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

पंडित नारायण दत्त तिवारी, जब माननीय चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो संविद के ऐविसलरेटेड प्रोग्राम के अन्तर्गत आप आये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

तीन घंटे उन्होंने जो लम्बा भाषण दिया उसमें बजट के बारे में यह कहा कि इस बजट में भी लम्बा खर्चा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिये, विकास के लिये व्यय ही कहां है । उन्होंने इस तरह से बजट की आलोचना की । श्रीमन्, यह सही है कि इस बजट में जो हमारे प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं, आध्यापक हैं और स्वायत्त शासी कर्मचारी हैं उनकी बुनियादी मांगों को पूरा करने का एक बड़ा प्रयास किया गया है । कितने वर्ष से इस सदन में मांग होती थी कि एक निम्न वेतनमान निर्धारित होना चाहिये कितने वर्षों से यह मांग होती थी कि केन्द्र और प्रान्त का महंगाई भत्ता एक होना चाहिये । कितने वर्षों से यह मांग होती थी कि वेतन आयोग मुकर्रर नहीं होता । वह मुकर्रर किया गया । यह भी मांग होती थी कि जो असमानता है वेतनमानों में वह दूर होनी चाहिये और इस बजट के द्वारा सरकार ने वह साहसपूर्ण प्रयास किया है ।

पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के साढ़े 12 लाख कर्मचारी आन्दोलित थे । आज इस बजट के द्वारा उनके वेतनमानों को ठीक करने का एक प्रयास किया गया तो इसमें आलोचना करने का क्या प्रश्न हो सकता है ? जो यह मांग थी कि सबसे अधिक तथा सबसे कम वेतनों की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिये तो हमने एक ओर साढ़े 12 का रेश्यो निर्धारित किया और अगर मंहगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों को ले लिया जाय तो 1 और 8 का रेश्यो निर्धारित किया गया । इसके अलावा भविष्य के लिय यह घोषित किया गया कि

महंगाई सूचकांक के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलेगा उतना ही महंगाई भत्ता हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलेगा और सदन यही चाहता था जिसको करने का हमने प्रयास किया इस बजट के द्वारा । कोई खूनी क्रांति इसके लिये नहीं हुई । लेकिन कहा जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है इस बजट में ।

विरोधी दलों को बड़ा निराशाजनक बजट यह लगा लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इससे जरूर आशा मिली होगी । फिर आज बहुत से लोग इसलिये नाराज हैं कि इसमें टैक्स नहीं लगाये गये । यह कलरलेस बजट है, सूखा हुआ बजट है । खूब टैक्सेज की भरमार होती तो विरोधी दल कहते कि सरकार खूब शोषण कर रही है । अगर कम से कम टैक्स लगा कर और अधिक से अधिक विनियोजन करके यह चेष्टा की गयी कि एक संतुलित बजट लाया जाय तो इसमें नाराजगी की क्या बात हो सकती है ? लेकिन यह कलरलेस बजट है और कहा जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं है । मैं समझता हूं ऐसा कहना बहुत न्यायोचित नहीं है ।

13 करोड़ रुपया अल्प बचत योजनाओं के जरिये से कवर किया गया है डेफिसिट बजट को मीट करने के लिये । अधिक प्रयास करके जो टैक्स इवेजन है उसे रोक कर 10 करोड़ रुपये को एकत्रित करने की व्यवस्था की गयी है । पिछले वर्ष 11 करोड़ रुपया के लगभग बिक्रीकर से वसूल किया गया और इस वर्ष भी उसके प्रयास को जारी रखा जायगा और जो टैक्स इस समय लगा हुआ है उसको वसूल करने के लिये चेक पोस्ट की व्यवस्था की जायगी । इसी तरह से आबकारी में जो इवेजन है उसको रोकने की कोशिश की जायगी और इसी तरह 10 करोड़ रुपया इकठ्ठा करने हम जा रहे हैं । अल्प बचत योजनाओं के जरिये से भी बचत करने का हमारा प्रयास है ।

यादवेन्द्र दत्त जी ने जापान का उद्धरण दिया, ठीक उद्धरण दिया, सामयिक उद्धरण दिया लेकिन क्या यह सही नहीं कि जापान की काफी उन्नति इसलिये हुई कि वहां राष्ट्रीय आय में से 40 प्रतिशत बचत की जाती है । राष्ट्रीय बचत बैंकों के जरिये से, कारपोरेशन प्रणालियों के जरिये से, विनियोजन प्रणालियों के जरिये से होती है और उसे हम अगले साल 20 करोड़ तक करने का प्रयास करने जा रहे हैं ।

तो मैं समझता हूं कि यह एक उचित निर्णय है । इसका स्वागत होना चाहिये । हमें ज्यादा बचत करनी चाहिये । हमें बचत का एक वातावरण बनाना चाहिये ।

मैं अपने सम्मानित विरोधी दल के नेताओं से कहूंगा कि हम हर समय जो राजनीति में पड़कर एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं उससे राष्ट्र निर्माण के वातावरण बनाने में बाधा पड़ती है । जो राष्ट्रीय निर्माण का वातावरण होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है । इसलिये मैं उनसे अपील करूंगा कि चाहे कोई भी पार्टी सरकार बनाये, चुनाव लड़ें, हारें, जीतें लेकिन राष्ट्र निर्माण के बुनियादी पहलुओं पर विरोध का वातावरण न फैलावें । बहुत सी चीजें ऐसी है जिनमें किसी भी पार्टी को विरोध नहीं होता है । मेरे पास हर पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो रखे हुये हैं, जिनका संतुलन हमने अपने बजट में किया है तो फिर विरोध क्यों ? .....

श्री बंशीधर पांडेय––

फिर आपने विधान नगर की ही चर्चा क्यों की ? सभी-सभी घोषणा-पत्रों का उल्लेख कर दिये होते ?

श्री कल्पनाथ सिंह––

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी बता दीजिये ।

(इस समय 4 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बताता हूं । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि केवल विरोध करने के लिये ही विरोध नहीं करना चाहिये । घाटे की पूर्ति हेतु हमने श्रीमन् बजट को सीधे रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है । माननीय दुबे जी ने मेरे उन भाषणों का हवाला दिया जो कि एक विरोधी दल के नेता की हैसियत से मैंने सन् 60 में इसी सदन में दिये थे । उन्होंने कहा कि आपने उस समय यह-यह कहा था ठीक है। मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं। मैंने उस समय यह भी कहा था कि हमें यहां पर स्वीडन की बजट पद्धति लागू करनी चाहिये हमने इस बात की कोशिश की है । यह बात नहीं है कि हमने कोशिश न की हो । हम उस ओर प्रयत्नशील हैं । उसमें यह भी कहा गया था कि जैसे वहां पर है--एक बजट लिविडेशन फंड होना चाहिये, इक्विलाइजेशन फंड होना चाहिये जिससे कि बजट संतुलित रह सके । आज भी हमारा रिजर्व फंड रखा रहता है जो कि हमेशा से इस्तेमाल होता आया है ।

कुछ योजनायें ऐसी होती हैं जिनके बारे में केन्द्र से भी सलाह-मशविरा और आर्थिक सहयोग लना पड़ता है । साथ ही यह भी कहा गया कि हमारा वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से नहीं होना चाहिये बल्कि दीवाली या दशहरा से शुरू होना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमने प्रयास किये हैं । लेकिन दूसरे प्रदेशों में जलवायु वगैरह की कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका । इसमें सभी राज्य एक मत नहीं हो सके । यह बात नहीं है कि हमने इसे बदलवाने का प्रयत्न न किया हो । हमने इस सम्बन्ध में विचार किया है ।

माननीय दूबे जी ने कहा है कि बजट के खर्चे की जो परिभाषा है उसका कैलकुलेशन ठीक से नहीं किया गया है । हमने बजट में कैपिटल एक्सपेन्डीचर, पब्लिक एकाउन्ट और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को जोड़ा है और तब डिफिसिट निकाला है । जितनी नई पद्धति हो सकती है, वह हमने की है और उस पद्धति का इस्तेमाल किया गया है । कन्जरवेटिव बजट में जैसा कि पहले से होता आया है, वही हमने भी किया है और उसी के अनुसार डिफिसिट निकाला गया है । तो इस प्रकार हमने तो जो दूबे जी ने कहा उससे और आगे हम बढ़ गये हैं ।

प्रावीडेन्ट फंड का रुपया जो जमा होता है, वह हमेशा इस्तेमाल होता आया है जो कि पब्लिक एकाउन्ट की धनराशि में शामिल होता आया है । पहले उसका इस्तेमाल दिखला कर नहीं किया जाता था और हमने उसे बजट में दिखलाना शुरू किया कि पब्लिक एकाउन्ट की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिये जरूरी है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर भी तो कुछ कहें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे आदरणीय सम्मानित नेता माननीय चरण सिंह ने यह उल्लेख किया कि इस बजट में डेटा प्रोसेसिंग मशीन का प्राविधान किया गया है जिससे लोगों की छंटनी हो जायगी लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि डेटा प्रोसेसिंग मशीन से किसी की छंटनी नहीं होगी बल्कि सैकडों लोगों को नया रोजगार मिलेगा । आज सैकड़ों की संख्या में एलेक्ट्रोनिक साइंस में ट्रेंड लोग हैं जिनको यह नया रोजगार मिलेगा । एक समय था जब टाइप राइटर की भी वही स्थिति थी जो आप कम्युटर की है । कम्युटर के इस्तेमाल से हर जगह लोगों को क्या नया रोजगार मिलेगा । आज वह समय आ गया है जब कि एकाउंटिंग के कंट्रोल के लिये, आंकड़े की व्यवस्था के लिये, पब्लिक एकाउंटिंग के कंट्रोल के लिये ट्रेजरी कंट्रोल ठीक होना चाहिये । ट्रेजरी कंट्रोल ठीक हो इसके लिये डेटा प्रोसेसिंग मशीन का उल्लेख किया गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अमेरिका में जहां कम्युटराइज हो गया है वहां के लोगों को साधारण गणित और जोड़ भी नहीं आता है और कम्युटर आदमी के दिमाग को कमजोर करता है, इस तरह की रिपोर्ट है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कुछ मामलों में तो डेटा प्रोसेसिंग मशीन अत्यन्त आवश्यक है । आज की सदी में थोड़ा सा आधुनिक होना चाहिये और मार्डन प्रशासन की ओर थोड़ा सा कदम उठाया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

एस्टीमेट कमेटी ने तो कहा है कि अनुपूरक बजट हाउस के सामने कमेटी के सामने लाया जाय, तो उसको आप क्यों नहीं करते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

डेटा प्रोसेसिंग मशीन से कुछ अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा । उनको जो यह आशंका है कि कुछ लोग रोजगार विहीन होंगे, ऐसी बात नहीं है बल्कि इससे कुछ और नये लोगों को रोजगार मिलेगा । जहां तक इंवेन्ट्री कंट्रोल की बात है जैसे 10 करोड़ का सामान खरीदते हैं तो इंवेन्ट्री कंट्रोल के लिये भी मशीन सहायता करेगी और उस पर उसका नियंत्रण होगा जिससे करोड़ों रुपये की बचत होगी । ऐसे कुछ आधुनिक उपकरण की सहायता लेने का उल्लेख किया गया है जिससे अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिल सकेगा ।

इस बजट के बारे में हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल और मेरे सम्मानित मित्र और साथी जायसवाल जी ने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि पिछले वर्ष में किस प्रकार से प्रति व्यक्ति की आमदनी घटी है या बराबर रही है । उन्होंने यह भी साबित करने की कोशिश की कि निचले वर्ग के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी कम हुई है । मैंने स्वतः अपने बजट भाषण में इस बात को इंगित किया है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने भी उसका उल्लेख किया है कि पिछले वर्ष में प्रति व्यक्ति आमदनी नहीं बढ़ी है और बराबर रही है । उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण जो सूखा पड़ा उस सूखे का था और उसके पहले वर्ष में जो आमदनी नहीं बढ़ सकी या सबसे कम रही उसका कारण जन संख्या का बढ़ना था । जनसंख्या का बढ़ना कोई प्रसन्न होने की बात नहीं है । अगर जनसंख्या इसी अनुपात से बढ़ती रही और हम सबने मिल कर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की तो कोई भी सरकार आ जाय . . . (व्यवधान) . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह भी बतलावें कि और प्रदेश की तुलना में इस प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का रेट क्या रहा है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

भगवान के भरोसे जो अब तक बैठे रहे उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रति व्यक्ति आमदनी जो नहीं बढ़ी, प्रति व्यक्ति नियोजन कम हुआ है और प्रति व्यक्ति साधन कम जुटाये गये । अब हमको और आपको मिल करके यह प्रयास करना है कि अधिक से अधिक विनियोजन करें ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पांचवीं योजना हमारे सामने है, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र, इन तीनों में मिला करके 7 हजार करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। हमारा और आप सभी का यह कर्तव्य है कि हम इस योजना के लिये साधनों के जुटाने का प्रयास करें और इसे पांचवीं योजना को 7 हजार करोड़ की स्वीकार कराने की कोशिश करें ।

श्री जयराम वर्मा--

इन्वेस्टमेंट का लाभ तभी होगा जब ठीक से उसका उपयोग हो ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बजट में आंकड़े प्रस्तुत कर दें या औसत निकाल दें बल्कि इसका अर्थ यह है कि पर-कपिटा आउट-ले कितना हुआ है । अब इस बजट में कारपोरेशंस का हवाला नहीं है जो छोटे उद्योग धंधों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । भारतीय क्रांति दल के घोषणा-पत्र में यह है कि कृषि के ऊपर जितना भार कम होगा और जितना भार उद्योग धंधों के ऊपर आयेगा उतनी ही हमारी गरीबी दूर होगी । इसमें माननीय चरण सिंह साहब को क्या शिकायत हो सकती है । बजट में इसका प्रयास किया गया है और मैंने भी उल्लेख किया है कि कृषि पर भार कम हो रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय--

सात हजार करोड़ की बात आप गलत कह रहे हैं । यह आपको जन्म भर नहीं मिलेगा ।

श्री जयराम वर्मा--

1960-61 से लेकर 1970-71 तक कृषि की आमदनी कितनी बढ़ी है और कितनी पैदावार बढ़ी है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, 35 हजार करोड़ रुपये का प्लान गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने है । अगर यह 50 हजार करोड़ रुपये का भी हो जाय तब भी आपको सात हजार करोड़ रुपया नहीं मिलेगा । फिजीकल एचीवमेंट्स थर्ड प्लान के बराबर नहीं होंगे क्योंकि रुपये की कीमत 19 पैसे हो गई है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं तो सभी लोगों का सहयोग चाहता हूं । आप सभी लोग इस योजना को स्वीकार कराकर लागू कराने में मेरा सहयोग करें । जो पर-कैपिटा इन्कम का उल्लेख किया गया है, वह बढ़ी है पिछले वर्षों में । लेकिन पिछले साल सूखे के कारण नहीं बढ़ सकी । परन्तु इस साल काफी बढ़ने की आशा है । लेकिन जितनी उनकी आवश्यकतायें हैं उनको हम और आप सभी को मिल कर करना है । पर-कैपिटा इन्कम के सम्बन्ध में क्या यह सही नहीं है कि साढ़े बारह लाख कर्मचारियों की आमदनी बढ़ी है । चपरासी से लेकर पुलिस कांस्टेबिल तक और उन कर्मचारियों की जिनकी आमदनी 100 रुपये माहवार से कम थी, आज उनके 179 रुपये माहवार होने जा रहे हैं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पर-कैपिटा इन्कम का जो हिसाब दिया गया है वह 60-61 के भावों पर था । इसलिये अब जो कीमतें बढ़ी हैं, उस सबका हिसाब लगाकर पेश नहीं किया है । लेकिन आप एक तर्क को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं । चीजों के बढ़े हुये भावों को भी देखें कि कितने बढ़े हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं इस बात की सराहना करूंगा कि सम्मानित नेता सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत मेहनत के साथ बजट को पढ़ा है और उस तक ही अपने को सीमित रखने का प्रयास अपने भाषण में किया है । कीमतों की तुलना 2 प्रकार से की जाती है, एक तो सन् 47-48 की कीमतों के आधार पर और दूसरे आज की कीमतों की तुलना 60-61 की कीमतों के आधार पर की जाती है । आप टेक्निकल बहस में चले गये, मैं उसमें जाना नहीं चाहता था । इंडियन स्टैटिक्स इन्स्टीट्यूट ने 60-61 के आधार पर तुलना की है, तो आप 60-61 की तुलना में करेन्ट ईयर की कीमतों को देखें जिस आधार को हमने लिया है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

चीजों के दाम जो इतने बढ़े हैं उसका हिसाब आप नहीं बताते ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने कहा कि विभिन्न कमीशनों की रिपोर्ट के अनुसार जैसे कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने और फिफ्थ लेबर कांफ्रेंस ने जो महंगाई के स्टैन्डर्ड को बताया है, जिसमें कि तमाम एक्सपर्ट्स थे उनकी परिभाषा के आधार पर जो मिनिमम वेज की बात कही हैं उन दोनों ने और सभी ने आधार 60-61 की कीमतों को ही आधार माना है । ऐसी बात नहीं है जैसे कि वह कह रहे हैं, हमारे पे-कमीशन ने भी पौने 2 साल की मेहनत के बाद इन सब आधारों को सामने नहीं रखा ।

माननीय जायसवाल जी ने कहा कि फूड ग्रेन या खाद्यान्न का व्यापार टेक-ओवर की बात है लेकिन बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है । मैं बड़ी नम्रतापूर्वक उनका ध्यान दिलाऊंगा कि इसी बजट में 94 लाख रुपया खाद्यान्न व्यापार के अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये रखा है जो कि इस कार्य के लिये भर्ती किये जायेंगे । खाद्यान्न की खरीदारी के लिये जो पैसा लगेगा उसके लिये बैंकों से ऋण लिया जायगा । यह प्रबन्ध इन्स्टीट्यूट आफ फाइनेन्स से होगा, एफ० सी० आई० और कोआपरेटिव फेडरेशन पैसा लेगा और राज्य सरकार लेगी । इन के द्वारा आवश्यकतानुसार बैंकों से रुपया लिया जायगा ऋण के रूप में और उसका प्राविधान स्टेट ट्रेडिंग के एकाउन्ट में आता जायगा । 94 लाख रुपया स्टाफ के लिये रखा गया है ताकि फूड ग्रेन्स के टेक-ओवर के लिये साधन जुटाये जा सकें । करीब 130 करोड़ रुपया बैंकों से ऋण के रूप में लिया जायगा । इससे साल भर गल्ले की खरीदारी हो सकेगी ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने अपना दृष्टिकोण रखा था लेकिन मैं इतना और आग्रह करूंगा कि खाद्यान्नों की खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में सारा सदन पहले भी बार-बार चर्चा करता रहा है कि दाम-नीति निर्धारित की जाय, सही बात है होना चाहिये लेकिन उसका आधार खाद्यान्नों के दाम ही हैं, अगर वे नियंत्रित रहते हैं, अखिल भारतीय पैमाने पर तो दूसरी चीजों के दाम भी उसी आधार पर घटते-बढ़ते हैं, उससे ही सहायता सब चीजों के भावों के निर्धारण में मिलती है । सारी अन्य चीजों के दाम खाद्यान्नों के दाम पर निर्भर रहते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह गलत बात है कि और चीजों के दाम खाद्यान्न पर निर्भर रहते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह माना हुआ सिद्धांत है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह तो किसानों की चमड़ी खींचना चाहते हैं और किसी बात से इन्हें मतलब नहीं है। 17 और 20 रुपया बोरा सीमेंट बिक रहा है और यह खाद्यान्न की कीमतों की बात कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

यह कफनखसोट गवर्नमेंट है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एक तरफ तो सवाल किया जाता है कि इतनी सब्सिडी दे रहे हैं और यह कि 75 रुपया कीमत देकर खर्चा लगाकर गेहूं की कास्ट 105 और 110 रुपया पड़ेगी। हमें आपको यह तय करना होगा कि एक तरफ क्या हम इनफ्लेशन को और मुद्रा स्थिति को बढ़ावा दें और सैकड़ों करोड़ की पूंजी लगायें या सौ दो सौ करोड़ की सब्सिडी देकर कीमतों को नियंत्रित करें। अगर हम दामों का नियंत्रण नहीं कर पाये तो हमारी पांचवी पंच वर्षीय योजना बेकार हो जायगी, जैसा कि इस सदन में कहा गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, जहां तक दामों को निश्चय करने का प्रश्न है यह सरकार तो कर ही नहीं सकती है क्योंकि इसका सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है। इनसे लोक कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि यह सरकार तो पूंजी परस्तों के हाथों बिक चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

हर समय ये नारा लगाने में पटु हैं लेकिन हर समय नारा लगाना उचित नहीं है। यह सरकार पूंजीपतियों के अगर नजदीक है तो आप भी दूर नहीं हो सकते हैं। जो बुनियादी बात है वह दाम नीति है जो यह सरकार आपके सहयोग से लागू कर रही है। जब कभी परिवर्तन होता है तो कुछ वर्ग को पीड़ा तो होती ही है। क्रान्ति के साथ-साथ कुछ कष्ट का आक्रोश हमें मिलता है। कुछ असुविधायें अवश्य होती हैं। हम एक ओर तो शांति की बात करते हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से और दूसरे हम चाहते हैं कि किसी को कष्ट भी न पहुंचे। जो वस्टेड इन्टेरेस्ट या पूंजीवादी हैं, वे आराम से चलें, यह कैसे हो सकता है? हमने इस बजट के द्वारा शान्तिपूर्ण क्रांन्ति की ओर कदम बढ़ाया है। (विरोधी दलों की ओर से कुछ कहने पर) इंदिरा जी तो सर्वोपरी हैं ही। आज हमने इस बजट के द्वारा इस बात का प्रयास किया है कि हम शांति पूर्ण क्रान्ति के पथ पर आगे बढ़ सकें। हम एक प्रकार का संतुलन लायें अपनी नियोजन प्रणाली में कि जिससे हमारे उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो और समाज का जो कमजोर वर्ग है, चाहे वह हरिजन हों या और कोई हों, उनका स्तर, उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी का स्तर ऊंचा उठे। यह बजट उस ओर एक विनम्र प्रयास है।

इसमें कृपा करके देखें कि कितने निगम बनाने की चेष्टा की गयी है, ताकि फाइनेन्स इन्सटीट्यूशन्स से हमको रुपया मिल सके। कितना प्रयास किया गया है कि प्रदेश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आये। ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन इसलिए बनाया गया है ताकि रेलवे भी इसमें शेयर ले सके। इसमें रेलवे 8 करोड़ रुपये के शेयर लेगी ताकि उससे हम और अधिक बसें खरीद सकें और जन-साधारण को आराम पहुंचाने की व्यवस्था हो सके।

इसी प्रकार से हैण्ड लूम इन्डस्ट्री वालों ने कहा कि हमें केवल सूत नहीं चाहिए। हमारे माल के बिकने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। तो 2 करोड़ की धनराशि से हैण्डलूम कारपोरेशन बनाया जा रहा है।

आज पंचायत राज की बात कही गयी कि पंचायती संस्थाओं को अधिक बल मिलना चाहिए, चौखम्बा राज होना चाहिए । आप इस बजट में देखेंगे कि पंचायती राज्य वित्त निगम की स्थापना भी हो रही है ताकि जो ग्रामों का विकास करना चाहती हैं, पंचायत राज निगम उनको सहायता देगी ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मालिक कलेक्टर रहेगा, जिला परिषद् का ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय बंशीधर पांडेय जी हो जायं मालिक; चुनाव लड़वा लें । तो मान्यवर, यहां जो नगर हैं, उनके विकास के लिये सिवरेज की आवश्यकता है । पेय-जल की व्यवस्था ठीक नहीं है, बड़े-बड़े शहरों में भी । एक सिवरेज बोर्ड बनाया जा रहा है ताकि शहरों का जो नारकीय जीवन है, उससे मुक्ति प्राप्त हो सके । प्रदेश की उन्नति के लिये कारपोरेशन्स बनाये....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

वित्त मंत्री जी क्षमा करेंगे, कारपोरेशन और प्रजातंत्र की बड़ी वकालत की गयी है, उधर से । मान्यवर, कुछ समय पहले मुझसे एक पत्रकार मिले । जिस दिन प्राइम मिनिस्टर यहां आई थीं, उन लोगों ने चाहा कि उन्हें बिजली मिल जाय, खबरें आदि छापने के लिये । मंत्री जी ने कहा कि एप्लीकेशन दे दो, हम कर देंगे । मंत्री जी के आदेश हो गये । वे आदेश शायद अध्यक्ष के पास या किसी आफिसर के पास या शायद चीफ इंजीनियर या सेक्रेटरी के पास पहुंच गये । उन्होंने कह दिया कि ये तो एक्जीक्यूटिव आर्डर नहीं हैं । ये तो मंत्री जी के आदेश हैं । आर्डर अगर अध्यक्ष कर दें तो रेकगनाइज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे । कहने का मतलब यह है कि आप कारपोरेशन बना रहे हैं जिस पर आपको नाज है । उसके जरिये कितना जनतंत्र को लाभ मिल रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

कारपोरेशन बनाकर तो हम सोशलिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र का पालन कर रहे हैं । मेरे पास घोषणा-पत्र रखा है । मान्यवर, जैसे अभी जायसवाल जी कह रहे थे, हो सकता है एक्का-दुक्का किसी ने कह दिया हो । हम उस मामले को दिखवा लेंगे । अगर आदेश होंगे तो उसका पालन होगा ।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

न्यूज ऐजेंसीज को लखनऊ में बिजली देने के आदेश क्या मंत्री जी आज ही जारी कर देंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

उसमें तो स्पीकर साहब ने कहा था कि हम बुलायेंगे और बात हो जायेगी ।

श्री बलबीर सिंह---

वह तो लखनऊ के लिये ही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

लखनऊ के लिये है, तो आज ही जारी कर देंगे ।

मान्यवर, दूसरे प्रदेशों की तुलना में जो हम पिछड़ रहे हैं, उसके लिये बड़े-बड़े बैंक, फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स, जीवन बीमा निगम आदि संस्थायें हमने बनाई हैं । उसका प्रभाव

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होने वाला है। स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन, इन सब कामों की तरफ हम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इस बजट को निस्पक्ष दृष्टिकोण से देखें तो यह एक कदम जरूर है, लेकिन मजबूती से उठाया गया कदम है। कमलापति जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से उठाया गया कदम है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, ये दिल से नहीं कह रहे हैं, पंडित जी बगल में बैठे हैं, इसलिये ये चापलूसी कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, यह कहा जाता है कि यह प्रशासन ढीला है, कमजोर है। श्रीमन्, बड़ी मुश्किल बात है। अगर प्रशासन सख्ती करे, कहीं लाठी-डण्डा चल जाय, तो कह देंगे कि डिक्टेटरशिप कर रहे हैं...

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, कितने ब्लैक-मार्केटियर को पकड़ा है इन्होंने ? कितने डकैतों पर डण्डे चलाये हैं इन्होंने, सिवाय गरीबों और किसान को मारने के ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, एक-एक करके हम समस्याओं को हल कर रहे हैं। एक तरफ मजबूती हो और दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक व्यवहार; फिर भी कहा जाता है कि कमजोर शासन है।

यह एक प्रजातांत्रिक, शांतिपूर्ण क्रांति में विश्वास रखने वाला शासन है। एक तरफ दृढ़ता है तो दूसरी तरफ लोक-व्यवहार।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

इन्हीं के दल के लोग इससे सहमत नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मुझे कई सम्मानित सदस्यों से बातचीत करने का मौका मिला और वह व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री जितना अधिक प्रजातांत्रिक ढंग से लोक-व्यवहार करते हैं उतना....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जो दल छोड़कर उधर चले गये हैं उन्होंने तो कहीं नहीं कहा....

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आप भी कहते हैं। श्रीमन्, म कह रहा था कि एक तरफ तो यह शासन प्रजातांत्रिक ढंग से चलाया जाय, सख्ती भी न हो और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि यह शासन कमजोर है तो यह अन्याय है। यह ढीला शासन नहीं है, प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाला शासन है। जैसा आप जानते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली में कुछ कमजोरियां हुआ करती हैं और बीच का एक रास्ता निकालना पड़ता है...

श्री कल्पनाथ सिंह---

सारा प्रदेश जानता है कि शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सारी व्यवस्था समाप्त हो गई है और यह ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप मना कर दें कि यह बात कहना बन्द करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

आप सदन की व्यवस्था समाप्त न करें, चाहें आप जो करें। इस दृष्टिकोण से अगर इस बजट को देखा जाय और अगर आप इसको अपने अन्तरतर की आवाज, आत्मा की आवाज से देखेंगे तो आप इसे स्वीकार करेंगे कि यह बजट स्वागत योग्य है। आप यह भी स्वीकार करेंगे कि एक तरफ तो कोई टैक्स नहीं लगाया गया और दूसरी तरफ सभी खर्चों की जिम्मेदारी ली गई है।

श्री बंशीधर पांडेय––

मान्यवर, यह तो तीन-तीन मुख्य मंत्रियों के स्वागत योग्य रहे हैं एक माननीय गुप्ता जी, दूसरे श्री चरण सिंह और तीसरे पंडित जी।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

मैं तो आपकी भी बंशी बजाने को तैयार हूं, आप इस योग्य तो हों। मान्यवर, मैं कह रहा था कि अगर इस दृष्टिकोण से इस बजट को देखा जाय तो यह स्वागत योग्य है। हो सकता है कि कुछ गल्तियां रह गई हों, कुछ मदों में त्रुटि हो, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है, वह इस सदन को पारित करना चाहिये और सदन को स्वीकार करना चाहिये। श्रीमन्, इस प्रदेश के इतिहास में इस संकट की घड़ी में हमको मुकाबला करना है––आर्थिक संकट का मुकाबला करना है। सम्मानित साथी हमारे एक शेर कहा करते थे उसी शेर को मैं यहां कहना चाहता हूं:––

खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली,
न हो जिसको अपना ख्याल अपनी हालत बदलने का।

श्री बंशीधर पांडेय––

मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच कर चैन पाते हैं, वे लहरें ठोकरें खातीं हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

यह चौथी योजना का अंतिम वर्ष है और पांचवीं योजना को आना है। अतः इस बजट को इस दृष्टिकोण से भी देखना है। मुझे आशा है इसी दृष्टिकोण से इस बजट पर सम्मानित सदन विचार करेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष––

आज नियम 51 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं:––

पहली सूचना माननीय नित्यानन्द स्वामी की हरिद्वार नगरपालिका के जनसंघ दल के नेता पर तेजाब फेंककर जान से मारने के षडयंत्र के विषय में है। यह अस्वीकार हुआ है।

दूसरी सूचना सर्वश्री गंगा प्रसाद, सुरेंद्र विक्रम, चन्द्रमोहन सिंह नेगी, बंशीधर पांडेय, कल्पनाथ सिंह, निहाला सिंह द्वारा जिला एटा के ग्राम जारई, थाना अमापुर में प्रधान द्वारा पुलिस की सहायता से कई हरिजन घरों में आग लगाना तथा हरिजन महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार के संबंध में है। यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है।

तीसरी सूचना सर्वश्री सुरेंद्र विक्रम सिंह तथा बंशीधर पांडेय द्वारा पुलिस सिपाहियों तथा हेड कान्स्टेबिल द्वारा गठित एसोसिएशन के खिलाफ कार्यवाही से असंतोष के संबंध में है। इसको अस्वीकार किया गया है।

माननीय सुरेंद्र विक्रम आप सब में अपना नाम दे देते हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

हमें उधर के लोगों का भी पार्ट अदा करना पड़ता है जो सोते रहते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इसलिये भी देना होता है पता नहीं कौन सा पसन्द आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

चौथी सूचना श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री सुरेंद्र विक्रम तथा श्री गंगा प्रसाद द्वारा गल्ले के थोक व्यापार के संबंध में प्रदेश भर में की गई नियुक्तियों में पक्षपात के संबंध में है, इसको अस्वीकार किया गया है।

पांचवीं सूचना श्री रूपनाथ सिंह यादव द्वारा दिनांक 19/20 मार्च, 1973 को इलाहाबाद के सरसवां के ब्लाक प्रमुख तथा जीप चालक की गोली से मृत्यु के संबंध में है । इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

छठीं सूचना श्री शिवदास तिवारी द्वारा मिर्जापुर जिले के पन्नुगंज थाने के अन्तर्गत धनरोल बंधे की भूमिहीनों को पट्टे पर दी गई भूमि के हड़पने के संबंध में है, इसको अस्वीकार किया गया है।

सातवीं सूचना श्री भगेलू सिंह, श्री रूपनाथ सिंह यादव द्वारा प्रयाग विश्वविद्यालय के युवक सभा के नेता की गिरफ्तारी से छात्रों में असंतोष के संबंध में है, इसको भी अस्वीकार किया गया है।

आठवीं सूचना श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री जगमोहन वर्मा, श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा कानपुर के कुख्यात डकैत का जनता द्वारा मारा जाना और पुलिस को निरर्थक श्रेय दिये जाने के संबंध में है । इसको अस्वीकार किया गया है । यह बात भाषण में कही जा सकती है।

नौवीं सूचना श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा आगरा में स्थित दयालबाग टैक्सटाइल मिल के मजदूरों द्वारा न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हड़ताल के संबंध में है, इसको अस्वीकार किया गया है।

दसवीं सूचना श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री जगबीर सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द्र द्वारा बिजली की कटौती से खेती पर कुप्रभाव के संबंध में है। इसकी चर्चा हो गई है, इसलिये इसको अस्वीकार किया गया है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, इसको तो बड़ी इम्पारटेंस है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री सच्चिदानन्द गुप्ता का है कि पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में गेहूं की फसल में पत्तियों का झुलसा रोग फैला है। इसको कार्यवाही के लिये भेज देंगे । श्री शम्भूनाथ चौधरी का है गोंडा जनपद के बदरहा ग्राम के श्री राम प्रसाद वर्मा की पुलिस हिरासत में मृत्यु । इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया है ।

एटा जनपद के गांव जखारुद्रपुर की चकबन्दी अपीलों के निस्तारण के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एटा जनपद के गांव जखारुद्रपुर की चकबन्दी अपीलों का निस्तारण संबंधी जो प्रश्न था उसका जवाब सही न होने के कारण नियम 49 में चर्चा का

अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जो उत्तर दिया गया उसमें यह बताया गया कि एस0ओ0सी0 महोदय ने इसलिये गांव की चकबन्दी को दुबारा लौटा दिया कि मालियत सही नहीं थी । यह बात बिल्कुल गलत है । मालियत पर कोई ऐतराज नहीं किया गया था । इसलिये यह बात एस0ओ0 सी0 महोदय की गलत है।

दूसरी बात उन्होंने अपने जजमेंट में यह कही है कि बागों पर जो मालियत लगा ली ह व भी गलत है । बाग नहीं हैं । चकबन्दी कमेटी जो गांव में बनी जिसकी चर्चा उन्होंने की है उसका विधिवत् चुनाव हुआ है । असल बात यह थी कि कपिलदेव शाहजहांपुर में ए0सी0ओ थे, सक्सेना महोदय भी एस0ओ0सी0 शाहजहांपुर में थे । इनकी आपस में मे चल रही थी। इस गांव में कोई झंझट नहीं हुआ। 218 चक इस गांव के अन्दर काटे। 13 अपीलें हुई । 4 अपील रास्तों से संबंधित हुईं और 9 अपील चकों से संबधित थीं। इ अपीलों का निस्तारण होना चाहिये था लेकिन उनका निस्तारण न करके उन्होंने इस गांव को दुबारा चकबन्दी के लिये लौटा दिया और चकबन्दी होते होते ढाई साल से अधिक हो गया। इससे किसान खेती करने से महरूम रहे क्योंकि इस बीच में अनिश्चितता रही।

चकबन्दी लौटने के जो कारण हैं उनमें एक कारण यह है कि एक इंटर कालेज है। वह जमीन चाहती है । कटौती की जमीन लेना चाहते थे और जिसकी दरख्वास्त का मुकाबला चकबन्दी कमेटी ने किया । वह डी0डी0सी0 के यहां बमुश्किल तमाम समाप्त करायी गयी । अब दुबारा इंटर कालेज अग्रसर है और वह भी एक कारण है चकबन्दी के लौटने का। दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि एस0ओ0सी0 महोदय ने कुछ कारण अपने जजमेंट में बताये हैं । जिसमें उनकी बदनीयती व पक्षपात पार्टी बन्दी शामिल है । ऐसा आभास कार्य से होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या कहना चाहते हैं, साफ नहीं हो रहा है ?

श्री तिरमल सिंह—

मैं एस0ओ0सी0 महोदय के फैसले के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप एक मामला बता रहे हैं ।

श्री तिरमल सिंह—

यह मामला इसलिये सही नहीं है क्योंकि उनका जो जजमेंट है वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—

हाई कोर्ट तक अपील है । आपकी क्या राय है संक्षेप में कह दें कि आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

आप यह कहना चाहते हैं कि पहले जो स्थिति थी वह बनी रहे ।

श्री तिरमल सिंह—

जैसा चकबन्दी का मामला पहले था वह बना रहे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री संक्षेप में जवाब दें ।

*राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय तिरमल सिंह जी ने 2-3 एतराज किये हैं। उनमें से कुछ एतराज तो ऐसे हैं कि जिसके ऊपर कोई चर्चा यहां पर नहीं हो सकती है। कारण उसका यह है कि जिस विषय को माननीय तिरमल सिंह जी यहां पर उठा रहे हैं वह विषय अभी डिप्टी डायरेक्टर के यहां निर्णीत होना है। इसलिये यहां पर यह निर्णय जैसा है कि चकबन्दी फिर से करने के आदेश दिये गये हैं वे वाजिब थे या नहीं अलग बात है लेकिन कुछ तथ्यों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनके बारे में जरूर स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं ताकि भ्रम जो है वह दूर हो जाए। यदि मैं चाहूं तो छुट्टी ले सकता हूं कि यह कह कर के कि ये सारे के सारे मामले न्यायालय में हैं और इनके ऊपर अभी डी0डी0सी0 का निर्णय होना है। ये 14 अपीलें जो थीं उनमें से 3 केसेज को लेकर संबंधित व्यक्तियों ने निगरानियां दायर कर रखी हैं और अभी वे जेर-ए-तजवीज हैं। 2-3 अपीलों के बारे में स्पष्टीकरण दे देता हूं।

माननीय तिरमल सिंह जी ने यह कहा है कि 4 तारीख पहले मुकर्रर थी। पहली बात तो आपने यह कही। यह निवेदन कर दूं कि किसी भी एतराज में यह ग्राउन्ड नहीं ली गयी थी कि मालियत गलत लगायी गयी है। यह अपील जो सुनी गयी थी वह धारा 21(4) के मातहत में सुनी गयी थी। उसमें यह साफ तौर से देया हुआ है कि सुनने के दौरान अगर आवश्यक होगा तो मौका मुआएना करेंगे और मौका मुआएना देखने के बाद अपील में बहस सुनने के बाद यदि वे समझेंगे तो पुनः चकबन्दी की आज्ञा दे सकते हैं और उसमें वजह दी हुई है कि इन इन कारणों से दे सकते हैं। यही सब कारण हैं जिनकी वजह से दुबारा चकबन्दी के आदेश दिये गये।

इसमें कहीं पर यह नहीं है कि अगर यह ग्राउन्ड न ली गयी हो, इस बात का एतराज न किया गया हो कि मूल्यांकन गलत दिखाया गया है तो उसे नहीं देख सकते। क्योंकि जैसे ही अधिकारी मौका मुआयना करने जायेंगे उस समय वह सारी बातें देखेंगे। इसमें यह सारी बातें सामने आई हैं। दूसरा एतराज यह किया गया है कि इसमें 4 तारीख मुकर्रर की गई लेकिन 4 तारीख को न सुनकर 21 और 22 तारीख डाली गई और 21, 22 को भी न सनकर 20 तारीख को सुन लिया गया। यह सही नहीं है।

वास्तविकता यह है कि 4 तारीख सुनने के लिये मुकर्रर हुई थी लेकिन 4 तारीख को एक अपील दायर कर दी गई। यह नियम है कि दफा 25 में अपीलें एक ही दिन सुनी जायं क्योंकि एक चक में तरमीम होने से सारे चकों में तरमीम हो जाती है, इसलिये अलग-अलग अपीलें नहीं सुनी जाती हैं। यह अपील 4 तारीख को की गई थी तो उस दिन भी सभी अपीलें सुन सकते थे लेकिन जो फरीकैन बनाये जाते हैं उनको भी इत्तला देनी पड़ती है जिससे वह हिस्सा ले सकें, इसलिये तारीख बढ़ाना आवश्यक था। 21 और 22 को जो आपने कहा है कि यह अपीलें सुनी जायेंगी यह तथ्य के परे हैं। 22 को कोई अपील नहीं सुनी गई। 9 या 10 अपीलें 20 तारीख के लिये डाली गई थीं और 3 या 4, 21 तारीख के लिये डाली गई थीं। यह बात सही है कि 21 तारीख के लिये यह अपीलें नहीं डाली जानी चाहिये थी और सारी अपीलें 20 के लिये ही होना चाहिये थीं। जब अधिकारी को इस बात का पता लगा तो उसने अहलमद के खिलाफ ऐक्शन लिया और सारी अपीलों के लिये 20 तारीख रक्खी। सभी संबंधित लोगों को इसकी इत्तला दी गई और वह लोग उपस्थित हुए। तो अधिकारी ने मुनासिब काम किया और उसको कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिये था।

श्रीमन्, यह कहा गया कि उनका यह हुक्म गलत था क्योंकि कोई एतराज इस बात का नहीं था कि जो चक काटे गये हैं वह गलत काटे गये हैं। यह बात सही है कि इन एतराज में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह बात नहीं थी लेकिन वहां के ए0सी0ओ0 के खिलाफ वहां के लोगों ने और चकबन्दी कमेटी ने बड़े पैमाने पर शिकायतें की थीं कि सारे मूल्यांकन गलत किये गये हैं और चक गलत काटे जा रहे हैं और इनको आमूल बदला जाना चाहिये । इसलिये यह कहना कि चकबन्दी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी गलत है । वहां के सभी लोगों में बड़ा असंतोष था और इस अपील के एक साल पहले से था । वह लोग आन्दोलन भी कर रहे थे और अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे, इसलिये दुबारा चकबन्दी कराने का निर्णय लेकर गलती नहीं की गई । श्रीमन्, बाकी बातें जनरल हैं । वह अधिकतर इस मामले के गुण-दोष से संबंधित हैं और मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर जब तक यह अपीलें विचाराधीन हैं, कोई विचार इस सदन में नहीं होना चाहिये ।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

218 चक थे उस मौजे में और केवल 14 अपीलें हुई एस0ओ0सी0 के यहां जिनमें से 4 बहुत हल्की थीं और 9 मेजर थीं जिनसे अगर एक ऐफेक्टेड होते तो मैं समझता हूं कि 36 से ज्यादा चक ऐफेक्टेड नहीं होते । तो ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से पूरे गांव की चकबन्दी बदलनी पड़ी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मेरे पास किताब अंग्रेजी की है । इजाजत दें मुझे अंग्रेजी में पढ़ने की । धारा 21 की उपधारा 4 में यह कार्यवाही हो रही है । माननीय सदस्य का एतराज यह है कि जब केवल 14 ही अपीलें थीं तो सारे चकों को बदलने की क्या जरूरत थी । मेरा निवेदन यह है कि अगर एक एतराज हो और अधिकारी देखने के लिये जाय तो प्राविधान इस बात का है कि उसको देखने के दौरान अगर उसे यह मालूम पड़े कि गलतियां बहुत ज्यादा हैं तो वह सारी चकबन्दी को दोबारा करा सकता है। अब यह उसने ठीक किया या नहीं, यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह मामला अभी विचाराधीन है । मैं वह पढ़े देता हूं:—

"If during the course of disposal of an objection or the hearing of an appeal the Consolidation Officer or the Settlement Officer (Consolidation), as the case may be, is of the opinion that material injustice is likely to be caused to a number of tenure holders in giving effect to the provisional consolidation scheme as prepared by the A. C. O. or as subsequently modified by the C. O., as the case may be, and that a fair and proper allotment of land to the tenure holders of the units is not possible without revising the provisional consolidation scheme or getting a fresh one prepared it shall be lawful for the reasons to be recorded to do this."

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

218 चकों में से 14 की अपील हुई । तो अगर ये अपीलें सुनने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मैटीरियल इन्जस्टिस हो जायगी तो उन बाकी 204 चक वालों को भी अपील सुनने के लिये बुलाया गया या नहीं ? दूसरे, जो आपने प्राविजन पढ़ा है इसमें है कि विदाउट रिवाइजिंग दि स्कीम आफ कंसालिडेशन आगे वह कर सकते हैं या जो उससे एफेक्टेड हो उसको वह बदल सकते हैं और यहां उन्होंने सारा बदल दिया । तो इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने यह निवेदन किया कि उनको मौका मुआयना करना चाहिये । उस वक्त अगर इसको बदलें तो यह कतई उचित नहीं है कि वह सब लोगों को फरीक बनायें, उनको नोटिस

[श्री उदित नारायण शर्मा]

दें और उनको सुनें । दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही, शायद उन्होंने ठीक सुना नहीं, उसमें लिखा है कि अगर वह चाहें तो पूरे को रिवाइज कर सकते हैं और दोबारा चकबन्दी करा सकते हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि यह जो 14 अपीलें एस० ओ० सी० के सामने पेश थीं उससे यह प्रभाव पड़ रहा था सारे गांव पर कि सारा नक्शा ही उलट-फेर हो जाता ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह भी है । ऐसा ही नही है, बल्कि जब उन्होंने मौके पर जाकर मुआयना किया तो उनको यह मालूम पड़ा कि एक दो ही चक गलत नहीं बनाये गये हैं बल्कि अधिकांश चक गलत बने हैं ।

श्री तिरमल सिंह—

क्या यह सही है कि 21-12-72 को अपीलें सुनने के लिये एस० ओ० सी० श्री तेज बहादर सक्सेना गये थे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मुझे नाम नहीं मालूम कि कौन साहब गये थे ।

श्री तिरमल सिंह—

क्या यह सही है कि उन्होंने 21-12-72 की जगह 22-12-72 तारीख करवायी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसमें कुछ अपीलें 20 तारीख के लिये पड़ी थीं, कुछ 21 तथा 22 के लिये थीं ।

श्री तिरमल सिंह—

21 तारीख की जगह 22 तारीख क्या की थी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और 28 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 26 मिनट पर बुधवार, 28 मार्च, 1973 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
23 मार्च, 1973 ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—21 एल० ए०—1973 835 ।